Wednesday, 14 March, 1962

# लोक-सभा
# वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६१, १९६२/१८८३-८४ (शक)

[१२ से २६ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation
14-5-
Fumigated
On
Parliament Library

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८३-८४ (शक)

( खण्ड ६१ में अंक १ से १० तक हैं )

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

द्वितीय माला

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड ६१—अंक १ से १०—१२ से २६ मार्च १९६२/
२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र, १८८४ (शक) ]


पृष्ठ

**अंक १—सोमवार, १२ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)**

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . १
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८—९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९—१४
सदस्यों द्वारा त्याग पत्र १४
विधेयक पुरस्थापित—
(१) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक . १४—१५
(२) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक . . १५
(३) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक १५
अध्यादेशों के बारे में विवरण . . १५
दैनिक संक्षेपिका १६—२१

**अंक २—मंगलवार, १३ मार्च, १९६२/२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १५ तक . २३—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १६ से १८ ४९—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १६ ५१—५९
स्थगन प्रस्ताव के बारे में ५९
गोआ की कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों संबंधी प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६०—६२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१—६२ ६२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१—६२ ६२

विषय-सूची पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्नचासवां प्रतिवेदन . . . . ६२

रेलवे आय-व्ययक, १९६२-६३—उपस्थापित . . . ६३--६६

राज्य वित्त निगम ( संशोधन ) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६७--७९

खंड २ से २३ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९

गोदी कर्मचारी ( रोज़गार का विनियमन ) संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . ७९--८७

खंड २ से ७ और १ . . . . ८६--८७

संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८७

भारतीय रेलवे ( दूसरा संशोधन ) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव । . ८७--९२

खंड २ से ६ और १ . . . ९१--९२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ९२

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . . . . ९२

दैनिक संक्षेपिका . . . ९३--९६

**अंक ३—बुधवार, १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १९ से २९ और ३१ से ३४ . ९७--११८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० और ३५ . . . ११८-१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७, १९ से ३८ और ४० से ५४ . ११९--३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . १३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . १३४-३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

बानवेवां प्रतिवेदन . १३५

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र . . १३६

हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में हड़ताल के बारे में वक्तव्य . . १३६

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन . . १३६–३७

संसिधान (बारहवां) संशोधन विधेयक . . . १३७—४७

विचार करने का प्रस्ताव . . . १३७—४७

खंड २, ३ और १ १४५–४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . . १४६

गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक १४७–५६

विचार करने का प्रस्ताव . १५६

खंड २ से ११ और १ . . १५६

पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६२–६३ —उपस्थापन १६०—६८

वित्त विधेयक, १९६२—पुरस्थापित . १६८

दैनिक संक्षेपिका १६९—७३

**अंक ४—गुरुवार, १५ मार्च, १९६२/२४ फाल्गुन, १८८३ (शक) —**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४३, ४६, ४७, ४९ से ५२ और ५५ से ५८ . . . . . १७५—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ४५, ४८, ५३, ५४, ५९ और ६० १९७—२००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ८६ २००—१३

पटल पर रखे गये पत्र . . . . २१३–१६

विधेयकों पर राय . . . . . २१६

प्राक्कलन समिति—

एक सौ बावनवां प्रतिवेदन . २१६

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक . २१६–१७

(२) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक २१७

(३) अतिरिक्त उत्तपादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . २१७

दैनिक संक्षेपिका . २५६—६१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव २१८—५५

पृष्ठ

**अंक ५—शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२/२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)—**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६७ से ७२, ७४, ७६, ७७, ७९, ८१, ८२, ९१, ६५, ६४ और ७३ . . . . २६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६६, ७५, ७८ और ८० . २८६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ से १२१ . . . २८८–३०२

दिनांक १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में शुद्धि ३०२—३०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल के विदेश मंत्री का वक्तव्य जिसमें भारत से होने वाली नेपाल सरकार विरोधी कार्यवाहियों का आरोप है। ३०३–०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०४—०६

लोक लेखा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . . ३०७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचासवां प्रतिवेदन . . . ३०७

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . . ३०७

सभा का कार्य . . . ३०७–०८

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ३०८—२९

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया . ३२९—३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन . . . . ३३२

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प . . ३३२—५०

कार्य मंत्रणा समिति—

उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३५०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५१—५७

**अंक ६—सोमवार, १९ मार्च, १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक)—**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६, ८८ से ९२, ९४, ९५, ९७ से ९९, १०१ और १०२ . . . . . . ३५९—८१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ और २ ३८१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ८५, ८७, ९३, ९६ और १०० . . ३८६—८८

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| अतारांकित प्रश्न संख्या १२२ से १४८ . | ३८८—४०० |
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| रेलवे दुर्घटनायें . . . | ४०१–०२ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . , | ४०२–०३ |
| विधेयकों पर राय . . . | ३०३ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एक सौ सतावनवां प्रतिवेदन . . . | ४०३ |
| लोक लेखा समिति— | |
| इकतालीसवां प्रतिवेदन . . . . | ४०४ |
| सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . . | ४०४ |
| कार्य मंत्रणा समिति— | |
| उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . | ४०४ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . | ४०४–१२, ४२७–३७ |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ . | ४१२—२६ |
| विनियोग विधेयक १९६२—पुरस्थापित और पारित . | ४२६–२७ |
| संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक . | ४३८—४१ |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | ४३८–३९ |
| खंड २ से ६ और १ . . . . . . | ४३९ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . . | ४३९—४१ |
| सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . | ४४१–४२ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . . | ४४२ |
| अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक . | ४४२—४५ |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . | ४४२ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | ४४३—४७ |


**अंक ७—मंगलवार, २० मार्च, १९६२/२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)—**


| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०, १११, ११३ से ११७, ११९, १२१, १२३ और १२५ से १२७ . . | ४४९—७० |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १०६, १०८, १०९, ११२, ११८, १२०, १२२, १२४, १२८ और १२९ . . . . ४७०--७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १६६, १७१ से १९३, १९५ और १९६ ४७५--९५

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . ४९५--९९

प्राक्कलन समिति--

एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन . . ४९९

तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में वक्तव्य . . . ४९९--५००

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक . ५०१--०३

विचार करने का प्रस्ताव . . ५०१--०२

खंड २ से ४ और १ . . ५०३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५०३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१--६२ . . . ५०३--१३

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२--पुरस्थापित और पारित . ५१३--१४

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . ५१४--३४

दैनिक संक्षेपिका . ५३५--४१

**अंक ८--शुक्रवार, २३ मार्च, १९६२/२ चैत्र, १८८४ (शक)--**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३१, १३३ से १३५, १३९ से १४१, १४४, १४५, १४७, १४८ और १५० . . . . ५४३--६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३२, १३६ से १३८, १४२, १४३, १४६, १४९ और १५१ से १५७ . . . . , ५६४--७०

अतारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २१८, २२० से २२७ और २२९ से २४० ५७०--८७

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर कछार पहाड़ियों की कथित दुर्घटना तथा पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय का कथित अपहरण . . . ५८७--८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

कच्चे पटसन का मूल्य . . . . ५८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५८८--८९

राज्य सभा से सन्देश ५९०

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक— | |
| राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . | ५९० |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन . . | ५९० |
| ब्लिट्ज के सम्वाददाता श्री ए० राघवन द्वारा क्षमा याचना | ५९० |
| सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . | ५९१ |
| सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . | ५९१—६०६ |
| संविधान (संशोधन) विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) . | |
| [(१) श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् और (२) श्री नरसिंहन् का] वापिस लिया गया . . . . | ६०६ |
| प्रवर समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव | ६०६—१४ |
| दैनिक संक्षेपिका | ६१५—२० |
| **अंक ९—शनिवार, २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक)—** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १५९, १६०, १६२, १६४, १६५, १६९, १७१, १७३, १७५, १७७ से १७९, १८२, १८५ से १८७ और १८० | ६२१—४५ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १५८, १६१, १६३, १६६ से १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १८१, १८३ और १८४ . . | ६४५—५१ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २५२ और २५४ से २८५ . . | ६५१—७० |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| तार घरों में 'धन प्रोत्साहन योजना' का जारी किया जाना . | ६७०—७१ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र . | ६७२—७३ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एक सौ पचपनवां, एक सौ अट्ठावनवां और एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन | |
| सभा का कार्य . . . | ६७३—६७४ |
| सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . | ६७४—७१७ |
| राष्ट्रपति का सन्देश . . . | ७११ |
| लेखानुदान की मांगें, १९६२—६३ . . . | ७१७—२२ |
| विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरस्थापित और पारित . | ७२२—२३ |
| वित्त विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव | ७२३—२४ |
| दैनिक संक्षपिका | ७२५—३० |

**अंक १०—सोमवार, २६ मार्च, १९६२/५ चैत्र, १८८४ (शक)—**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८८, १८६, १९६ से १९९, २१३, २००, २१२, २१४, २२०, २२१, २११, २०५ और २१६ . ७३१—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर .

तारांकित प्रश्न संख्या १९० से १९५, २०१ से २०४, २०६ से २१० और २१५ से २१८ . ७५१—५८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६ से ३३५ . ७५८—८२

स्थगन प्रस्ताव—

१. कछार पहाड़ियों पर दुर्घटना . . . ७८२—८३

२. पाकिस्तान में कर्णफुली बांध और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका प्रभाव . . . ७८३—८४

३. इटली की फर्म के साथ तेल करार . ७८४—८५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७८५—८८

प्राक्कलन समिति—

एक सौ साठवां, एक सौ इकसठवां और एकसौ बासठवां प्रतिवेदन— ७८८

वित्त विधेयक, १९६२—

विचार करने का प्रस्ताव . ७८८—९५

खंड २ से ४ और १ ७९५

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९५

टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ७९५—९७

खंड २, ३ और १ . . ७९६—९७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७९७

रेलवे बजट—सामान्य चर्चा . ७९७—८०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८०६—१२


नोट:—मौखिक उत्तर वाले किसी प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

# लोक-सभा

बुधवार, १४ मार्च, १९६२
२३ फाल्गुन १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**कॉमेट ब्रांड अमोनियम क्लोराइड**

+

†*१९. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
**श्री प्र० गं० देव** :

**क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ८ फरवरी, १९६२ के समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि बम्बई की एक फर्म, मेसर्ज़ एलायन्स ड्रग एण्ड केमीकल कम्पनी, द्वारा निर्मित अमोनियम क्लोराइड (कॉमेट ब्रांड) नामक औषधि (खांसी का मिक्शचर) जब लुधियाना (पंजाब) में ब्राउन मेमोरियल अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों को दी गयी तो उस से दो रोगियों की मृत्यु हो गयी और दो अन्य रोगियों को इस के प्रभाव से बचाने के लिए अन्य दवाई देनी पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो घटना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) देश में इस दवाई के इस्तेमाल को रोकने के लिये और इस के निर्माताओं के विरुद्ध भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]**।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : कफ़ मिक्शचर में पोटेशियम साइनिड पाया गया है इस बात को दृष्टिगत रख कर इस के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उन को बंदी बनाया गया है ?

†मूल अंग्रेज़ी में



1931 (aii) LS—1.

†श्री हाथी विवरण में बताया गया है कि कार्यवाही की जा चुकी है। इसका भंडार जब्त कर लिया गया है और सम्बन्धित व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया है।

**भारत में परिवार नियोजन**

†*२०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का तेजी से विस्तार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) वांछित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**।

†**श्री प्र० गं० देव** परिवार नियोजन के लिये विभिन्न राज्यों को कितना कितना धन दिया गया है ?

†**श्री हाथी** : राज्यवार आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। तीसरी योजना में इस के लिए ५० करोड़ रुपये रखे गये हैं।

†**श्री प्र० गं० देव** : देश में छोटे तबके के लोगों में निःशुल्क गर्भनिरोधक वस्तुएं बांटने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री हाथी** : ये निःशुल्क दिये जायेंगे।

†**श्री बासप्पा** : क्या विवाह की आयु बढ़ाने के लिये सरकार कोई कानून बनाने के बारे में विचार कर रही हैं ?

†**श्री हाथी** : कानून द्वारा विवाह-आयु बढ़ाने के बारे में सरकार विचार तो नहीं कर रही हैं हालांकि यह भी एक उपाय होगा अथवा इस सम्बन्ध में एक प्रयत्न होगा। यह तो तभी संभव है जबकि सामाजिक शिक्षा में उन्नति होती है।

**श्री विभूति मिश्र** : संतति निरोध योजना को सरकार सुदूर देहातों में और विशेष कर गरीब परिवारों में चलाने के लिए क्या इंतजाम सोच रही है ?

**श्री हाथी** : इस में जो स्टेटमेंट दिया गया है उस में लिखा है कि क्या क्या करने का विचार है। हर एक गांव में दाईयों को ट्रेनिंग दी जायगी। गांवों में सरकार इस के लिए आदमी भेजेगी जोकि वहां लोगों को इस के लिए एजुकेट करेंगे। वह सब इस में लिखा हुआ है।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : परिवार नियोजन के लिए कुछ औषधियों पर परीक्षण किया जा रहा था, म जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुंच चुकी है और क्या कोई सफल औषधि इस सम्बन्ध में मिली है ?

**श्री हाथी** : मुझे पता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

## उष्णप्रदेशीय अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी संस्था'

†*२१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में उष्णप्रदेशीय अन्तरिक्ष विज्ञान संबधी संस्था स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उस संस्था की स्थापना पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) योजना की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ।

(ख) संयंत्र तथा पिछले चार वर्षों में जो अनावर्तक व्यय हुआ है वह लगभग ५७ लाख रुपये हैं । इस में अधिकतर विदेशी विनिमय ही खर्च हुआ है । इस योजना की समाप्ति के पश्चात् जो आवर्तक व्यय होगा उस का अनुमान लगभग ९ लाख रुपये प्रतिवर्ष है ।

(ग) सिद्धान्त रूप में यह योजना सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है । ऐसी आशा है कि इस संस्था के दो उपविभागों के प्रारम्भिक प्रतिष्ठान शीघ्र ही रखे जायेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस संस्था की विशेषता क्या होगी और क्या कोई विदेशी सहायता, प्रविधिक सहायता अथवा अन्य कोई सहायता मिलेगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : विशेष बात यह होगी कि उष्ण मौसम के हालात के बारे में जिन में मानसून आदि भी सम्मिलित होंगी व्यापक और विस्तृत खोज की जायेगी । इस योजना को चलाने के लिए विदेशी सहायता की भी आवश्यकता होगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यह संस्था कब तक तैयार हो जायेगी और कब से काम करना शुरू कर देगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : कोई निश्चित तिथि तो मैं नहीं बता सकता । सारी योजना विस्तृत रूप से तैयार कर ली गई है । और इसकी स्वीकृति मिलना अभी बाकी है । प्रारम्भ में इस का काम एक या दो उपविभागों से प्रारम्भ किया जायेगा ।

**श्री विभूति मिश्र** : सरकार पूना में ट्रौपिकल मैट्रालाजी का इन्स्टीच्यूट स्थापित करने जा रही है । अब हिन्दुस्तान चूंकि एक बहुत बड़ा देश है तो क्या अकेले इस से सारे देश के किसानों का काम चल पायेगा और क्या सरकार दूसरी जगह भी इस तरह का इंस्टीच्यूट स्थापित करने के बारे में सोच रही है ?

**श्री मुहीउद्दीन** : यह रिसर्च का काम है तहकीकात का काम हैं । इस के लिए सब से ज्यादा मौज़ूं जगह इस वक्त हर लिहाज़ से पूना ही है । ज़रायत वालों का ताल्लुक इस के नतीजे के तौर पर बाद को आयेगा ।

## रिहाण्ड बांध परियोजना

†*२२. **श्री दी० चं० शर्मा** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिहाण्ड बांध कुछ समय पूर्व बनकर तैयार हो गया है किन्तु अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका काम शुरू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) से (ग) : ५० एम डब्ल्यू क्षमता वाली पहली जेनरेटिंग इकाई ने १ फरवरी, १९६२ से काम करना शुरू कर दिया है और यह पिपरी, राबर्ट्सगंज, चुर्क, मिर्जापुर, मुगलसराय और इलाहबाद को बिजली का संभरण कर रही है। शेष चार इकाइयां मार्च, १९६२ के अन्त तक काम करना शुरू कर देंगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जब ये सभी इकाइयां काम करने लगेंगी तो इस परियोजना की कुल क्षमता कितनी होगी ?

†**श्री हाथी** : २५०,००० किलोवाट।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से बिजली के संभरण करने के लिये क्या पर्याप्त पग उठाये गये हैं ?

†**श्री हाथी** : यह काम उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। मुख्य उपभोक्ता उद्योग, रेलवे, अल्युमिनियम कारखाने आदि होंगे।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : क्या यह भी निश्चय किया गया है कि इस रिहन्द बांध से मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी और पूर्वीजिलों को भी बिजली दी जायेगी ?

†**श्री हाथी** । हम ने मध्यप्रदेश को १०,००० किलोवाट बिजली देने का निश्चय किया है। लेकिन बिजली किस दर पर दी जायेगी इस बारे में मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत हो रही है।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के बीच यह चर्चा कई वर्षों से चल रही है। कब तक यह चर्चा चलेगी ?

†**श्री हाथी :** क्षेत्रीय परिषद में यह मामला उठाया गया था जिसमें मध्य प्रदेश को १०,००० किलोवाट बिजली देने का निर्णय किया गया था। लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका था कि किस दर पर तथा किन शर्तों के आधार पर उत्तरप्रदेश यह बिजली दे। दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने यह निर्णय किया कि वे दोनों इस बारे में बातचीत करेंगे। अतः यह मामला इस स्थिति पर छोड़ दिया गया था।

†**डा० राम सुभग सिंह** : रिहन्द बांध से सोन नदी को कब से पानी मिलने लगेगा ताकि वहां सिंचाई का काम शुरू हो सके ?

†**श्री हाथी** : हालांकि इस में बहुत समय तो नहीं लगेगा किन्तु फिर भी कुछ समय तो जरूर लगेगा। इकाइयों द्वारा काम शुरू होते ही कुछ पानी मिलने लगेगा।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, क्या यह सत्य नहीं है कि इस बांध को द्वितीय पंच वर्षीय योजना की समाप्ति तक अर्थात् ३१ मार्च, १९६१ तक पूरा हो जाना चाहिये था ? अतः मैं जानना चाहूंगा कि उसके पूरा होने में देरी क्यों हुई है ?

**श्री हाथी** इस काम के पूरा होने में कुछ महीने की देरी हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कमलसिंह** : सोन बांध निश्चित अवधि में पूरा हो जाये ताकि रिहन्द बांध से अतिरिक्त पानी की निकासी हो सके इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री हाथी** : यह प्रश्न दूसरा है । हमने नहरों का नवनिर्माण शुरू कर दिया है ।

**टेलीफोन की दूसरी फैक्टरी**

†*२३. { **श्री भक्त दर्शन** :
**श्री अगाड़ी** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टेलीफोन की एक और फैक्टरी को स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी कहां स्थापित की जायेगी;

(ग) फैक्टरी पर कुल कितना धन लगाये जाने का अनुमान है और उसका उत्पादन संभवतः किस तारीख से आरम्भ होगा; और

(घ) इस फैक्टरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (घ). अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है । अभी तक सरकार टैक्नीकल समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है कि भविष्य में किस प्रकार का संयंत्र प्रयोग किया जाये । सरकार को यह प्रतिवेदन मिल जाने के बाद इस मामले पर और आगे चर्चा होगी ।

†**श्री भक्त दर्शन** : टैक्नीकल समिति का यह प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा तथा अन्तिम निर्णय कब तक होगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : तीन विभिन्न पदाधिकारियों ने विभिन्न देशों का दौरा किया और यह देखा कि उन देशों में किस प्रकार के संयंत्रों का प्रयोग हो रहा है । वे अपना प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं और आशा है कि वह मेरे पास अप्रैल के अन्त तक आ जायेगा ।

†**श्री भक्त दर्शन** : इस कारखाने के निर्माण के लिये किन-किन स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : अभी तक किसी जगह के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है । बहुत से स्थान हैं ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या यह ठीक है कि जब जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बनाया गया तो यह वचन दिया गया था कि वहां कोई बड़ा कारखाना बनाया जायेगा । किन्तु अब तक वहां कुछ भी नहीं किया गया है क्या सरकार यह कारखाना जबलपुर में अथवा मध्य प्रदेश के किसी और स्थान में बनाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मुझे उस वचन के बारे में कोई जानकारी नहीं है । लेकिन फिर भी इस बारे में मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि कारखाने बनाने का काम कई बातों पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिम्मय्या** : हालांकि टेलीफोन के निर्माण में तो काफ़ी वृद्धि हुई है किन्तु टेलीफोन लगाने के लिये तारों का उत्पादन कम हुआ है। क्या सरकार का विचार कोई तार बनाने वाले कारखाने की स्थापना करने का है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य अलग से सवाल प्रस्तुत करें क्योंकि यह दूसरा ही मामला है।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या बंगलौर के वर्तमान टेलीफोन कारखाने की क्षमता बढ़ाने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : यह भी सोचा जा रहा है लेकिन समिति के प्रतिवेदन मिल जाने के पश्चात् ही इस पर विचार किया जायेगा।

**इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन**

†*२४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन यातायात की मांग को, विशेषतः आन्तरिक 'ट्रंक' मार्गों पर, पूरा करने में समर्थ नहीं है;

(ख) कमी कितनी है और इस को कैसे पूरा करने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि इस कमी के कारण पर्यटकों के यातायात में बड़ी बाधा पड़ी है और बहुत से पर्यटकों को रुकना पड़ता है;

(घ) प्रतीक्षा सूची की क्या स्थिति है; और

(ङ) क्या स्थिति का अनुमान देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुही उद्दीन)** : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण में प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में ही जानकारी दी हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप को किस सम्बन्ध में जानकारी चाहिये ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : भाग (क) से भाग (ङ) में से उन्हें किस भाग का उत्तर चाहिये ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मुझे भाग (क) से भाग (ङ) तक पूरे प्रश्न की जानकारी चाहिये। विवरण में तत्सम्बन्धी जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने लिखित रूप में एक प्रश्न दिया है। माननीय मंत्री ने कुछ उत्तर दिया है। वे उस अंश के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री उस प्रश्न का अनुमान किस प्रकार लगा सकते हैं। उन्होंने इतनी जानकारी देना ही पर्याप्त समझा होगा अन्यथा वह पूरी जानकारी देते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल कुछ सुपर कान्सटीलेशन विमानों को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को देने को प्रस्तुत थी इसका उत्तर में कहीं भी जिक्र नहीं है यद्यपि विवरण में यह कहा गया है कि अन्तर्देशीय मुख्य विमान मार्गों में बढ़ते हुए यातायात की मांग को पूरा न करने के कारण आघात पहुंचा है । यदि हां तो इस निश्चय का लाभ क्यों नहीं उठाया गया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : माननीय सदस्य को विवरण से यह ज्ञात होगा कि बम्बई से कलकत्ता के बीच सप्ताह में सात बार चल रहा है और अपनी पूरी क्षमता में यातायात कर रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि तीनों मुख्य मार्गों के लिये इसकी सेवायें प्रस्तुत की गई थीं लेकिन उनका लाभ नहीं उठाया गया बाद में केवल एक मार्ग के ही लिये उसका उपयोग किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : हमने इस मामले की जांच की थी और इस परिणाम पर पहुंचे थे कि इसमें बहुत अधिक लागत आयेगी । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को पहिले से ही घाटा हो रहा है हम इससे अधिक घाटा नहीं उठाना चाहते थे ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि निगम ने, जनवरी १९६२ के अंत तक चार पुराने वाइकाउन्ट १४१.९० लाख रुपये की लागत से उपलब्ध किये हैं । उसी विवरण में उन्होंने आगे कहा है कि १९६३ के अन्त तक यातायात में इतनी वृद्धि हो जायेगी कि निगम के लिये वाइकाउन्ट से अधिक बड़े विमानों को खरीदना आवश्यक हो जायेगा । १९६२ में उन्होंने यह जानते हुए भी कि ये विमान अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगें और १९६३ में उन्हें अधिक बड़े विमान खरीदने होंगे, यह विमान खरीदे हैं ?

**डा० प० सुब्बरायन** : तब वाइकाउन्टों को सहायक मार्गों में चलाया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री माथुर के कथन का यह तात्पर्य है कि तीन मुख्य मार्गों के लिये सुपर कान्सटीलेशन की सेवायें स्वीकार नहीं की गई साथ ही विवरण में यह भी कहा गया है कि बढ़ते हुए यातायात की पूर्ति के लिये उन्हें और अधिक विमानों की आवश्यकता होगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं बता चुका हूं कि अन्तर्देशीय मार्गों में सुपर कान्सटीलेशन विमानों को चलाने पर व्यय में वृद्धि हो जाती । हमें इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में पहिले ही घाटा हो रहा है । अतः हमने उनका उपयोग करना उचित नहीं समझा ।

†**श्री मुरारका** : पुराने वाइकाउन्टों की लागत किस आधार पर निश्चत की गयी, क्योंकि ऐसा ज्ञात होता है कि चार वाइकाउन्टों को १४१.९० लाख रुपयों में खरीदा गया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह कीमत बाजार दरों को देखने के पश्चात बातचीत द्वारा निश्चित की गयी थी । मेरे विचार से यह सौदा बहुत अच्छा रहा ।

†**श्री बासप्पा** : क्या यह पुराने वाइकाउन्ट बहुत अच्छी सेवायें दे रहे हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी हां वे बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं ।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री के उत्तर से यह ज्ञात होता है कि वे यातायात की मांग को पूरा करने में [illegible] हैं । यदि हां, तो वे यातायात की बढ़ी हुई मांग किस प्रकार पूरा करेंगे और क्या वे इसी प्रकार ही काम चलाते रहेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**डा० प० सुब्बरायन** : उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकार कुछ ऐसे विमान खरीदने का विचार कर रही है जोकि कम लागत पर चलेंगे और जिनसे जनता की मांग भी पूरी हो जायेगी।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह बात सच है कि यातायात की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए गौण मार्गों की कुछ शटल सेवायें जैसे कि मद्रास-मदुरै मार्ग, १-४६-२ से समाप्त कर दी जायेगी?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि कुछ विमानों को चालन के योग्य न होने के कारण खड़ा कर दिया गया है, और यदि हां तो क्या यातायात में कठिनाई पैदा हो जाने का एक कारण यह भी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : किसी भी विमान को मरम्मत और सफाई के सिवा किसी अन्य कारण से खड़ा नहीं किया गया। कभी कभी पुर्जे उपलब्ध नहीं होने के कारण भी उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। वाइकाउन्ट और फौकर विमान उक्त दो कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से खड़े नहीं किये गये हैं। कुछ डकोटा विमानों को पुर्जे न मिलने की वजह से भी खड़ा रहना पड़ा है।

†**श्री साधन गुप्त** : यह कहा गया है कि वाइकाउन्टों के स्थान पर बड़े विमान लाये जायेंगे इस प्रयोजन के लिये कौन से विमानों का उपयोग किया जायेगा।

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह बात अभी विचाराधीन है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्री माथुर ने अपने प्रश्न के भाग (घ) में प्रतीक्षा सूची का जिक्र किया है तथापि इसका इस उत्तर में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। क्या यह सच है कि यात्री क्षमता में कमी के कारण मुख्यमार्गों में प्रतीक्षा सुची बहुत लम्बी रहती है और सामान्य यात्रियों के लिये स्थान मिलना बहुत कठिन होता है। इस संबंध में सरकार ने निगम को पूर्ववर्तितायें निश्चित करने के लिये क्या अनुदेश दिये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली मुझे केवल यह जानकारी मिली है कि पिछले महीने के दौरान प्रतीक्षा सूची में काफी कमी हो गयी है। पूर्ववर्तिता स्थान के आवेदन के क्रम से ही निश्चित की जाती हैं। निस्संदेह सरकारी अधिकारियों तथा संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या यह सच है कि एयर इंदिया इंटरनेशनल ने मुख्य मार्गों की सेवायें अपने हाथ में लेने तथा उन्हें बिना घाटे के चलाने की कोई योजना रखी थी। क्या सरकार ने उनकी बात स्वीकार कर ली, यदि नहीं तो क्यों ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है वे बिना घाटा उठाये हुए इन सेवाओं को नहीं चला सकते हैं क्योंकि वास्तविक व्यय काफी अधिक है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पांच फौकर फ्रेंडशिप विमानों में से, जिन्हें आसाम में चलाने के निमित खरिदा गया था एक को छोड़ कर अवशेष सभी वापस ले लिये गये हैं, यदि हां तो इसका कारण क्या है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : एक मार्ग में उसके स्थान पर डकोटा को रखा गया है। तथापि जहां तक मुझे ख्याल है पिछले महीने से यह सेवा पुनः चालू कर दी गयी है।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :** नागपुर से जनता की इस मांग के बावजूद कि वहां दिन की सेवा आरम्भ की जाये, दिल्ली से हैदराबाद की वाइकाउन्ट सेवा नागपुर के लिये उपलब्ध क्यों नहीं कर दी जाती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह ज्ञात हुआ है कि रात्रि की डाक सेवा जो नागपुर में रुकती है उससे स्थानीय जनता की मांग पूरी हो जाती है । बम्बई और कलकत्ता मार्ग में चलने वाले वाइकाउन्टों का रुकना व्यय की दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ा ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय उपमंत्री के वक्तव्य के अनुसार संसद् सदस्यों को भी पूर्ववर्तिता दी जाती है, मैं यह बताना चाहता हूं कि उन्हें इस मामले में पूर्ववर्तिता नहीं दी जाती है । मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों को छोड़ कर किसी को पूर्ववर्तिता नहीं दी जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इसका फायदा उठायेंगे और इसका प्रयत्न करेंगे कि संसद् सदस्यों को भी यह अधिकार प्राप्त हो ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** कई संसद् सदस्य मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें उ सहायता करने का प्रयत्न करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं संसद सदस्यों को सलाह देता हूं कि वे इस रियायत का उदारता से लाभ उठायें ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** मैं कह सकता हूं कि किसी भी अवसर पर संसद् सदस्य को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया । अतः यह वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिये ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** हम मंत्री महोदय तक क्यों जायें ?

†**श्री हेम बरुआ :** ऐसे कई सदस्य हैं जो मंत्री तक नहीं जाना चाहते हैं ।

†**श्री नाथ पाई :** इससे पक्षपात की भावना फैलती है ।

†**श्री हेम बरुआ :** निस्संदेह इससे पक्षपात और फिरकापरस्ती पैदा होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वे मंत्री महोदय तक नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है भाविष्य में मंत्री महोदय को संसद सदस्यों की ओर से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । तथापि मेरे विचार से सारे सदस्यों का यह मत नहीं है । उनको रियायतें मिलनी चाहियें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यदि कांस्टीलेशन सेवा कलकत्ता और बम्बई के बीच सस्ती है तो यह दिल्ली और बम्बई और दिल्ली और कलकत्ता के बीच सस्ती क्यों नहीं है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जैसाकि कहा गया है, बम्बई और कलकत्ता के बीच वाईकाउण्ट चल रहा रहा था उसे दिल्ली और कलकत्ता और दिल्ली और बम्बई के बीच के मार्गों पर प्रयोग करना पड़ा । और क्योंकि एक वाइकाउण्ट कोलम्बो में खराब हो गया था अतः सुपर कांस्टीलेशन का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था, चाहे इसका खर्चा बहुत ज्यादा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह समझा जाये कि यह घाटे पर चल रहा है ।

†**श्री नाथ पाई:** श्रीमान् जी, इस आरक्षण (रिज़र्वेशन) ने हम सब को चक्कर में डाल दिया है । आपने अभी कहा है कि हम नहीं चाहते कि मन्त्रियों के लिए विशेष आरक्षण (रिज़र्वेशन) व्यवस्था हो । मैं केवल एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं । हम नहीं चाहते कि हम लोगों के समक्ष इस रूप

†मूल अंग्रेजी में

में जायें कि ऐसा लगे कि हम किसी विशेष वर्ग के लोग हैं। और हमें वे अधिकार प्राप्त हैं जो आम लोगों को नहीं हैं। हम बचना चा ते हैं। आगे ही विशेष अधिकार प्राप्त करने के कारण हमारी निन्दा हो रही है। जो कठिनाइयां हमारे सामने आती रहती हैं उससे तो आप परिचित ही हैं। हम यह नहीं चाहते कि हर बात में यह विचार हो कि हम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरा यह मतलब नहीं कि संसद् के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। मेरा कहना यह था कि सीटों का अलाटमेंट आवेदन पत्रों के क्रम के अनुसार होता है। परन्तु जब किसी विशेष और आवश्यक कार्य के लिये किसी संसद्-सदस्य तथा किसी अन्य व्यक्ति को कोई सीट लेनी होती है तो इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन वाले अथवा कोई अन्य उनकी सहायता करते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरे राज्य में अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती है। एक सीट हर समय दिल्ली आने वाले अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखी जाती है, परन्तु संसद्-सदस्यों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। कई बार सीट न मिलने के कारण हम किसी विशेष समिति की बैठक में भाग लेने से भी वंचित रह जाते हैं। अधिकारियों के लिये तो प्राथमिकता है परन्तु संसद्-सदस्यों के लिए नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** संसद्-सदस्यों को बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य अलग अलग बातें कह रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं सदन के सदस्यों को यहां पहुंच पाने के हेतु कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। लगभग ८ लाख व्यक्ति एक प्रतिनिधि यहां भेजते हैं उसे उन लोगों की ओर से यहां अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। माननीय सदस्य इस पर भावावेश में क्यों आते हैं? यह मैं जानता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य फिजूल विमान में घूमना पसन्द नहीं करेंगे। खास खास मौकों की बात अलग है। मेरे दो सीटों के भरने का अधिकार तो सरकार को है। यदि मेरी इस मामले में सहायता न की जाती तो मैं संसद् के उद्घाटन के समय यहां नहीं पहुंच सकता था। अतः हमें यह रियायत छोड़नी नहीं चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्हें संसद्-सदस्यों को संसद् में आने अथवा समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए आने के उद्देश्य से कम से कम इतना अवश्य मान लेना चाहिए कि वह महत्व के अधिकारी हैं। और दो तीन सीटें यदि इस उद्देश्य के लिए आरक्षित भी रहें तो कोई हर्ज नहीं। यह विशेषाधिकार राष्ट्र के हित की दृष्टि से ठीक ही है।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या संसद्-सदस्यों के लिए सार्वजनिक हित में सरकारी अधिकारियों की तरह एक दो सीटें आरक्षित करने पर कोई आपत्ति है?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने भी यही सुझाव दिया है। दो से इसे तीन कर लिया जाय और एक संसद्-सदस्य के लिए आरक्षित रहे।

### "हैरन" विमान

†*२५. **डा० सामन्त सिंहार :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 'हैरन' विमान बेचने का कब फैसला किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन में से अब तक कितने विमान बेचे जा चुके हैं और प्रत्येक विमान कितने मूल्य में बेचा गया है ;

(ग) यह बात कब मालूम हुई थी कि ये विमान लाभदायक नहीं हैं; और

(घ) उन को बेचने के बारे में पहले निर्णय किये जाने में क्या कठिनाई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

***असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) नवम्बर में १९५७ ।

(ख) एक का ५,१९,८७० रुपये ।

(ग) नवम्बर, १९५७ में ।

(घ) 'हैरन' विमानों को नय वायु मार्गों की जरूरतें पूरा करने के विचार से खरीदा गया था । निगम ने उनकी उपयोगिता का अनुमान लगाने में केवल दो वर्ष का ही समय लगाया ।

†**डा० सामन्तसिंहार** : यह विमान किस कीमत पर खरीदा गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्रत्येक का मूल्य ८ से ९ लाख रुपये है ।

†**डा० सामन्तसिंहार** : जब इनसे कुछ लाभ नहीं हो रहा था तो उसे बेचने के लिये दो वर्ष का समय क्यों लगाया गया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मार्गों को ठीक ठाक करने और व्यय का अनुमान लगाते कुछ समय तो लग ही जाता है। जब इन्हें खरीदा गया था तो विचार कि यह चार इंजनों वाला विमान मार्गों पर अच्छा सिद्ध होगा । परन्तु दो वर्ष के बाद यह पता चला कि इसमें समय भी अधिक लगता है और इसकी कीमत भी बहुत ऊंची है ।

†**डा० सामन्तसिंहार** : क्या किसी अन्य देश अथवा सार्थ ने इससे पहिले भी इन विमानों को खरीद कर लेने के लिये पेशकश की थी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : १९५७ से इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन इन विमानों को बेचने में प्रयत्नशील है परन्तु इस दिशा में उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस "हैरन" विमान व्यापार में भारत सरकार को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस प्रश्न का उत्तर देना तो सम्भव नहीं क्योंकि जो हानि हुई वह प्रत्येक वर्ष इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की कुल हानि का एक अंग है । यह हानि १९५७ से प्रतिवर्ष हो रही है। १९५५, १९५६, १९५७ और १९५८ में जो हानि हुई वह माननीय सदस्य देख सकते हैं। परन्तु एक विमान के कारण कितनी हानि हुई यह ब्यौरा सम्भव नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री इस मद के अन्तर्गत भी हानि बताने की स्थिति में नहीं हैं। अलग से प्रश्न पूछा गया तो वह यह जानकारी प्राप्त करके बता सकेंगे ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह तो "हैरन" विमानों की बात है। व्यापारिक लेखों में हर मद का भिन्न भिन्न ब्यौरा होता है और माननीय मन्त्री को इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में होना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सारे तथ्य तो इस समय उनके पास हैं नहीं । यदि माननीय सदस्य आग्रह करते हैं तो मैं अन्य प्रश्न की अनुमति दे दूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस विमान को किस देश और किस सार्थ से खरीदा था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : नहीं, इसे भारत में ही खरीदा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : किस सार्थ से इसे खरीदा गया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इण्डियन स्टील कारपोरेशन ।

†**एक माननीय सदस्य** : केवल एक ।

†**श्री हेम बरुआ** : भारत सरकार विभिन्न प्रकार के विमानों से 'प्रयोग' क्या कर रही है, जब कि अन्तोगत्वा वे लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह हो सकता है कि कई बार व्यापारिक दृष्टि से की गयी खरीद सफल सिद्ध न हो । यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि यह भूल थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इस मन्त्रालय से सम्बद्ध कोई गवेषणा विभाग है जो खरीद के पहिले इस बारे में विचार करता है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी हां, श्रीमान् ।

मामले का काफी परीक्षण किया गया । विमान प्रयोग करने वाले देशों के प्रतिवेदन देखे गये और फिर विभिन्न विशेषज्ञों ने इसकी सिफारिश की थी । परन्तु अन्तोगत्वा यह असफल रहा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : आरम्भ में कितने विमान खरीदे गये थे और कितने बेच दिये गये और कितने अभी इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : आठ खरीदे गये थे, एक बेच दिया गया और ७ अभी बाकी हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह 'हैरन' के साथ ही नहीं हुआ है । स्काई-मास्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ था ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : 'स्काई मास्टर' विमान बहुत लाभदायक है और गत कई वर्षों से बहुत अच्छी प्रकार से नेफे में चल रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : परन्तु अन्तोगत्वा पता चला कि वह हमारे मौसम के अनुकल नहीं है ।

## छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

†*२६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में छोटी लाइनों[1] के स्थान पर बड़ी लाइनें बनाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सरकार अपने स्वामित्व की छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने, या उनको बन्द कर देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Narrow gauge line.

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** यदि यह प्रश्न विचाराधीन है, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, तो क्या विद्युतीकृत हो चुकने वाले स्थानों के अत्यंत निकट होने वाली छोटी लाइनों—अनुमान है कि रानाघाट तक विद्युतीकरण होगा जैसे शान्तिपुर की छोटी लाइन को निकट भविष्य में बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** वह इस पर निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र विशेष में संचार के अन्य साधन कितने हैं प्रत्येक मामले पर अलग अलग विचार किया जाता है, उसके अपने गुण-दोषों के आधार पर ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि उसका निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र में संचार के अन्य साधन कितने हैं । उस क्षेत्र के यात्री और माल-यातायात को देखते हुए, नवद्वीपघाट तक संचार के साधन बहुत कम हैं । क्या विचार करते समय इस लाइन को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

†**डा० मा० श्री० अणे :** क्या नागपुर से उमरेड़ी तक की लाइन को बड़ी लाइन में बदला जायेगा, या उसके समानान्तर एक बड़ी लाइन डाली जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इतनी ब्यौरेवार चर्चा होगी ? देश में कितने मील लम्बी छोटी लाइन है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** ३१८० मील ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तब क्या मुझे ३,००० प्रश्नों की अनुमति देनी पड़ेगी ?

†**डा० मा० श्री० अणे :** मैंने इस लाइन विशेष के बारे में समाचारपत्रों में पढ़ा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय मंत्री के पास सूचना हो, तो उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री शाहनवाज खां :** अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या हावड़ा-अम्टा और हावड़ा-सियाखला लाइट रेलवेज़ के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के सम्बन्ध में उन लाइनों की दशा की जांच-पड़ताल करने वाली जांच समिति ने जांच पूरी कर ली है और सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इसके लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ब्यौरे से सम्बन्धित प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा । मूल प्रश्न में तो एक सामान्य बात पूछी गई थी कि क्या छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है । और उसका उत्तर दिया जा चुका है कि प्रश्न विचाराधीन है । मैं हर सौ-पचास मील लम्बी छोटी लाइन के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । अगला प्रश्न ।

**डा० गोविन्द दास:** मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि नैरो गेज की जितनी भी (छोटी) लाइनें हैं उन सब पर इकट्ठा विचार किया जा रहा है या पहले कुछ खास लाइनें ली जायेंगी और उन के बाद दूसरी ली जायेंगी । इस सम्बन्ध में क्या विचार हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम):** इसमें दो तीन तरह की लाइनें हैं। कुछ तो ऐसी नैरो गेज लाइनें हैं जो हिल (पर्वतीय) रेलवेज हैं। उन के गेज को बदलने का सवाल पैदा नहीं होता। वहां तो उन्हीं को चलाना होगा। इस के अलावा कुछ लाइनें ऐसी भी हैं जिन का माइलेज बहुत छोटा है और वहां पर सम्भव है कि रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा बढ़ गया हो अगर वहां रेलवे के चलाने की जरूरत नहीं हुई तो सम्भव है वह रेलवे खत्म हो जाय। इस के बाद कुछ ऐसी रेलवेज़ हैं जहां पर ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां पर सम्भव है उन से काम चलने वाला न हो। वहां पर उसको बदलने की बात सोची जायेगी तब विचार किया जायेगा कि उस को मीटर गेज किया जाय या ब्राड गेज किया जाय। इस लिये सभी रेलवेज पर कोई एक निर्णय सम्भव नहीं है। वह तो हर एक के ऊपर अलग अलग विचार कर के ही किया जा सकता है।

†**श्री कालिका सिंह:** अभी तक कितने मील लम्बी छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदला गया है?

†**अध्यक्ष महोदय:** क्या माननीय मंत्री को जानकारी है?

†**श्री जगजीवन राम:** जी, नहीं। अलग से सूचना चाहिये।

**चलती रेलगाड़ी में हजारीबाग के पास हत्या**

†*२७. **श्री प्र० गं० देव:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ३ जनवरी, १९६२ को कोडरमा और हजारीबाग स्टेशनों के बीच चलती रेलगाड़ी में चार व्यक्तियों की हत्या हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख). जी, हां। लेकिन वह घटना २९ और ३० दिसम्बर के बीच की रात में हुई थी। उसका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

एक ट्रेन के गार्ड ने ३०-१२-१९६१ की सुबह पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट दी कि जब उसकी गाड़ी निमियाघाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच जा रही थी, तब उसने रेलवे लाइन के पास दो शव पड़े देखे थे। साथ ही, धनबाद के कन्ट्रोलर के पास एक सूचना हजारीबाग रोड स्टेशन से आई कि हिरोडीह और सरमातण्ड स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के पास एक पुरुष का शव मिला और उसी के पास दूसरा घायल पुरुष अचेतावस्था में पड़ा था। घायल व्यक्ति को चिकित्सा के लिये तुरन्त हजारीबाग ले जाया गया। सरकारी रेलवे पुलिस को तत्काल सूचित कर दिया गया और चारों शव उठवा लिये गये थे;

(१) निमियाघाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच एक पुरुष और एक स्त्री के दो शव मिले;

(२) सरमातण्ड और हिरियाघाट स्टेशनों के बीच भी एक पुरुष और एक स्त्री के दो शव मिले।

जिस घायल व्यक्ति को पहले हजारीबाग अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसे बाद में अधिक अच्छी चिकित्सा के लिये कलकत्ता भेज दिया गया था। अब उसकी हालत धीरे-धीरे सुधर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस घटना के लिये जिम्मेदार बड़े खतरनाक क़िस्म के अपराधियों के एक गिरोह का पता पुलिस ने काफी दौड़-धूप के बाद लगा लिया है, और उस गिरोह के कुछ सदस्य गिरफ्तार भी किये जा चुके हैं।

†**श्री प्र० गं० देव :** देश भर की खास-खास गाड़ियों के साथ सशस्त्र पुलिस क्यों नहीं चलती ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उस पर बड़ा खर्च पड़ेगा। हां, लेकिन इस घटना के बाद बिहार में रात में चलने वाली सभी गाड़ियों के साथ सशस्त्र पुलिस भेजी जाती है।

†**श्री साधन गुप्त :** समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार से पता चला है कि एक मृत व्यक्ति को मालगाड़ी के गार्ड ने ले जाने से इन्कार कर दिया। यदि उसे ले जाया गया होता, तो वह बच सकता था। क्या सरकार ने इस तथ्य की सचाई के बारे में कोई जांच की है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह सूचना ग़लत है। चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ? और एक घायल हुआ था। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया था।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या वह कोई दूसरा व्यक्ति था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह सूचना तो ग़लत है यह उन्होंने बता दिया है।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या सम्बंधित व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, नहीं।

## विश्व ऋतुविज्ञान संगठन

†*२८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष नयी दिल्ली में विश्व ऋतुविज्ञान संगठन के अवलोकन उपकरण तथा पद्धति आयोग का तृतीय अधिवेशन जनवरी-फरवरी में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग ने देश की वेधशालाओं के उपकर के आधुनिकीकरण के कौन से प्रस्तावों पर विचार किया था ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). जी हां। भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग द्वारा निर्मित उपकरण प्रदर्शित किया गया था और आम तौर पर लोगों ने उसे पसंद भी किया था। आयोग ने यंत्र-निर्माण के क्षेत्र की सबसे हाल की कुछ सफलताओं पर विचार किया था और भारत तथा अन्य देशों में इस प्रकार के प्रयत्नों के पथ-प्रदर्शन के लिये ३८ संकल्प और सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। चौदह कार्यकारी दल बनाये गये हैं, जिनमें भारत को यथेष्ट प्रतिनिधित्व मिला है और जो अन्तरावधि में ब्यौरेवार कार्य करते रहेंगे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या बैठक में होने वाली इन चर्चाओं के फलस्वरूप यह महसूस किया गया है कि वर्तमान आले-औजार और निरीक्षण के तरीके तथा वेधशालायें चलाने के तरीके ग़लत हैं और सरकार उनको किस प्रकार ठीक करेगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** विज्ञान के क्षेत्र में तो निरीक्षण के आले-औजार और विधियां में लगातार सुधार होता रहता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि विदेशों से आने वाले लोग भी हमारे निरीक्षण के आले-औजारों और निरीक्षण विधियों की सराहना करते हैं। उनमें सुधार किया जायेगा और हर रोज किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सा० चं० सामन्त** : क्या प्रदर्शित ग्राले-ग्रौजार पुराने जमाने के थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी, नहीं । इसी जमाने के, ग्रभी हाल के । ग्रौर उनमें हाल में किये सुधारों का भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया था ?

**भारत-पाक रल-सेवा**

†२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री २९ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-पाक रेल सेवा के संबंध में निर्णय करने में ग्रब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मामला ग्रभी विचाराधीन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत ग्रौर पाकिस्तान सरकारों की राह में क्या कठिनाइयां हैं जिन के कारण वे कोई फैसला नहीं कर सकतीं । क्या यह प्रस्ताव ग्रस्वीकार किया जायेगा या स्वीकार ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम विभिन्न राज्य सरकारों से सलाह कर रहे हैं ग्रौर उन की राय मालूम कर रहे हैं । हम समय पर निर्णय कर देंगे ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : क्या इस पर चर्चा नहीं हुई थी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : समझौते का ग्रनुसमर्थन करने या न करने के बारे में ठीक समय पर निर्णय किया जायेगा।

†**श्री नाथ पाई** : कौन से राज्यों से परामर्श किया जा रहा है । इस मामले से राज्यों का क्या सम्बन्ध है ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मुझे याद है इस मामले पर प्रश्नों के समय चर्चा हुई थी । उन से ज़ाहिर होता था कि बहुत से सदस्य पाकिस्तान के साथ इस सम्बन्ध के पक्ष में नहीं थे ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कुछ हद तक हक में थे ग्रौर फिर कहा था कि वह राज्यों से परामर्श करेंगे । यदि माननीय सदस्य शीघ्र ही ऐसा चाहते हों . . .

†**श्री त्यागी** : नहीं ।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : ग्रन्य प्रश्न नहीं होने चाहिएं ।

†**श्री त्यागी** : सदन यह चाहता है कि पाकिस्तान काश्मीर के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है, उन्हें देखते हुए, इस प्रश्न पर विचार ही न किया जाये ।

†**श्री जगजीवनराम** : जैसा कि मैं ने श्री शर्मा के प्रश्न के उत्तर में कहा है, ग्रनुसमर्थन के बारे में ठीक समय पर निर्णय किया जायेगा ग्रौर उस समय श्री त्यागी द्वारा उठाई गई सब बातों को ध्यान में रक्खा जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्रालय द्वारा किया गया निर्णय सदन के सामने ग्रनुमोदन के लिए प्रस्तुत होगा ?

†**एक माननीय सदस्य** : निर्णय के होने से पहले ।

†**श्री जगजीवन राम** : ग्रन्तर्राष्ट्रीय करार सदन के सामने ग्रनुमोदन के लिए लाये जाते ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में, पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले विरोध प्रकट किया था, यदि हां, तो क्या यह इस को छोड़ने का एक कारण नहीं है और जो ठीक समय कहा गया है, वह कभी नहीं आयेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : किसी राज्य सरकार के सुझाव या प्रस्ताव या विरोध का इस प्रश्न के विचार में विलम्ब का कारण नहीं है । जैसा कि मैंने कहा है राज्य सरकारों सम्बन्धी सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय का उस समय निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : कारण यह है कि एक राज्य सरकार के विरोध के कारण इस प्रश्न का निर्णय नहीं किया जा रहा । क्या मैं जान सकता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । इस पर अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि वह उपमंत्री की बात का उलट कह रहे हैं । उपमंत्री ने कहा था कि विलम्ब इस कारण हो रहा है कि राज्यों से बातचीत हो रही है । अब मंत्री महोदय कहते हैं कि यह बात नहीं है । तथ्य क्या है ?

†**श्री जगजीवन राम** : इसी लिए मैं ने शुद्धि की है । निर्णय ठीक समय पर किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : पहलीं बार एक वचन दिया गया है—

†**श्री त्यागी** : क्या इस प्रश्न का निर्णय काश्मीर के झगड़े के निपटारे के बाद किया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे और कुछ नहीं कहना है ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

### खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता

†*३१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारत में खाद्यान्न की कुल उपज सब से अधिक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उस का संक्षिप्त ब्योरा क्या है; और

(ग) खाद्यान्नों के विषय में भारत के कब तक आत्म-निर्भर होने की आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). १९६१–६२ के सभी खाद्यान्नों के कुल उत्पादन के बारे में जानकारी कृषि वर्ष के समाप्त होने पर (जून १९६२) में उपलब्ध हो सकेगी ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि के समाप्त होने पर खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त होने का लक्ष्य है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह नीति स्वीकार कर ली गई है कि हम अपना उत्पादन बाहर से प्राप्त होनी सहायता के बराबर करें और यदि हां, तो हम ऐसा कब तक कर सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : उत्पादन बराबर करने का कोई सवाल नहीं। भारत खाद्यान्न में आत्म-निर्भर होना चाहता है और तीसरी योजना के अन्त से पहले आत्म-निर्भर हो जायेंगे ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर: अनुमानित उत्पादन क्या है जिस के कारण मंत्री महोदय ने यह निर्णय किया है कि विभिन्न पदार्थों विशेषकर गेहूं के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये सहायता दी जाये ?

†श्री स० का० पाटिल : ऐसी सहायता आवश्यक है क्योंकि किसान को अधिक उत्पादन के लिये सजा नहीं बल्कि इनाम देना चाहिये ।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना के समाप्त होते होते भारतवर्ष को बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा । यह काम यकायक तो नहीं होगा, पांच वर्ष इस में लगेंगे, यह धीरे धीरे होगा । तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि जो यह माल बाहर से मंगाया जाता है यह धीरे धीरे कम होता जायेगा और हर वर्ष वह कमी बढ़ती जायेगी ?

श्री स० का० पाटिल : दो वर्ष का अनुभव बताता है कि हम इस दिशा में तेजी से चल रहे हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं मूल्यों में सहायता का विरोध नहीं करना चाहता । किन्तु मेरा विचार है कि यह अनुमानित अत्याधिक उत्पादन होने की आशा के कारण दी गई है । क्या महोदय बता सकेंगे कि इस समय मंत्रालय के पास क्या अनुमान है ?

†श्री स० का० पाटिल : इस विषय में कुछ गलतफहमी है । मूल्यों में सहायता देना और बात है । यह निम्नतम मूल्य है । इस में और मल्यों में सहायता में जैसा कि यह बहुत से देशों में विशेषकर कृषि के मामले में उन्नत देशों में है, अन्तर है इस का अर्थ केवल यह है कि यदि मूल्य उल्लिखित मूल्यों से कम हों जायें, तो सरकार मंडी में खरीद कर किसानों की रक्षा करेगी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह बात ठीक है, किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि——

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि देश में खाद्यान्न के उत्पादन में कितना आधिक्य है ?

†श्री स० का० पाटिल : अभी यह केवल गेहूं पर लागू होता है । गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है । ऐसे उदाहरण भी थे जब कि मूल्य उस से भी गिर गये थे और किसानों को हानि पहुंचने की आशंका थी । इसी लिये यह किया गया है । किन्तु इस का प्रभाव इस से अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा कि किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन करने का आश्वासन दिया जाये ।

†श्री त्यागी : क्या गेहूं का निम्नतम मूल्य निर्धारित करते समय सरकार ने किसान द्वारा गेहूं के उत्पादन में लागत अनुपात को ध्यान में रखा है ?

†श्री स० का० पाटिल : यह एक पड़ा प्रश्न है, क्योंकि सब कृषि उपज सम्बन्धित विषय हैं । हम केवल गेहूं को नहीं ले सकते, किन्तु हम ने प्रयोगात्मक तरीके से ऐसा किया ह और यदि हम सफल हुए, तो यह अन्य कृषि उपज पर भी लागू हो सकता है । एक उचित सर्वेक्षण किया जायेगा और जैसा कि मेरे मित्र श्री त्यागी ने कहा है कि उत्पादन लागत का सर्वेक्षण भी किया जाये ।

†मूल अंग्रेजी में

**श्री विभूति मिश्र** : मंत्री जी ने कुछ दिन पहले आश्वासन दिया था कि प्राइस फिक्सेशन बोर्ड बनायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उन को इस काम में कहां तक सफलता मिली है? मैं ने यह भी सुना है कि यह मामला जा कर प्लानिंग कमीशन में अटक गया है। उस को मंत्री जी कहां तक सुलझने में सफल हुए हैं ?

**श्री स० का० पाटिल** : वही तो मैं ने अपने उत्तर में कहा कि यदि यह चीज सारी कमोडिटीज के लिये करनी होगी तो उस के लिये बोर्ड बनाने की जरूरत होगी।

## मद्रास राज्य में बच्चों की मृत्यु

+

†*३२. **श्री प्र० गं० देव** :
**डा० सामन्तसिंहार** :
**श्री न० म० देव** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ जनवरी, १९६२ को मद्रास राज्य में दही मिले हुए चावल खाने के कारण कुछ स्कूल के बच्चों की मृत्यु हो गई; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मद्रास राज्य में तिरुनुवेली जिले, कुरुविकुलम खंड के अत्थीपत्ती ग्राम में जूनियर बेसिक स्कूल के चालीस बच्चों में से चार बच्चों की १६ जनवरी, १९६२ को मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हों ने 'केअर' के दूध पाउडर से तैयार किये हुए दही के साथ दोपहर को खाना खाया;

(ख) (१) जिन बच्चों पर इस का प्रभाव हुआ था उन की औषधि और चिकित्सा का प्रबन्ध शीघ्र कर दिया गया।

(२) दूध पाउडर इत्यादि के विश्लेषण होने तक सावधनी के तौर पर दूध-पाउडर का उपयोग बन्द कर दिया गया था।

(३) सूखे दूध के तथा बन्द दूध के नमूनों के रसायन, बिण तथा रोगाणु सम्बन्धी परीक्षणों से विदित हुआ है कि सूखा दूध मनुष्य के प्रयोग के लिये ठीक है। इसलिये सरकार ने अनुदेश दिये हैं कि कीटाणुओं से रोग फैलने को रोकने के लिये 'केअर' का सूखा दूध केवल उबाल कर ही दिया तथा प्रयोग किया जाये।

यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या मध्याह्न भोजन केन्द्रों के लिये पुनः बनाये गये दूध से दही बनाने से पहले कुछ और सावधानी करने की आवश्यकता है।

†**श्री प्र० गं० देव** : मुझे इस पर आश्चर्य है। सरकार ने अमरीका संस्था "केअर" जिस ने यह दूध भेजा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री हाथी** : कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि परीक्षण से पता चला कि सूखा दूध शुद्ध था तथा मनुष्य के प्रयोग के लिये ठीक था। सूखे दूध में कुछ खराबी नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० गं० देव** : मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे देशों से खाने की वस्तुयें जो मंगवाई जाती हैं उनके देश में प्रयोग के लिये मुफ्त वितरण से पूर्व उनके गुण की जांच की जाती है ? मैं विशेषकर उन वस्तुओं की ओर संकेत करता हूं जो मुफ्त बांटने के लिये आती हैं।

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने कहा है, सूखा दूध और बन्द पैकिटों की जांच की गई थी और पता चला कि सूखा दूध मनुष्यों के प्रयोग के लिये ठीक था। इन की परीक्षा होती है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दूध और चावल तो ठीक थे परन्तु जिस व्यक्ति ने दही और चावलों को मिलाया था उसके हाथों में बुरी तरह खुजली हो रही थी जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हो गई। यदि हां, तो पूरी निगरानी न करने के लिये प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ?

†**श्री हाथी** : मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यह तो राज्य सरकार से सम्बन्धित है। मैं राज्य सरकार को यह जानकारी भेज दूंगा।

†**डा० सामन्त सिंहार** : क्या उन बच्चों के, जिन्होंने यह खाया था, आमाशय की जांच की गई थी, यदि हां, दो क्या नतीजा निकला ?

†**श्री हाथी** : सूखे दूध का परीक्षण किया गया था।

†**डा० सामन्त सिंहार** : मैंने पूछा है कि क्या आमाशय की जांच की गई थी ?

†**श्री हाथी** : बच्चों की मृत्यु के पश्चात् उनकी आंतों आदि की जांच की गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि जांच से क्या पता चला।

†**श्री हाथी** : रोगाणु संक्रमण[1]।

†**श्री हेम बरुआ** : मंत्री जी ने कहा है कि रोगाणु संक्रमण का पता चला था। कहां पता चला था। क्या यह सूखे दूध में या मिलावट में या और कहीं था ?

†**श्री हाथी** : तीन चीजों का परीक्षण किया था। सूखे दूध का परीक्षण भी किया था। वह तो ठीक था। उस में कोई खराबी नहीं थी। तब आंतों आदि का परीक्षण किया था और पता चला था कि रोगाणु संक्रमण था। तो यह निष्कर्ष निकला कि चूंकि दूध ठण्डे पानी में तैयार किया था और उबले हुए पानी में नहीं, तो हो सकता है इससे दहीं में ही रोगाणु संक्रमण हो गया।

## बहुप्रयोजनीय खाद्य पाउडर

†*३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहुप्रयोजनीय खाद्य पाउडर का निर्माण करने की दिशा में सरकार कोई प्रयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस पाउडर का किन चीजों से निर्माण किया जा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के आधीन है, ने एक अधिक प्रोटीन वाला अनुपूरक खाद्य तैयार किया है जिसका नाम "भारतीय बहुप्रयोजनीय खाद्य" रखा गया है।

---

†मल अंग्रेजी में

[1] Bac teriological infection.

(ग) भारतीय बहुप्रयोजनीय खाद्य की रचना इस प्रकार है :—

(१) कम चर्बी वाला मूंगफली का खाने वाला आटा . . ७५ प्रतिशत

(२) बंगाल चनों का आटा . . २५ प्रतिशत

इसे विटामिनों और खनिजों से संपुष्ट किया गया है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बहुप्रयोजनीय खाद्य इतना सस्ता होगा कि भारत में साधारण व्यक्ति इसका प्रयोग कर सके ?

†**श्री अ० म० थामस :** हमारा ख्याल है कि साधारण व्यक्ति भी इसे खरीद सकेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** एक वैसा ही बहुप्रयोजनीय खाद्य पहले भी तैयार किया गया था । यह लोकप्रिय नहीं हो सका । इसीलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

†**श्री अ० म० थामस :** यह विधायित और सुरक्षित खाद्य पदार्थ है जिसकी पौष्टिक शक्ति वैसी है जैसी कि उस बहुप्रयोजनीय खाद्य पदार्थ की जोकि अमरीका में "मील्ज फॉर मिलीअन फाउंडेशन" द्वारा बांटा जाता है । यह केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्था, मैसूर में बनाया गया है । हमने उपभोक्ताओं पर तजुरबे भी किये । यह बहुत लोकप्रिय है । सदन को पता है कि हमारी खुराक में प्रोटीन की कमी है । इसी कमी को पूरा करने के लिए इस बहुप्रयोजनीय खाद्य का प्रयोग किया जाता है ।

## कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र

†*३४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विशेष पदाधिकारी ने, जो कांडला पत्तन का इस दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त किया गया था कि उसके एक भाग को निर्बाध व्यापार क्षेत्र घोषित किया जा सके, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). विशेष पदाधिकारी का प्रतिवेदन जनवरी, १९६२ के अन्त तक मिला । यह गोपनीय रखा जा रहा है और इस समय विचाराधीन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सभी ऐसे प्रतिवेदन गोपनीय रखे जाते हैं या क्या इस प्रतिवेदन के बारे में कोई विशेष बात है जो कि इसे गोपनीय रखना है ?

†**श्री राज बहादुर :** मंत्रिमंडल की इच्छा है कि इस योजना के प्रभावों का विस्तार से अध्ययन किया जाये । इसलिए यह उचित है कि जब तक केबिनेट द्वारा इस पर विचार न हो जाये तब तक इसे गोपनीय रखा जाये । जब तक इस पर विचार नहीं हो जाता, तब तक उसमें लिखी गई बातों को जाहिर करना व्यावहारिक नहीं है ।

†**श्री सोमजी :** क्या सरकार को पता है कि इस विशेष देरी के कारण देश में ऐसी भावना होती जा रही है कि निर्बाध व्यापार क्षेत्र के विषय में सरकार उतनी उत्साहित नहीं जितनी कुछ समय पहले थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार में सरकार को योजना के हर पहलू पर विचार करने का मौका दिये बिना हमें शीघ्र किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए ।

†**श्री खीमजी** : सरकार का निर्णय कब तक घोषित किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्री राज बहादुर** : ज्यों ही प्रतिवेदन पर विचार समाप्त होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि कितना समय लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं सही समय नहीं बता सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई आरक्षक वर्ग बनाने का इरादा रखती है कि यह निर्बाध व्यापार क्षेत्र कलकत्ता पत्तन की तरह तस्कर व्यापारियों और दूसरे समाजविरोधी तत्वों का घर न बन जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : जिस प्रकार की सुरक्षा का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उस के लिए उचित व्यवस्था की जायेगी । परन्तु इसका ब्यौरा क्या होगा इस पर विचार करना होगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या लाभ हैं जिस ने सरकार को निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने के लिये प्रेरित किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : उस क्षेत्र में बहुत से विस्थापित व्यक्ति रहते हैं । औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने और उन लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिये ऐसा किया गया है ।

†**श्री त्यागी** : क्या बम्बई और कलकत्ता जैसे पत्तनों में भी यह अपनाया जा सकता है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम एकदम ही कई पत्तनों में यह योजना लागू नहीं कर सकते । हम पहले एक में अपनायेंगे फिर दूसरे क्षेत्रों में भी आरम्भ करेंगे ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### वाइकाउन्ट विमान

†*३०. **श्री अगाड़ी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाइकाउंट विमानों के स्थान पर आधुनिक और बड़े विमान चलाने के प्रश्न पर निर्णय हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने निश्चय किया है कि मुख्य मार्गों पर वाइकाउंट विमानों के स्थान पर बड़े विमान चलाने की आवश्यकता है । विमान किस किस्म के हों या कितने विमान खरीदे जायें, इस बारे में कोई निश्चय नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**वाइकिंग की बिक्री**

†*३५. **श्री अगाड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने वाइकिंग एवं उसके पुर्जों की बिक्री के लिये किस देश व फर्म से एवं कितनी राशि का करार किया है;

(ख) क्या उनका प्रदान (डिलीवरी) हो गया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि वसूल की गई है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने वाइकिंग विमान और उनके पुर्जे ८ लाख रुपये में मेसर्स बनवारी लाल एण्ड को० (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा बेचे थे। यह कम्पनी १९१३ के भारतीय कम्पनी अधिनियम संख्या ७ के अन्तर्गत निगमित हुई थी। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय क्वीन्स मेन्सन, वासशन रोड, फोर्ट, बम्बई-१ में है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) मेसर्स बनवारी लाल एण्ड को० वे दो वाइकाउन्ट विमान नहीं दे सके जिनके बदले वाईकिंग विमान और उनके पुर्जे उन्हें दिये जाने थे।

**सिंचाई के लिये पानी का शुल्क**

†१७. **श्री सूपकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न फसलों के लिये एवं विभिन्न प्रकार की भूमि के लिये विभिन्न राज्यों में सिंचाई के लिये पानी का अधिकतम शुल्क लिया जाता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : उन क्षेत्रों में, जहां देश की सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं से पानी मिलता है, पानी की दरों के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८].**

**रिफालेश्वर-नजरबाग स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) पर दुर्घटनाएं**

†१९. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के वांकानीर मूर्वी सेक्शन में रिफालेश्वर और नजरबाग स्टेशनों के बीच ऐसे फाटक पर जिसकी देखभाल कोई व्यक्ति नहीं करता २३ दिसम्बर, १९६१ को कोई गम्भीर दुर्घटना हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). दुर्घटना का ब्यौरा देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

लगभग १३.५० बजे, जबकि ४१० डाउन यात्री गाड़ी पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन में वांकानेर नवलखी सेक्शन पर रिफलेश्वर और नजरबाग स्टेशनों के बीच जा रही थी, इसका इंजन

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात सरकार के सिंचाई विभाग की एक जीप से टकरा गया । यह दुर्घटना के० एम० २२/८ पर फाटक संख्या २३ पर हुई थी जहां कि कोई रेलवे कर्मचारी नहीं रहता ।

इसके फलस्वरूप जीप मे बैठे चार व्यक्तियों में दो व्यक्ति वहीं मर गये और बाकी दोनों व्यक्तियों के गहरी चोटें आईं । उसी गाड़ी से यात्रा कर रहे राज्य सरकार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रथमोपचार देने के बाद दोनों घायलों को उसी गाड़ी से मूर्वी ले जाया गया । मूर्वी में वहां के असिस्टेन्ट सर्जन ने उनकी और मरहम पट्टी की । उसके बाद उन्हें अम्बुलेन्स कार से सरकारी अस्पताल भेज दिया गया । बाद में शाम को दोनों घायल व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

टक्कर जीप के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई थी क्योंकि वह रफ्तार अधिक तेज होने के कारण उसे रोक न सका ।

## दिल्ली के लिये तापीय संयंत्र

†२०. **श्री प्र० गं० देव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में तीन तापीय उद्जनन इकाइयां स्थापित करने के लिये एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने के बारे में निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). दिल्ली में ५०, ५० एम० डब्ल्यू० के तीन तापीय उद्जनन इकाइयां स्थापित करने के लिये एक नियंत्रण बोर्ड बनाने के प्रश्न पर एक मीटिंग में विचार किया गया था जो २८-१०-१९६१ को हुई थीं । इस मीटिंग में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय, गृह-कार्य मंत्रालय, पंजाब सरकार, पंजाब का राज्य विद्युत् बोर्ड, और दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया था परन्तु शर्त यह थी पंजाब सरकार और दिल्ली नगर निगम भी उस से सहमत हो जायें । इस बीच पंजाब सरकार की औपचारिक सहमति प्राप्त हो गई है । दिल्ली नगर निगम का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

## मांडला फोर्ट में दुर्घटना

†२१. { **श्री प्र० गं० देव :**
**श्री दी० चं० शर्मा :** }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांडला फोर्ट नैनपुर सैक्शन में १२ दिसम्बर, १९६१ को एक गम्भीर दुर्घटना हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कुल कितने व्यक्ति घायल हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) हां ।

| | |
|---|---|
| (ख) मृत | १ । |
| घायल : | |
| सख्त | ६ । |
| मामूली | ३९ । |

†मूल अंग्रेजी में

**लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में हड़ताल**

†२२. **श्री प्र० गं० देव : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६१ में लेडी हार्डिंग अस्पताल में कोई हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). इस कथित आधार पर कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज एण्ड अस्पताल कर्मचारी संघ तथा प्रबन्धक वर्ग के बीच हुए करार को लागू नहीं किया गया, संघ के कुछ सदस्यों ने ५ से १९ दिसम्बर, १९६१ तक हड़ताल की। कालेज की मुख्याध्यापिका के यह आश्वासन देने पर २० दिसम्बर, १९६१ की प्रातः हड़ताल समाप्त कर दी गई कि प्रबन्ध ने कर्मचारियों को हानि पहुंचाने की नीति कभी नहीं अपनाई और इसलिये हड़ताल समाप्त कर के काम पर लौटने वाले कर्मचारियों को हानि पहुंचाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मुख्याध्यापिका ने यह भी आश्वासन दिया कि वह संबंधित अधिकारियों से इसकी भी सिफारिश करेंगी कि वे हड़तालियों को काम पर लौटने पर वेतन तथा भत्तों का भुगतान करने के प्रश्न पर सहृदयतापूर्वक विचार करें। यह निश्चय किया गया कि हड़ताल के दिनों को मिल सकने वाली छुट्टी माना जाये।

**पुराने वाइकाउन्ट**

†२३. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया एयर लाइन्स कारपोरेशन ने अभी हाल चार पुराने वाइकाउन्ट विमान अर्जित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन की लागत क्या है; और

(ग) वे विमान कहां से अर्जित किये गये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) पुर्जों आदि का मूल्य मिला कर १४१.९० लाख रु० में लिये हैं।

(ग) नार्वे के मेसर्स फ्रेड आल्सेन।

**चीनी मिलों का आधुनिकीकरण**

†२४. **श्री प्र० चं० गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग विकास परिषद् ने यह निश्चय किया है कि चीनी मिलों के आधुनीकीकरण का प्रश्न, विस्तृत जांच के लिये, एक समिति के सुपुर्द किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समिति निर्मित कर ली गई है; और

(ग) समिति के यथार्थ निर्देश-पद क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्।

(ग) चीनी मिलों के संयंत्रों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता और उस पर होने वाले व्यय के प्राक्कलनों की जांच करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

## गेहूं की कीमतें

†२५. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश में गेहूं की बहुत अच्छी फसल होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या अभी हाल से गेहूं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो कीमतों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या दिल्ली में गेहूं के आटे की बहुत कमी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). आगामी गेहूं की फसल के बारे में अभी से यह नहीं बताया जा सकता कि कितनी होगी । हां, आज कल जो अनुमान है, वह यही है कि इस वर्ष भी फसल काफी अच्छी रहेगी ।

(ग) और (घ). गेहूं का मूल्य मौसम के कारण कुछ बढ़ गया है लेकिन मूल्य अब फिर गिर रहे हैं । सरकार गेहूं का मूल्य बढ़ना रोकने के लिये अपने स्टाक से गेहूं का वितरण बढ़ाने की कोशिश करती रही है ।

(ङ) कुछ समय से दिल्ली में गेहूं के आटे की कमी हो गई है परन्तु अब गेहूं का आटा बाजार में काफी मात्रा में नियंत्रित मूल्य पर मिलता है ।

## बाढ़ नियंत्रण कार्यवाही

†२६. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजपथों तथा निकटवर्ती क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त होने से रोकने के लिये कोई योचना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस के विस्तृत विवरण क्या हैं; और

(ग) इस योजना की क्या लागत है ?

†**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). योजनाओं के नाम और उन का प्राक्कलित व्यय निम्न है :—

| क्रम संख्या | योजना का नाम | प्राक्कलित व्यय (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| १ | नूह नाला योजना (नूह और उजीना नाला) | २०.८७ |
| २ | पहाड़ी कमान नाला योजना | ३१.८९ |
| ३ | गोवरधन नाला योजना | १५५.०० |
| ४ | गौंची नाला योजना | ४३.०० |
| ५ | कोसी-आरतेमिल नाला योजना | } राज्य सरकारें प्राक्कलन तैयार कर रही हैं । |
| ६ | सौन्ध नाला योजना | |

†मूल अंग्रेजी में

**ब्यास बांध परियोजना**

†२७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास बांध परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये जिन गांवों की भूमि को खाली करवा कर भूमि का अर्जन किया जाना है, उन की जिलेवार संख्या क्या है;

(ख) इन गांवों के निवासियों को किस स्थान पर पुन: बसाने की प्रस्थापना है;

(ग) क्या यह भी प्रस्थापना है कि उन्हें इस मतलब के लिये अपने राज्य से ही बाहर भेज दिया जायेगा; और

(घ) क्या बेदखली के नोटिस इन ग्रामों के निवासियों को दे दिये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) इस जलाशय के बन जाने पर कांगड़ा ज़िले के ५२ गांवों की ज़मीन और आबादी जलमग्न होगी ।

एक कस्बा बसाने के लिये होशियारपुर जिले के ६ गांवों की तथा कांगड़ा ज़िले के दो गांवों की ज़मीन लेली गई है किन्तु गांव का आबादी क्षेत्र अर्जित नहीं किया जायेगा ।

(ख) और (ग). ब्यास बान्ध के क्षेत्र से जो व्यक्ति निकाले जायेंगे उन्हें राजस्थान में राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने का इरादा है क्योंकि पंजाब राज्य में भूमि उपलब्ध नहीं है ।

(घ) इन गांवों के निवासियों को अब तक बेदखली के नोटिस जारी नहीं किये गये हैं ।

**इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन**

†२८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के मुकाबले में १९६१ में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को क्या हानि अथवा लाभ हुआ है ;

(ख) इस दिशा में (१) यात्री भाड़ा, (२) माल भाड़ा की मदों में इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष क्या आय हुई है ; और

(ग) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कारपोरेशन की अनुसूचित उड़ानों में कितने टन माल ढोया गया और जितने यात्रियों ने यात्रा की उनकी संख्या क्या है?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) से (ग). १९६०-६१ और १९६१-६२ के वित्तीय वर्षों के लिये जानकारी (संशोधित प्राक्कलन) नीचे दी जाती है :—

| | १९६०-६१ | १९६१-६२ (संशोधित प्राक्कलन) |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| १. कारपोरेशन का लाभ या हानि | ४.६८ लाख (लाभ) | १०.९१ लाख (हानि) |
| २. यात्री भाड़े की आय | ९०३.१० लाख | १०६२.०० लाख |
| ३. सामान (माल और अधिक असबाब) की आय | १९२.३१ लाख | २१०.०० लाख |
| ४. अनुसूचित सेवाओं द्वारा ले जाये गये यात्रियों की संख्या | ७,५८,३४३ | ८,४८,००० |
| ५. अनुसूचित सेवाओं द्वारा ढोया गया माल (टनों में) | ३६,२३९ | ३४,००० |

†मूल अंग्रेज़ी में

## ग्लाइडर

†२९. श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में ग्रार० जी० ग्राई० ग्लाइडरों के जो नमूने (प्रोटोटाइप) निर्माण किये गये हैं उनकी संख्या क्या है ;

(ख) इन ग्लाइडरों के निर्माण पर क्या लागत ग्राई; ग्रौर

(ग) इनके निर्माण में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

†ग्रसैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) दो ।

(ख) चूंकि यह नमूना ग्रसैनिक उड्डयन विभाग के प्रविधिक ग्रौर गवेषणा केन्द्र में तैयार किया गया था इस लिये मजदूरी तथा व्यवस्था व्यय की लागत ग्रलग से उपलब्ध नहीं है किन्तु काम में लाये गये सामान की कुल लागत लगभग ७,००० रुपये है ।

(ग) प्रत्येक नमूने के निर्माण में लगभग २,५०० रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ।

## विमान दुर्घटनायें

†३०. श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ के दौरान इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ग्रौर एयर इंडिया इन्टरनेशनल के कितने विमान दुर्घटनाग्रों में ग्रन्तर्ग्रस्त हुये ; ग्रौर

(ख) इन दुर्घटनाग्रों से कुल कितनी धन हानि हुई ?

†ग्रसैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) वर्ष १९६१ के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के दो विमान एक डकोटा ग्रौर एक वायकाउन्ट दुर्घटनाग्रस्त हुए । इस ग्रवधि में एयर इंडिया इन्टरनेशनल का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुग्रा ।

(ख) दोनों विमानों को इतनी क्षति पहुंची थी कि उनकी मरम्मत कराने से कोई लाभ न होता । डकोटा विमान की क्षति ८,३९२ रुपये के ग्रासपास है जब कि वायकाउन्ट को पहुंची क्षति ग्रन्तिम रूप से ग्रभी तक ग्रांकी नहीं गई है किन्तु ३१-३-६१ को उसका ग्रवक्षयित मूल्य ३३.२८ लाख रुपये था ।

## "फौकर फ्रेंडशिप"

†३१. श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ के दौरान एयर लाइन्स कारपोरेशन में कितने "फौकर फ्रेंडशिप' विमान शामिल किये गये ग्रौर वे किन मार्गों पर चलते हैं;

(ख) उनकी कुल लागत क्या है ;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान इस प्रकार का कोई ग्रन्य विमान भी शामिल किया जायेगा; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो कितने विमान शामिल किये जायेंगे ?

†ग्रसैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने वर्ष १९६१ में निम्नलिखित मार्गों पर ५ फौकर फ्रेन्डशिप विमान चलाना ग्रारम्भ किया है :—

(१) कलकत्ता—ढाका

(२) कलकत्ता—बाग डोगरा:—कलकत्ता

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(३) कलकत्ता—चिटगांव

(४) कलकत्ता—अगरतला

(५) कलकत्ता—गौहाटी—मोहनबाड़ी

(६) कलकत्ता—बनारस—आगरा—दिल्ली ।

(ख) लगभग २४८.०० लाख रुपये जिसमें पुर्जे, सामान आदि का मूल्य शामिल है ।

(ग) और (घ) कारपोरेशन ने ५ और फोकर फ्रेन्डशिप विमान खरीदने का करार कर लिया है । ये विमान निम्न तारीखों को मिल जायेंगे :—

| | |
|---|---|
| नवम्बर, १९६२ . . . . | एक विमान |
| दिसम्बर, १९६२ . . . . | एक विमान |
| जनवरी, १९६३ . . . . | दो विमान |
| मार्च, १९६३ . . . . | एक विमान |

## बोइंग ७०७ जेट विमान

†३२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया इन्टरनैशनल ने १९६१ में बेड़े में कितने बोइंग ७०७ जेट विमानों की वृद्धि की है ;

(ख) उन पर कितना खर्च हुआ था ; और

(ग) ये विमान किन रास्तों पर चलाये गये थे ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) एक ।

(ख) लगभग ४ करोड़ रुपये ।

(ग) ४ बोइंग जेट विमानों से कारपोरेशन ने १९६१ के दौरान निम्नलिखित सेवायें जारी रखीं :—

(१) भारत/ब्रिटेन/अमरीका

| | भारत/ब्रिटेन | ब्रिटेन/अमरीका |
|---|---|---|
| | प्रति सप्ताह | प्रति सप्ताह |
| जनवरी से मार्च . . . | ५ | २ |
| अप्रैल . . . . | ५ | ३ |
| मई से सितम्बर . . | ६ | ५ |
| अक्तूबर से दिसम्बर . . . . | ६ | ३ |

(२) भारत/पूर्व अफ्रीका

इस मार्ग पर सप्ताह में दो बार १०४९ सुपर कान्स्टीलेशन विमान की उड़ानें थीं जिनके स्थान पर मई, १९६१ से जेट विमान चलने लगे हैं । १-१०-१९६१ से इस मार्ग पर उड़ानों की संख्या २ से बढ़ाकर ३ कर दी गयी है ।

†मूल अंग्रेजी में

(३) भारत/जापान

इस मार्ग पर पहले सप्ताह में बोइंग की एक उड़ान थी जो मई, १९६१ से बढ़ाकर दो कर दी गई है ।

**भारत के लिये अमरीकी चावल**

†३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत को अमरीकी चावल के संभरण के लिये कोई समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते के अन्तर्गत कितना चावल लिया जायेगा और कितनी लागत पर ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अनुसूचित उड़ानें**

†३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में आई० ए० सी० की अनुसूचित उड़ानों में विमानों में किस हद तक बैठने की जगह खाली थी;

(ख) इस कारण निगम को कितना नुकसान हुआ; और

(ग) नुकसान को कम करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) १९६१ में कारपोरेशन की उड़ानों में यात्रियों के भरे गये स्थानों का प्रतिशत ६९.१ था ।

(ख) वर्ष १९६१-६२ के संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार कारपोरेशन को १०.९१ लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है ।

(ग) कारपोरेशन अपनी आय बढ़ाने और व्यय पर नियंत्रण रखने के लिये सभी संभव कदम उठा रहा है । कारपोरेशन ने अनुमान लगाया है कि वर्ष १९६२-६३ में उसे ८१.०७ लाख रुपये का लाभ होगा ।

**एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की अनुसूचित उड़ानें**

†३५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में ए० आई० आई० की अनुसूचित उड़ानों में विमानों में किस हद तक बैठने की जगह खाली थीं;

(ख) इस कारण निगम को कितना नुकसान हुआ; और

(ग) नुकसान को कम करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) अप्रैल-दिसम्बर, १९६१ के दौरान कारपोरेशन के बोइंग जेट विमानों द्वारा ढोये गये माल का समग्र सामान्य प्रतिशत ४३.१ था जबकि सुपर कान्स्टीलेशन विमानों का प्रतिशत ४८.५ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कारपोरेशन ने १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के लिये आयव्ययक सम्बन्धी अपने संशोधित प्राक्कलनों में ५०.०० लाख रुपये की बचत का अनुमान लगाया है जबकि आयव्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों में यह राशि १०० लाख रुपये दर्शायी गयी थी।

(ग) कारपोरेशन अपने कार्य को बढ़ाकर अपनी आय बढ़ाने के लिये सभी संभव कदम उठारहा है।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवा

†३६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फ़ोक्कर फ्रैंडशिप सेवा को, जिसे बन्द कर के डकोटा सेवा चलाई गई थी, फिर शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने सूचित किया है कि ७ मार्च, १९६२ से कलकत्ता/गौहाटी/मोहनबारी मार्ग (२१३/२१४) पर सप्ताह में तीन बार फोक्कर फ्रैंडशिप विमान फिर से चलाये गये हैं और १-४-१९६२ से इस मार्ग पर प्रतिदिन फ्रैंडशिप विमान चला करेंगे।

## वेलदुर्ति स्टेशन पर ट्रक और गाड़ी में टक्कर

†३७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्रोणाचलम्-सिकन्दराबाद रेलवे लाइन के ऊपर वेलदुर्ति स्टेशन पर एक मोटर बस और माल के डिब्बे में २० जनवरी, १९६२ को टक्कर हो गई;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में टक्कर हुई; और

(ग) इस टक्कर के फलस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). २० जनवरी, १९६२ को मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीजन के द्रोणाचलम्-सिकन्दराबाद मीटर गेज सेक्शन पर लगभग ०१-४० बजे जिस समय शंटिंग हो रहा था तब कच्चे लोहे से भरी एक निजी लारी ८०६ अप माल गाड़ीके ब्रेकवान नम्बर ८०६ से टकरा गई। इस टक्कर के कारणों की जांच की जा रही है।

| | | |
|---|---|---|
| (ग) | मृत | ३ |
| | बुरी तरह घायल | ३१ |

## स्कूलों के बच्चों को भोजन

†३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल के बच्चों को भोजन देने के प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त की गई स्कूल स्वास्थ्य समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) स्कूल स्वास्थ्य समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को इस बीच प्राप्त हो गया है।

(ख) स्कूल स्वास्थ्य समिति के प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश परिशिष्ट में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी ३५००/६२]**.

(ग) समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

**दिल्ली में खाना बनाने तथा औद्योगिक कार्यों के लिये गैस का प्रयोग**

†४०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री ७ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में खाना बनाने और औद्योगिक कार्यों के लिए कोयले और दूसरे ईंधन के स्थान पर गैस ईंधन के प्रयोग की योजना में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अब तक और कोई प्रगति नहीं हुई है।

**मैसूर में ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालय**

†४१. **श्री अगाड़ी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २९ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि मैसूर राज्य में हेब्बल, जहां मैसूर सरकार ने ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव रखा है, बंगलौर नगर निगम की सीमा में है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र में और स्थानों का सुझाव किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: हेब्बल बंगलौर नगर निगम की सीमा में नहीं है।

**पूना से हुबली की ओर बड़ी लाइन**

†४२. **श्री अगाड़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दक्षिण रेलवे पर पूना से हुबली की ओर वाली बड़ी लाइन को केवल मिराज तक बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस को बरास्त हुबली गुंटाकल तक न बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रारम्भिक जांच और इंजनियरी सर्वेक्षण चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो पूना से हुबली की ओर कहां तक सर्वेक्षण कराने की इच्छा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). पूना में मिराज तक की मीटर गेज को ब्राड गेज बनाने तथा गुंटाकल-हासपेत मीटर गेज सैक्शन के साथ-साथ वहां ब्राड गेज लाइन बिछा कर इस को दोहरी लाइन वाला सैक्शन बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। मिराज-लोंडा-हुबली-होसपेत मीटर गेज सैक्शन को ब्राड गेज में बदलने या वहां ब्राड गेज के द्वारा दोहरी लाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सैक्शनों पर प्रत्याशित यातायात की दृष्टि से ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). पूना-मिराज मीटर गेज सैक्शन को ब्राड गेज में बदलने के हेतु प्रारम्भिक भू-परिमाप इंजनियरी एवं यातायात सर्वेक्ष कार्य किया जा चुका है। गुंटाकल-होसपेत मीटर गेज सैक्शन पर एक ब्राड गेज लाइन बिछा कर इसे दोहरी लाइन बनाने के काम के लिये प्रारम्भिक जांच और इंजनियरी सर्वेक्षण का काम चल रहा है।

### मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

†४३. **श्री अगाड़ी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन मेडिकल कालेजों में औषधिएवं सर्जरी सम्बन्धी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, भाटिया समिति की सिफारिशों के अनुसार सीनेट और शिक्षा परिषदों द्वारा जारी किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित इस सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए कि कोई भी चिकित्सा कालेज ऐसा पाठ्यक्रम जारी नहीं कर सकता जब तक कि उसने चिकित्सा स्नातकों के कम से कम दस दलों को प्रशिक्षित न कर दिया हो, सीनेट और शिक्षा परिषद् द्वारा चुने गये मैसूर चिकित्सा कालेज के स्थान पर बंगलौर चिकित्सा कालेज में आरम्भ किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रखी जायेगी।

### नंजनगूड़—चामराजनगर मीटर लाइन

†४४. **श्री अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने दक्षिण रेलवे पर नंजनगूड़—चामराज नगर मीटर लाइन का क्रय मूल्य बता दिया है और संघ सरकार द्वारा इस लाइन को लेने का काम अन्तिम रूप में तय हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य का ब्योरा क्या है और इस के कब लिये जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

### दीव-पानवेल-उड़न-आप्टा बड़ी लाइन

†४५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६९-९२ किलोमीटर लम्बी दीव—पानवेल—उड़न—आप्टा बड़ी लाइन के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो काम पूरा होने में कितना समय लगने का अनुमान है; और

(ग) योजना की लागत क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर १९६४ तक।

(ग) योजना की लागत का ३.९४ करोड़ रुपये का अनुमान है।

**बीकानेर-हनुमानगढ़ के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क**

†४६. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन कठिनाइयों का ज्ञान है जो दिल्ली और भटिंडा के रास्ते जो बहुत चक्रवार सर्किट हैं, बीकानेर को हनुमानगढ़ के साथ टेलीफोन और तार के द्वारा मिलाये जाने के कारण तथा इस सर्किट के ऊपर होने वाली बार-बार की खराबी के कारण जनता को उठानी पड़ती है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कारण अन्य वकल्पिक प्रस्तावों विशेषकर बीकानेर और हनुमानगढ़ के बीच सीधी लाइन डालने की संभाव्यता पर विचार किया है, जो बीच के स्थानों अर्थात् लुंकारानसार और पिलिबांगन को भी मिलायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं तथा कब तक प्रस्ताव के कार्यान्वित होने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)**: हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के द्वारा बीकानेर से मिला हुआ है, न कि भटिंडा और दिल्ली के द्वारा। इस समय बीकानेर और हनुमानगढ़ के बीच कोई सीधी तार की लाइन नहीं है और तारें भटिंडा के रास्ते भेजी जाती हैं।

(ख) और (ग). बीकानेर और हनुमानगढ़ के बीच सीधी तार लाइन डालने की संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

**बीकानेर में तारघर**

†४७. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता को होने वाली उन कठिनाइयों का ज्ञान है, विशेषकर रात्रि के समय, जो बीकानेर में विभागीय तार घर के केन्द्र में स्थापित न होने के कारण बीकानेर नगर में तारें भेजने और जी० सी० ओ० काल बुक कराने में होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; या करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) और (ख). बीकानेर विभागीय तार घर उस क्षेत्र में जहां अन्य सरकारी दफ्तर अर्थात कलक्टर का दफ्तर और कचहरियां आदि हैं, मुख्य किंग ऐडवर्ड मैमोरियल रोड के पास स्थित हैं। मुख्य डाक घर की इमारत तारघर से लगभग दो फर्लांग दूर है। दफ्तर के लिये अधिक केन्द्रीय स्थिति संभव नहीं है क्योंकि उचित लागत पर भूमि या इमारत नहीं मिलती। यह समझा जाता है कि बीकानेर शहर उस ओर बढ़ रहा है जिधर तारघर है दिन के समय जनता की मांग को पूरा करने के लिये शहर भर में समान रूप से वितरित अन्य पांच संयुक्त कार्यालय हैं। फोनोग्राम की सुविधा भी उपलब्ध है।

इस समय अधिक केन्द्रीय स्थान पर तारघर रखना संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## जाली रेलवे पार्सल रसीदें

†४८. **श्री अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में, दक्षिण रेलवे पर विजयवाड़ा में रेलवे पार्सल रसीद के कपटपूर्ण कृत्य करने वाले एक गिरोह का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों को कितनी कपटपूर्ण रेलवे पार्सल रसीदों का पता चला है;

(ग) उन में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) पदाधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) दो ।

(ग) ६००० रुपये ।

(घ) गिरोह के तीन सदस्य २२ फरवरी, १९६२ को दक्षिण रेलवे के केन्द्रीय रक्षा बल द्वारा स्थानीय पुलिस की सहायता के साथ, मध्य रेलवे पर खम्मामेथ के स्थान पर गिरफ्तार किये गये थे । खम्मामेथ नगर पुलिस ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा ५४ और ५५० के अधीन अपनी स्टेशन सी० आर० संख्या ४९ से ५१ में एक मामला दर्ज कर लिया है । जांच जारी है ।

## पंजाब की पहाड़ी सड़कें

†४९. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को वर्ष १९६१–६२ में अब तक पंजाब की पहाड़ियों में सड़कों के निर्माण के लिये कितनी राशि नियत की है और १९६२–६३ में इस काम के लिये कितनी राशि देने का विचार है ; और

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि से इस काम के लिये कितनी राशि दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख) १९६१-६२ तथा १९६२–६३ में पंजाब में सड़कों के निर्माण के लिये निम्न राशियां आवंटित की गई हैं :—

| | १९६१–६२ (संशोधित अनुमान) (लाख रुपयों में) | १९६२–६३ (बजट अनुमान) (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| १. अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व वाली राज्यीय सड़कें . | ९.०० | १२.५० |
| २. केन्द्रीय सड़क निधि वाले काम . | २२.६० | १८.५० |

उपरोक्त श्रेणियों के सड़कों के कामों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये आवंटन समूचे राज्य के लिये इकट्ठी राशि के रूप में किया जाता है । इसलिये पंजाब की पहाड़ियों में सड़कों संबंधी पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में पंजाब की पहाड़ियों में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

## हिमाचल प्रदेश में सड़कें

†५०. **श्री प्रेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में अब तक हिमाचल प्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिये कितनी राशि आवंटित की गई थी और १९६२–६३ में कितनी राशि आवंटित करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: १९६१-६२ और १९६२-६३ में हिमाचल प्रदेश में सडकों के काम के लिये इस प्रकार राशि का नियतन किया गया है :—

| | संशोधित अनुमान १९६१–६२ (लाख रुपयों में) | बजट अनुमान १९६२–६३ (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| १. राष्ट्रीय राज पथ . . . | ३८.९० | १५.६१ |
| २. राष्ट्रीय राजपथों के अतिरिक्त अन्य सड़कें (पूंजी) . | १५३.०० | १८५.०० |
| ३. राष्ट्रीय राजपथों के अतिरिक्त अन्य सड़कें (राजस्व) . | ७.१५ | ३.८० |
| ४. केन्द्रीय सड़क निधि . | ३.४५ | ३.४४ |

## त्रिपुरा में कृषि विषयक प्रविधिक कर्मचारी

†५१. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के कृषि क्षेत्र में प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है, और

(ख) यदि हां, तो जहां तक त्रिपुरा में कृषि के विकास का संबंध है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये ऐसे कितने कर्मचारियों की जरूरत है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## चांदपुर (उड़ीसा) में क्षय और कैंसर का हस्पताल

†५२. **डा० सामंत सिंहार :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में चांदपुर में उड़ीसा क्षय और कैंसर हस्पताल को कितना अनुदान दिया गया था;

(ख) उस हस्पताल में कैंसर के रोगियों के लाभार्थ राशि में से कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) अब तक उक्त हस्पताल में कैंसर के कितने रोगियों का इलाज किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) उड़ीसा क्षय और कैंसर हस्पतालों निधि, कटक, उड़ीसा को भारत सरकार ने १९५७–५८ में १ लाख रुपये का अनुदान दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुदान थोरेसिस सर्जरी, ऐक्सरे, आटोमेटिक लांडरी आदि के लिये सामान खरीदने तथा अतिरिक्त निर्माण के लिये अनुदान दिया गया था। जिस काम के लिये अनुदान दिया गया था, उसका उसी काम के लिये प्रयोग किया गया था।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**

†५३. **डा० सामंत सिंहार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र स्थापित किये गये हैं और कितने हस्पताल पलंगों की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक मद में पृथक पृथक कितनी कमी रही है;

(ख) कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में राज्यों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्रों की संख्या एवं व्यवस्थापित अस्पताल पलंगों की संख्या तथा जहां प्राप्त थी प्रत्येक की कमी संलग्न विवरण में दिखाई गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

**लोक सभा की सदस्यता के लिये इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन का कर्मचारी**

†५४. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के यातायात अधिकारी ने गत सामान्य निर्वाचनों में लोक सभा के लिये चुनाव लड़ा था;

(ख) क्या उस ने पदत्याग कर दिया था और यदि हां, तो किस तारीख को।

(ग) क्या उसका पदत्याग स्वीकार कर लिया गया था और यदि, हां, तो किस तारीख को;

(घ) किस तारीख को उसे चुनाव के लिये खड़ा होने की अनुमति दी गई थी तथा किस तारीख को वह मंसूख कर दी गई थी; और

(ङ) क्या उसने उस मंसूखी के लिये हर्जाना या निर्वाचन व्यय का दावा किया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) कारपोरेशन ने बताया है कि समाचार-पत्रों की खबरों के अनुसार इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन कलकत्ता के एक यातायात अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में विधान सभा के एक स्थान के लिये चुनाव लड़ा था।

(ख) जी हां, १२ जनवरी, १९६२ को।

(ग) जी हां, १५ जनवरी, १९६२ से।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ५ मई, १९६१ को अनुमति दी गई थी। तदुपरान्त पुनर्विचार करने पर, उसे ३-११-१९६१ को कहा गया कि या तो वह इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की नौकरी से त्याग पत्र दे दें या निर्वाचन लड़ने का विचार छोड़ दें।

(ङ) जी, नहीं।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह के नाम में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के एक प्रस्ताव की सूचना है पर माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### वणिक् नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

### और

### तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के उत्तर की शुद्धि करने वाला वक्तव्य

†**परिवहन और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) वणिक् नौवहन अधिनियम १९५८ की धारा ४५८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५१० में प्रकाशित वणिक् नौवहन (सक्षमता के प्रमाण-पत्र) नियम, १९६१। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३४९५/६२]**

(ख) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, १९६२। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३४९६/६२]**

(ग) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०९ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, १९६२। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०म—३४९१/६२]**

(२) संयुक्त स्टीमर समवायों के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त के तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के ८ अगस्त, १९६१ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३४९७/६२]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल रखता हूं :—

(एक) दिनांक ६ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६१ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (छठा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(दो) दिनांक ६ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६२ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (तेरहवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(तीन) दिनांक ६ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४ में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्यान्न लाने ले जाने पर निगंत्रण (संख्या २) तीसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(चार) दिनांक ११ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७० में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(पांच) दिनांक १७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९ ।

(छै) दिनांक २३ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२ ।

(सात) दिनांक ३१ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५३ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(आठ) दिनांक ३१ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(नौ) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४४ में प्रकाशित बम्बई चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६२ ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—३४९८/६२]**

---

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : हमारे लिये यह ऐतिहासिक महत्व का अवसर है, क्योंकि इतिहास में पहली बार प्रश्न काल में पांच मिनट बच रहे हैं । इसलिये हमें पांच मिनट के लिये बैठक स्थगित कर देनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इतिहास को बिगाड़ा क्यों जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

## गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों संबंधी समिति

### बानवेवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प तथा विधेयक सम्बन्धी समिति का बानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

## सदस्यों द्वारा त्याग पत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है :—

(१) श्री डिपला सूरी दोरा ने ८ मार्च, १९६२ से ।

(२) श्री चण्डिकेश्वर शरण सिंह जूदेव ने १४ मार्च, १९६२ से ।

---

## हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में हड़ताल के बारे में वक्तव्य

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हुई हड़ताल से संबंधित एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—३४९०/६२]**

---

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## कार्य-मंत्रणा समिति

### अड़सठवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन से, जो १३ मार्च, १९६२ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय): मेरा सुझाव है कि गोआ सम्बन्धी विधेयक के लिये अधिक समय दिया जाये । वह ऐसा विषय है जिस पर सभी सदस्य कुछ न कुछ कहना चाहेंगे ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : गोआ से सम्बन्धित दो विधेयक हैं । कार्य मंत्रणा समिति में पहले विधेयक के लिये एक घण्टा रखा गया था और दूसरे के लिये एक के स्थान पर दो घण्टे रखने के प्रस्ताव से मैं सहमत हो गया था । कार्य मंत्रणा समिति ने इसे सर्व सम्मति से स्वीकृत किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे पारित होने दी जिये। यदि जरूरत पड़ेगी, तो अध्यक्ष अपने स्वयंविवेक से कुछ समय बढ़ा देंगे।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन से, जो १३ मार्च, १९६२ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

## संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक बड़ा सरल और सक्षिप्त सा विधेयक है और शायद इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

परन्तु सक्षिप्त और सरल होते हुए भी यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे पेश करते हुए, मेरे सामने साढ़े चार सौ वर्ष का और बिल्कुल ही ठीक कहा जाये तो चार सौ इक्यावन वर्ष का, इतिहास सजीव हो उठा है। और मेरा ख्याल है कि सभी सदस्यों के सामने सजीव हो उठा होगा—१४९८ से आज तक का इतिहास—भारत में वास्को डि गामा के चरण पड़ने से आज तक का इतिहास। इन साढ़े चार सौ वर्षों के इतिहास ने गोआ में बड़ी दुर्दमनीय धर्मान्धता देखी है। इस बीच गोआ में पुर्तगालियों के विरुद्ध बार बार विद्रोह हुए हैं, और उन को हर बार क्रूरता और रक्तपात के बल पर दबाया गया है। पुर्तगाली शासन एक ऐसे काल में स्थापित हुआ जब मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन आरम्भ हो गया था और भारत में ऐसी कोई एक केन्द्रीय शक्ति नहीं रह गई थी जो विदेशी घुसपैंठ को रोकती। उसके बाद अंग्रेजों ने आ कर भारत के एक काफी बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, इतिहास में काफी उलटफेर होती रही। पुर्तगाली भारत में बने रहे, अपनी शक्ति के बल पर नहीं, ब्रिटिश शासकों की कृपा पर। ब्रिटिश शासक चाहते थे कि उनको रहने दिया जाये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

बहुत पहले जब हम ने अपना स्वातंत्र्य-आन्दोलन आरम्भ किया था, तब हमारी स्वतन्त्रता का अर्थ पूरे देश की स्वतन्त्रता थी, जिसमें भारत की फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों की स्वतन्त्रता भी शामिल थी। लेकिन चूंकि ये बस्तियां बड़ी छोटी-छोटी थीं, इसलिये हमारा स्वांतत्र्य आन्दोलन मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ही था। हम ने यह तो नितान्त सुनिश्चित मान लिया था ब्रिटिश शासन का तख्ता उलटने के बाद, ये छोटी छोटी बस्तियां बिना किसी कठिनाई के स्वतन्त्र कर ली जायेंगी। हम ने यह नहीं सोचा था कि इस में भी कोई कठिनाई पड़ेगी।

फ्रांस की सरकार के साथ हमने कई बार फ्रांसीसी बस्तियों के बारे में वार्ता चलाई और उस का निबटारा करने में कई वर्ष लग गये। हम ने अपने संविधान के आधार पर और वैधानिक मामलों के आधार पर उनसे वार्ता की थी। अन्त में फ्रांस सरकार राजी हो गई और फ्रांसीसी बस्तियों का शासन संघ सरकार को सौंप दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

फ्रांस की सरकार के साथ हमारी वार्तायें दो सरकारों के बीच हुई वार्तायें थीं। कुछ बातें हम ने मानी और कुछ हम ने नहीं भी मानीं। फिर दोनों सरकारों में चर्चा हुई। इसी प्रकार वार्तायें हुई और समझौता हो गया। पुर्तगाल सरकार के साथ भी हमारी यही कोशिश रही, पर उन्होंने बात करने से इन्कार कर दिया हमने उनसे बात चलाने के लिये लिसबन में एक विशेष मंत्री भी नियुक्त किया और उस के बाद भी कई बार कोशिशें कीं। परन्तु हमें कामयाबी नहीं मिली अन्त मे हमें अपना मंत्री वापस बुला लेना पड़ा।

गोआ के सम्बन्ध में बात आगे नहीं बढ़ रही थी, इससे भारतीय जनता में निराशा और पस्ती आ चली थी। इसी बीच गोआ में भी कुछ गड़बड़ी हो गई। वैसे तो पहले भी गोआ में कई विद्रोह हो चुके थे, पर इस बार विद्रोह नहीं हुआ। कारण यह कि परिस्थितियां बदल गई थीं। भारत और गोआ की जनता अहिंसक और शान्तिपूर्ण तरीकों से स्वतन्त्र कराने की बात सोच रही थी, इसलिये कि भारत ने अपनी स्वतन्त्रता अहिंसा और शान्ति के आन्दोलन द्वारा ही प्राप्त की थी। परन्तु पुर्तगाली शासकों ने गोआ के अहिंसापूर्ण आन्दोलन को बड़ी क्रूरता से कुचल दिया था। उसमें कई व्यक्ति काम आये थे। और यहां भारतीय जनता की रही भावना थी कि गोआ को स्वतन्त्रता के बिना हमारी स्वतन्त्रता अपूर्ण रहेगी।

इसी काल में, पुर्तगाल-सरकार ने गोआ को पुर्तगाल का एक समुद्र-पार प्रान्त घोषित कर दिया था। घोषणा बड़ी अजीब सी थी। हम उसे स्वीकार नहीं कर सके, और देखा जाये तो कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ देशों ने उसे मंजूर कर लिया था। परन्तु अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछले वर्ष घोषित कर दिया था कि गोआ एक उपनिवेश ही है उपनिवेश था भी।

उस के बाद ही यह सारी घटनायें हुईं। मेरा मतलब केवल गोआ की घटनाओं से नहीं, अन्गोला जैसी अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों में होने वाली घटनाओं से भी है। यह सही है कि अन्गोला का भारत से कोई सम्बन्ध नहीं, फिर भी अन्गोला की घटनाओं पर भारत में बड़ी उत्तेजना फैल गई थी, और अभी भी है। भारतीय जनता सब से पहले तो हर प्रकार के उपनिवेशवाद के विरुद्ध है, फिर जिस क्रूरता से पुर्तगालियों ने उन का दमन किया था, उस से भी जनता काफी उत्तेजित हो गई थी।

इन बातों का गोआ से सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं इन बातों को इसलिये पेश कर रहा हूं कि हमारे दिमाग पर इस का बड़ा असर पड़ा है।

मैंने लगभग सात महीने पहले यहां सभा में घोषित किया था कि ऐसा नहीं कि हम दूसरे उपायों का प्रयोग कर ही नहीं सकते, इस से ज्यादा सख्त कार्यवाही और यहां तक कि गोआ में सैनिक उपायों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैंने इस प्रकार पुर्तगाल-सरकार को, और अन्य देशों को भी चेतावनी दे दी थी। फिर भी, हमें आशा थी कि अन्त में शान्तिपूर्ण उपायों से ही मसला हल हो जायेगा।

इस का एक और पहलू है, एक अफ़सोसनाक पहलू है, उसी के कारण पुर्तगालियों को गोआ में जमे रहने के लिये और हमारे साथ बात तक न करने के लिये प्रोत्साहन मिला था। वह पहलू था कि कुछ देश सक्रिय रूप से या कहिये निष्क्रिय रह कर गोआ में पुर्तगाल की स्थिति का अनुमोदन कर रहे थे। मेरा अपना ख्याल है कि यदि पुर्तगाल को उन देशों का बल न होता तो यह मामला बहुत पहले ही शान्तिपूर्ण ढंग से तय हो गया होता।

यह सब चल ही रहा था, लेकिन गोआ में और गोआ से बाहर होने वाली कुछ घटनाओं ने हमें एकाएक मजबूर कर दिया। हम ऐसी कार्यवाही के लिये वैसे तैयार तो थे, लेकिन इतनी जल्दी

कोई क़दम उठाने की नहीं सोच रहे थे । पर उन घटनाओं ने हमें मजबूर कर दिया । आपको याद होगा कि भारतीय पोतों पर कुछ गोलीबारी की गई थी । हमारे पोत भारतीय क्षेत्र में ही थे, और सामान्य रूप से अपना काम कर रहे थे । वैसी घटनाओं को रोकने के लिये हमें कुछ करना ही पड़ा । हमने इसीलिये वहां अपनी सेनायें भेजी थीं । पर गोआ में हमारी सेना को कोई सैनिक कार्यवाही तो करनी नहीं पड़ी । चन्द घण्टों में, २४ या ३६ घण्टों में सब कुछ हो गया । यदि हमारी सेना का वास्तव में कोई विरोध होता, तो इतनी तेजी से काम पूरा नहीं हो सकता था । बल्कि गोआ की जनता ने तो हमारी सेना का स्वागत किया ।

गोआ पर अधिकार होने के बाद, हमने अपने वैधानिक सलाहकारों से परामर्श कर लिया है । उनकी यही सलाह है कि इसके लिये हमें संविधान में इतना ही परिवर्तन करना पड़ेगा कि संविधान के अनुच्छेद १ के अन्तर्गत गोआ को भारतीय संघ में शामिल कर लें और अनुसूची १ में घोषित कर दें कि गोआ भारतीय संघ का ही एक अंग है । गोआ को संघ क्षेत्र बनाने का निर्णय किया गया है । इसलिये कि संघ-क्षेत्र बनाकर गोआ की अर्थ-व्यवस्था और उसके स्वशासन की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा । उससे गोआ की स्वायत्तता में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

हाल में एक प्रस्ताव आया था कि गोआ को अन्य राज्यों की तरह एक अलग राज्य बनाया जाये । हम उससे सहमत नहीं हुए । दूसरे अन्य कारणों के साथ, एक कारण यह भी है कि अभी इस समय गोआ में परिस्थितियां पूरी तौर पर सामान्य नहीं हैं । अभी वहां राज्य-क्षेत्र बनाना पड़ेगा । इस समय तो वहां सैनिक गवर्नरशिप है, जो नागरिक विधियों को लागू कर रही है । इसके कुछ दिन बाद, मैं एक दूसरा विधेयक सभा के सामने रखने की सोच रहा हूं, जिसके द्वारा हम गोआ की वर्तमान वैधानिक-प्रणाली को स्वीकार कर लेंगे और उसमें बहुत थोड़े ही कुछ आवश्यक परिवर्तन करेंगे । संविधान को बदलने का यही सबसे सरल तरीका मालूम पड़ता है । इसी तरह गोआ की इस बदली हुई स्थिति में स्थायित्व लाया जा सकेगा ।

यह विधेयक बिल्कुल सीधा सा है । इसमें केवल इतना कहा गया है कि अनुसूची १ में गोआ, दियु और दमन को सम्मिलित किया जाये ।

इससे हमें सोचने के लिये काफी समय मिल जायेगा । हम सोच सकेंगे कि गोआ को स्वायत्तता देने के लिये कौन से कदम उठाये जाने चाहिये । मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम गोआ का व्यक्तित्व, उसकी विशेषतायें बनाये रखना चाहते हैं । इसलिये कि पिछले ४०० साल से गोआ का एक अपना विशिष्ट व्यक्तित्व, उसका एक अलग स्वरूप बना रहा है । हम उसे एकाएक बदलना नहीं चाहते । कुछ लोगों ने यह भी सुझांया है कि कोंकणी भाषा को भी भारत की एक सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाये ।

हम गोआ में कोंकणी भाषा को समुचित स्थान देना चाहते हैं । हम न उसका दमन करना चाहते हैं और न उपेक्षा । गोआ की मुख्य भाषा कोंकणी ही है । वहां कुछ मुट्ठीभर लोग ही पुर्तगाली भाषा जानते हैं । कुछ थोड़े से लोग मराठी और बहुत थोड़े से लोग कन्नड़ जानते हैं । मुख्य भाषा कोंकणी ही है और हम उसे मान्यता देंगे ।

एक मोटे तौर पर हम यही सिद्धान्त उन तीनों पर लागू करेंगे, हालांकि दमन और दियु की स्थिति गोआ से थोड़ी भिन्न है । तीनों संघ क्षेत्र रहेंगे और उनको काफी स्वायत्तता रहेगी । उनकी भाषा, रीति-रिवाजों और विशेषताओं को सुरक्षित रखा जायेगा ।

इसीलिये मैं यह विधेयक सभा के सामने रख रहा हूं । यह विधेयक गोआ और भारत के लिये एक नये युग का सूत्रपात कर रहा है । इसलिये यह विधेयक कुछ मायनों में एक ऐतिहासिक विधेयक

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

है । इस सभा ने गोआ के प्रश्न पर कई बार बड़े जोरदार वाद-विवाद किये हैं । अब सभी को संतोष होगा कि मामला निबट गया है । अब इतिहास का एक विरोधाभास दूर हो चुका है। अब भारत की स्वतंत्रता पूर्ण हो चुकी है ।

मुझे इसीलिये इस विधेयक को प्रस्तुत करते गर्व महसूस हो रहा है । आशा है सभा इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत करेगी ।

मैं प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री मुकर्जी भाषण करें।

†**श्री ह्री० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : हम संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक का स्वागत करते हैं । आखिरकार गोआ स्वतंत्र हो ही गया जिसकी बड़ी दिन से हम आशा कर रहे थे । इस प्रकार भारत की भूमि पर आने वाले पहले साम्राज्यवादी पुर्तगाली अब भारत से कूच कर गये हैं । एशिया तथा अफ्रीका एवं अन्य उपनिवेशवादी देशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गोआ का यह मामला बिना किसी खून खराबी के समाप्त हुआ और इस प्रकार प्रधान मंत्री अपने कार्य में सफल हुए तथा अपने सामने की कठिनाइयों का हल उन्होंने ढूंढ़ निकाला ।

भारत में गोआ के बारे में जो कार्यवाही की है और गोआ के स्वतन्त्र हो जाने से एशिया एवं अफ्रीकी देशों में खुशियां मनाई गई हैं । चीन तथा सोवियत रूस ने भारत की कार्यवाही का समर्थन किया है । लेकिन अमरीका दथा ब्रिटेन में हमारी आलोचना की गई है । इन सबके बावजूद हमें अपने काम में सफलता मिल गई ।

किन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि अमरीका स्थित हमारे भारतीय राजदूतावास ने गोआ कार्यवाही के समर्थन में प्रचार कम किया तथा देर से किया । यहां तक कि वहां स्थित भारतीय राजदूत ने भी अपने पक्ष का समर्थन देर से किया । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन प्रधान मंत्री से यह है कि अच्छा होता यदि ये लोग ठीक समय पर गोआ सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में प्रचार करते इससे यह लाभ होता कि जो लोग हमारी स्थिति से लाभ उठाकर हम पर हावी होना चाहते हैं । हावी नहीं होते । फिर भी बम्बई से प्रकाशित होने वाले "इकनोमिक वीकली" के "दी इण्डियन एम्बेसी गेट्स कोल्ड फीट" नामक लेख की ओर मैं प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अन्ततोगत्वा गोआ स्वतंत्र हो गया है और अब अधिक से अधिक मात्रा में वहां लोकतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना होगी । आगामी विधेयक में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि इन क्षेत्रों अर्थात् गोआ, दमन और ड्यू को केवल केन्द्रीय शासित क्षेत्र घोषित कर देना ही काफी नहीं है । हम चाहते है कि वहां लोकतन्त्रात्मक राज्य की अधिक से अधिक मात्रा में स्थापना हो । आगामी विधेयक की चर्चा के दौरान में मैं कुछ सुझाव सरकार के सामने रखूंगा । अतः मैं इस विधेयक का सवागत करता हूं और प्रसन्नता प्रकट करता हूं कि आखिर पुर्तगाल वाले भारत से चले गये हैं ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इस विधेयक के द्वारा उस कार्य पर संवैधानिक मुहर लगाई जा रही हैं जिसको जनता का समर्थन पहले ही मिल चुका है । हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं । प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जो काम शताब्दियों पूर्व शुरू हुआ था यह उसका अंतिम चरण

†मूल अंग्रेजी में

है। निश्चय ही यह प्रसन्नता की बात है कि गोआ अब स्वतंत्र हो गया है लेकिन इस खुशी के अवसर पर हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि यह मामला और भी अच्छी तरह से हल किया जा सकता था। ब्रिटेन और अमरीकी में हमारे इस कार्यवाही के विरुद्ध बड़े जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिये। यह हमारा विधिवत् अधिकार था कि हम भारत के उस भाग को स्वतन्त्र बनाते जो कि विदेशियों के अधिकार में है। हमें किसी प्रकार की उत्तेजना की आवश्यकता नहीं थी। पुर्तगालियों का भारत में रहना एक प्रकार से उनके द्वारा भारत पर आक्रमण के समान था।

श्री मुकर्जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि महत्वपूर्ण मामलों में कभी कभी विदेश स्थित हमारे दूतावास उचित कार्य नहीं करते। गोआ पर हमारा विधिवत् अधिकार है इस बारे में हमारे दूतावासों ने कभी उचित प्रचार नहीं किया जब कि भारत स्थित गोआ दूतावास ने हर प्रकार से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि गोआ पर उनका अधिकार सही है और गोआ हर प्रकार से पुर्तगाल का ही अंग है। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि यह कार्यवाही जो की गई है थोड़ी देर से की गई है। हां इस आरोप का मैं खंडन अवश्य करता हूं कि गोआ के मामले में प्रधान मंत्री को प्रेसीडेंट कैनेडी ने कोई परामर्श दिया था।

अंत में सैनिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने कि गोआ की आजादी में महान ढंग से एवं इस प्रकार कार्य किया। उन्होंने, बड़ी शांति, सज्जनता और सौम्यता से अपने कर्त्तव्य का पालन किया है कि ऐसा मालूम पड़ता है मानो ये कोई सत्याग्रह कर रहे हों। और उनका वह सत्याग्रह सन् १९५५ के सत्याग्रह के साथ साथ जुड़ा हो। इस समय मैं इस विधेयक का स्वागत ही करता हूं। गोआ में असैनिक प्रशासन के बारे में अपने विचार उस समय प्रकट करूंगा जब कि गोआ, दमन और डयू के प्रशासन सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जायेगा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय) यह प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री ने फिर उस आश्वासन की पुनरावृत्ति की है कि गोआ निवासियों के व्यक्तित्व एवं उन सम्बन्धी कुछ विशेष बातों को मान्यता मिलेगी एवं उनका सम्मान किया जायेगा। निश्चय ही यह प्रसन्नता का विषय है कि आज ४५० वर्ष बाद गोआ की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता मिली है। मुझे पूर्ण आशा है कि गोआ निवासियों को अच्छे से अच्छे अवहरों का सामना करना होगा और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेंगी। प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अतिरिक्त उन्हें और भी अच्छी मूलभूत गारंटी मिलेंगी। गोआ वासियों को भी अन्य भारतवासियों की तरह अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने यहां अपनी भाषा के लिये स्कूल तथा अन्य संस्थाएं चलाने और उनके प्रबन्ध करने का सुअवसर मिलेगा।

जहां तक विदेशों में गोआ सम्बन्धी कार्यवाही के बारे मे किये गये प्रचार की बात है उससे हमें घबराना नहीं चाहिये और न हतोत्साहित ही होना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार की बातें तो प्रायः हुआ ही करती हैं। जहां तक अमरीका और ब्रिटेन में किये गये प्रचार की बात है यह सब कुछ तो उनके संविधान के अनुकूल है। लेकिन हमें इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिये कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): गोआ का मामला बहुत दिनों से विलम्बित था अन्ततोगत्वा एक दिन वह आया जब कि गोआ स्वतंत्र हुआ। आज से ५०० वर्ष पूर्व गोआ पर पुर्तगालियों ने अधिकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम अल्वा]

कियां था । प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वहां कोंकणी वहां की भाषा होगी। साथ ही गोआ को आज इस बात की भी छूटे है कि वह मैसूर, महाराष्ट्र या गुजरात राज्यों मे से किसी भी राज्य में मिल सकता है ।

मैं अमरीका तथा सोवियत रूस को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी कार्यवाही का समर्थन किया है । ब्रिटेन ने ज़रूर हमारे विरुद्ध कार्य किया है लेकिन उससे क्या होता है ।

जहां तक गोआ की आज़ादी की बात है मैं भारतीय सेनाओं को बधाई देता हूं । हमारे प्रधान मंत्री भी बधाई के पात्र हैं । प्रतिरक्षा मंत्री एवं मंत्रालय दोनों ही बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया । लेकिन साथ ही हमें अपने सैनिकों को उन आक्षेपों से बचाना चाहिये जो कि उनके विरुद्ध किये जा रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि इन झूठे आक्षेपों से सैनिकों का नैतिक पतन हो जाये ।

गोआ में आजकल ४ हज़ार विधियां हैं जो समाप्त करनी हैं । वहां ६ कपड़े की मिलें खोली जा सकती हैं । आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां से अधिक व्यक्ति गोआ न जायें और वहां के आर्थिक ढांचे को न बिगाड़े । नारियलों का दाम भी कम किया जाना चाहिये ताकि भारत के लिये उनका निर्यात रोका जा सके ।

प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने गोआ के आर्थिक ढांचे के बारे में ठीक ही रुख अपनाया है । चोर बाजारी करने वालों को वहां जाने से रोकना चाहिये ताकि वहां वस्तुओं के मूल्य न बढ़ें । कुछ गोआनिवासियों का विचार है कि गोआ को अलग से एक राज्य बनाया जाये । हम आशा करते हैं कि गोआ के निवासी अपने देश में रह कर अपने देश की ही सेवा करेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : विदेश स्थित हमारे दूतावासों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में गोआ के बारे में सही स्थिति का प्रचार नहीं किया । हो सकता है कि यह आलोचना कुछ अंशों में सही हो । लेकिन यह बात सच है कि जिन लोगों ने यह आलोचना की है उन्हें सही बातों की जानकारी नहीं है ।

सामान्यतः राजदूत सार्वजनिक रूप से भाषण नहीं देते । अमरीका की बात दूसरी है वहां ये भाषण देते हैं जब कि अन्य देशों में प्रायः वे ऐसा नहीं करते जिसे कि आप प्रचार करना कह सकते हैं । वे तो राजनयिक सम्बन्ध ही स्थापित किया करते हैं और कभी कभी ऐसे प्रकाशन प्रकाशित किया करते हैं जिनमें अपने देश के बारे में सही स्थिति का निरूपण हुआ करता है ।

जहां तक अमरीका की बात है वाशिंगटन में हमारे राजदूत ने गोआ के बारे में कुछ अच्छे वक्तव्य दिये हैं गोआ कार्यवाही के बाद अमरीका स्थित भारतीय राजदूत ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था जगह का नाम तो मुझे इस समय याद नहीं है कि उन्होंने यह भाषण कहां दिया था । कुछ सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि हमारे राजदूत प्रचार कम करते हैं लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रचार कार्य लोगों की स विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता जो कि उन्होंने बना रखी हैं।

दिल्ली में विदेशी संवाददाता काफ़ी संख्या में हैं अतः वहां के देश इन विदेशी संवाददाताओं की बात पर अधिक विश्वास करते हैं बजाय इसके कि हमारे राजदूतावास क्या कहते

†मूल अंग्रेजी में

हैं क्योंकि ये दूतावास हमारी सरकार द्वारा दी गई जानकारी को ही दुहराते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जो विश्व से अलग नहीं है सभी विदेशी राज्यों का किसी न किसी रूप में देहली से सम्बन्ध जुड़ा है। यहां बहुत से विदेशी संवाददाता हैं जो यहां से यहां की स्थिति एवं यहां की घटनाओं के बारे में समाचार भेजा करते हैं।

पश्चिमी देशों में गोआ कार्यवाही को 'शीतयुद्ध' का नाम दिया गया है। इन देशों का पुर्तगाल से गठबंधन है और वे पुर्तगाल के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहते। वस्तुतः उन्होंने कई बार ऐसी बातें ही कही हैं जो पुर्तगाल के पक्ष में ही थीं। अतः उनका मस्तिष्क कुछ ऐसे ढंग का बन गया जिसमें वह हमारी बात नहीं सुन सकते। यह बात हो सकती है कि हम इस बारे में कुछ और भी कर सकते थे लेकिन यह कहना गलत है कि हम ने कुछ नहीं किया। इस १४ साल के दौरान में हम ने बहुत कुछ किया है। यह बात दूसरी है कि यह कार्य लगातार नहीं किया गया।

श्री नाथपाई ने कहा है कि शायद मैंने श्री ख्रुश्चेव, मि० मैकमिलन और प्रेसीडेंट कैनेडी से गोआ के बारे में चर्चा की थी। यह बात ठीक है कि प्रेसीडेंट कैनेडी से मैंने इसका जिकर जरूर किया था लेकिन चर्चा नहीं की थी। यह बात उन तक ही सीमित है कि वे मेरी बात मानें या न मानें।

जब मैं न्यूयार्क गया था तो पहले दिन ही टेलीविज़न इंटरव्यू पर मुझ से पूछा गया था कि क्या भारतीय बर्लिन समस्या के बारे में उत्तेजित हैं। इसके उत्तर में नकारात्मक उत्तर देते हुए मैं ने बताया था कि बर्लिन के बारे में तो नहीं किन्तु गोआ के बारे में अवश्य उत्तेजित हैं। हो सकता है कि बर्लिन की समस्या विश्व की शांति या विश्व युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो लेकिन एक सामान्य भारतीय की दृष्टि में गोआ की समस्या इस से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ने यह बात इस दृष्टि से कही थी ताकि अमरीकी इस बात का अनुभव करने लगे कि हम गोआ को बहुत अधिक महत्व देते हैं। प्रेसीडेंट कैनेडी से भी बातचीत के दौरान में मैं ने इस टेलीविज़न इंटरव्यू की बात का उल्लेख किया था। ताकि उनको भी यह स्पष्ट हो जाये कि हम गोआ को अधिक महत्व देते हैं। अब यह बात उन तक सीमित थी कि वह इसके बारे में क्या रुख अपनाते हैं। उस समय गोआ के बारे में कोई कार्यवाही करने का हमारा कोई विचार नहीं था। गोआ में कार्यवाही करने का निर्णय तो मेरे वहां से लौटने के बाद ही हुआ है। हमारे नाविकों पर जब गोली वर्षा हुई तो यह कार्य तेज़ी से शुरू किया गया। इन सब बातों ने गोआ की स्थिति पर पभाव डाला। हम ने यह सोचा कि यदि हम सामान्य नाविकों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो क्या लाभ। अतः हम ने उनकी सुरक्षा करने का निर्णय किया। अतः धीरे धीरे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम इन नागिकों की सुरक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम गोआ में कोई कार्यवाही नहीं करते। ये सब बातें दिसम्बर में हुई। अतः मैं जब अमरीका में था तो मुझे ऐसी कोई जानकारी अथवा मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि हम गोआ में ऐसा कार्य करेंगे।

जब हम ने गोआ में कार्यवाहो करने का निर्णय किया तो हमारी सेना परामर्शदाताओं ने सुझाव दिया कि जब तक कार्यवाहो शुरू नहीं हो जाती तब तक संसार में इसका प्रचार नहीं करना चाहिये। हो सकता है कि ऐसा करने से जटिलताएं उत्पन्न हो जायें। इस सब का उद्देश्य शीघ्रता से एवं प्रभावी कार्य करना था। डर इस बात का था कि कहीं यह प्रभावी कार्यवाही न हो सकी तो हम परेशानी में फंस जायेंगे। यह ठीक है कि हम जीत गये। लेकिन हमारी यह जीत दूसरे ही ढंग की है।

रेलगाड़ियों के आने जाने से सभी लोगों ने यह अनुमान लगाया कि कुछ न कुछ होने जा रहा है अमरीका ने भी ऐसा ही सोचा। और उन्होंने इस बारे में हम से पूछा भी। हम ने उत्तर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दिया कि हम ऐसा करने के लिये मजबूर हो गये थे। लेकिन हम ने उन्हें यह नहीं बताया कि हम यह कार्यवाही कब और किस प्रकार करेंगे। अतः यह स्पष्ट था कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं।

हमारा यह मामला कुछ देशों के विदेशी मंत्रालयों के सामने चर्चा के लिये आया। इन में एशिया के कुछ देश भी सम्मिलित थे।

यह ठीक है कि विदेशों में रहने वाले हमारे राजदूत अथवा कोई अन्य पदाधिकारी ऐसी स्थिति में कुछ कहता है अथवा कोई प्रकाशन प्रकाशित करता है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता। मैं यह बात कोई शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूं। ऐसी बातें अन्य देशों के साथ भी हुआ करती हैं। दूसरे देश वाले यदि हमारी किसी बात में रुचि नहीं रखते तो वे हमारी कोई बात नहीं छापते। विदेशों में भारत जैसी हालत नहीं है। यहां प्रचार करना बहुत आसान है।

इस सम्बन्ध में भारत की भावनाओं को पश्चिम की जनता के समक्ष रखना बहुत कठिन है। हम अपने पड़ौसी देश की तरह बहुत अधिक चिल्लाना नहीं चाहते हैं। हम इस प्रकार कार्य करना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं। संभव है कि इस प्रकार के तरीके से पश्चिमी देशों पर अधिक प्रभाव होता हो। तथापि हमारी शिक्षा और संस्कृति दूसरे प्रकार की रही है। भले ही हमारे तरीकों का तत्काल प्रभाव न हो तथापि अन्ततः हमारे ही तरीके की विजय होती है।

गोआ हमारे अस्तित्व के बीच एक ग्रन्थि की तरह मौजूद था। आध्यात्मिक, जातीय तथा भाषा सम्बन्धी प्रत्येक दृष्टि से यह एक ग्रन्थि के रूप में था। अतः गोआ में पुर्तगाल का प्रभुत्व देख कर हमें निरंतर दुःख होता था।

इसका दूसरा पहलू यह था कि यह भारत में यूरोपीय सत्ता के चिह्न की तरह मौजूद था। हमारे समस्त इतिहास और राष्ट्रीयता को यह एक चुनौती थी। हम इसे सहन नहीं कर सके। यह केवल क्षेत्रीय मामला नहीं था। हमारी स्वतंत्रता की भावना को इस पर आपत्ति थी। हम ने यह अनुभव किया कि गोआ को स्वतंत्र किये बिना हमारा स्वतंत्रता संग्राम पूरा नहीं हो सकता है।

तथापि विदेशियों ने इसे इस रूप में न देख कर एक क्षेत्र को हड़प लेने के रूप में देखा। यह सरासर गलत है। इस बात का एक दूसरा पहलू यह भी था कि पुर्तगाल नाटो संधि का सदस्य था। अतः यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता था कि संकट के समय इसका क्या रवैया रहेगा। आपको स्मरण होगा कि सभा में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि गोआ को नाटो गुट के राष्ट्र किस प्रकार सहायता देंगे। कुछ वक्तव्यों में स्पष्ट रूप से यह बात कही गयी कि यह गोआ के मामले में लागू नहीं होगा कुछ वक्तव्यों में यह बात स्पष्ट रूप से यह बात नहीं कही गयी।

आध्यात्मिक और भावात्मक पहलू के अलावा, महायुद्ध छिड़ जाने की दशा में उन में से एक पक्ष का अड्डा भारत में रहने के बहुत भयंकर परिणाम हो सकते थे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि युद्ध छिड़ जाने की दशा में सब से पहिला काम जो हमें करना पड़ता, वह था पुर्तगालियों को यहां से निकालना, हमें चौबीस घंटे के अंदर ऐसा करना पड़ता। अतः यह स्वाभाविक था कि हम ऐसा युद्ध छिड़ने के बहुत पहिले ही करें। हम नहीं चाहते थे कि युद्ध छिड़े।

अतः इन सब बातों को खुले आम बतलाना संभव नहीं था। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनके अपने विचार हैं। तथापि हमें उनके विचारों को देख कर आश्चर्य होता है; क्योंकि वे राष्ट्र बहुत बड़े राष्ट्र हैं और हम उनकी मैत्री के इच्छुक हैं। तथापि इस मामले में उनके विचार नितांत

व्यक्तिगत हैं। उनकी यह उपेक्षा शीत युद्ध के रवैये से मिलती है। क्योंकि तब हम किसी प्रश्न का केवल एक ही पक्ष देख सकते हैं।

सदस्यों ने हमारी सेना की प्रशंसा की है। निसंदेह उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य के दौरान उनका व्यवहार बहुत प्रशंसनीय रहा है। यद्यपि उनके कार्यों के बारे में बाद में कुछ शिकायतें आयी हैं और कुछ शिकायतों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। उनमें से कुछ शिकायतें बिल्कुल गलत थीं। उदाहरणार्थ एक शिकायत आयी कि हमारी सेना के एक कर्मचारी ने कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। हमने इस बात की जांच की और हमें यह पता लगा था कि जिस व्यक्ति ने महिलाओं से छेड़ छाड़ करने का प्रयत्न किया था वह नकली दाढ़ी मोंछें लगा कर, सिख बन कर गया था। किन्तु खींचने पर उसकी दाढ़ी मोंछ हाथों में आ गयी। यह भी शिकायत आयी कि एक व्यक्ति ने उनसे पुर्तगाली भाषा में बातचीत की। हमारी सेना में जो लोग वहां भेजे गये थे, पुर्तगाली कोई भी नहीं जानता है। अतः जांच करने पर अधिकतर शिकायतें गलत सिद्ध हुईं। एक दो दुर्व्यवहार के मामले हुए। उन्हें दंड दिया गया तथापि परिस्थितियों को देखते हुए ये मामले नगण्य हैं। मोटे तौर पर हमारी सेना का व्यवहार प्रशंसनीय रहा।

हमें अभी इस संसद में गोआ के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करनी होगी। इसमें अभी कुछ समय लगेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा कि जो लोग भारत में सब से पहले आये उन्होंने सब से अन्त में भारत छोड़ा। मुझे विश्वास है कि न केवल निकट भविष्य में अपितु सुदूर भविष्य में भी अब कोई भारत में घुसने का साहस नहीं करेगा और जो आयेगा भी उसे इसी प्रकार उखाड़ फेंका जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

माननीय सदस्य कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। वे अपने हाथों को 'हां' या 'ना' में से उचित बटन पर ही रखें जिससे कि गलती न होने पावे।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**सभा में मतविभाजन हुआ**

†**अध्यक्ष महोदय** : मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष में ३१२ और विपक्ष में **कोई नहीं**

**प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ।**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड २ और ३**

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बनें"

**लोक सभा में मतविभाजन हुआ।**

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मतविभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

**पक्ष में ३२१ और विपक्ष में कोई नहीं**

**प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । वस्तुतः गोआ के भारत मे एकीकरण में हमें अत्यन्त संतोष, प्रसन्नता और हर्ष हुआ है । हमारे इस कार्य से एशिया और अफ्रीका में हमारी प्रतिष्ठा की वृद्धि की है । इससे भारत के एकीकरण को भी बल मिला है ।

विधेयक में संलग्न उद्देश्य और कारणों के विवरण में 'अर्जन' शब्द लिखा गया है जब कि इसके स्थान में 'मुक्ति' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये था । इससे विदेशों के इस आरोप को कि हम ने यह क्षेत्र हड़प लिया है पुष्टि मिलती है । मेरे विचार से इसे अर्जन के स्थान पर मुक्ति लिखा जाना चाहिये था । मेरे विचार से इसमें कोई विधि सम्बन्धी आपत्ति भी नहीं होती ।

मैं इस सम्बन्ध में एक अन्य बात भी कहना चाहता हूं वह यह है कि गोआ में विदेशी पत्रकारों को जाने की अनुमति दी जा रही है जब कि भारतीय पत्रकारों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें इस सम्बन्ध में संविधान में प्रयुक्त शब्दावलि के अनुसार बढ़ना पड़ा है । अनुच्छेद १(३) (ग) में कहा गया है "ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किये जायें" हमें उन्हीं शब्दों के अनुसार चलना पड़ा अयन्था अन्य जटिलतायें पैदा हो जातीं ।

मुझे स्वयं इस बात का दुख है कि हमारे पत्रकार वहां नहीं भेजे गये । तथापि इसमें हमारा दोष नहीं था क्योंकि जो पत्रकार वहां पहिले से ही मौजूद थे वे वहां पुर्तगालियों के द्वारा लाये

†मूल अंग्रेजी में

*इस मतविभाजन का परिणाम दोनों खण्डों पर पृथक् रूप से लागू है ।

गये थे । वे वहां या तो सेना के साथ जा सकते थे या तत्काल पश्चात् जा सकते थे । कदाचित इसमें कुछ विलम्ब हुआ । वे नहीं जानते थे कि सेना को किस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ेगा । कदाचित् सेना ने इस बात को गोपनीय रखना ठीक समझा और उन्होंने किसी का साथ जाना पसन्द नहीं किया । कुछ भी हो हमें इस बात पर दुख है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

**लोक सभा में मतविभाजन हुआ**

†**अध्यक्ष महोदय** : मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में ३२३ और विपक्ष में कोई नहीं

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९६२, सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

## गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है जो कुछ समय पूर्व जारी किया गया था और इस का तात्पर्य उन समस्याओं का समाधान करना है जो गोआ, दमन और दीव के संघ सरकार द्वारा लिये जाने के पश्चात् उत्पन्न हुई है ।

मैं इस के विभिन्न उपबन्धों की व्याख्या करने में सभा का अधिक समय नहीं लूंगा । यह प्रायः दादरा और नगर हवेली विधेयक की ही तरह है । उस में उन राज्य क्षेत्रों के संसद् में प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है ।

बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार गोआ, दमन और दीव में किया गया है । इस का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि यह गोआ को किसी निकटवर्ती राज्य में मिलाने की भूमिका है । यह पृथक रहेगा तथापि उसे किसी न किसी न्यायालय के अधीन लाना ही होगा । हम गोआ में ही उच्च न्यायालय स्थापित नहीं कर सकते हैं ।

अवशेष विधेयक में कुछ कार्यों तथा वर्तमान विधियां जारी रखने के लिये प्राधिकार दिया गया है ।

इस के सम्बन्ध में एक संशोधन रखा गया है कि "कोई ऐसी विधि भारतीय संविधान की भावना के पूर्णतः प्रतिकूल न हो ।" मेरे विचार से यह संशोधन अनवाश्यक है । क्योंकि हम संविधान

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के प्रतिकूल किसी विधि को पारित कर ही नहीं सकते हैं। इस पर उच्चतम न्यायालय तत्काल हस्तक्षेप कर देगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–केन्द्रीय) : मैं इस विधेयक का बहुत प्रसन्नता से स्वागत नहीं कर सकता। सरकार ने वहां लोकतंत्रीय व्यवस्था को लागू करने का व्यापक प्रयत्न नहीं किया मालूम होता। गोआ में केन्द्रीय शासन कोई अच्छी बात नहीं है। केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत अन्य प्रदेशों का कोई बहुत अच्छा अनुभव सामने नहीं आया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सम्भव है कि कुछ अन्तर्कालीन प्रबन्ध करने पड़ें, परन्तु मेरा निवेदन तो यह है कि गोआ निवासियों को भारतीय संविधान के अनुसार प्रजातंत्रीय संस्थाओं द्वारा स्वयं अपने शासन के चलाने का मूल अधिकार दिया जाना चाहिये। यदि गोआ को एक केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र रखा गया तथा उस को निर्वाचित विधान सभा का अधिकार न दिया गया तो वहां की जनता अनिवार्य रूप से असन्तुष्ट रहेगी। मेरा मत यह तो यह है कि जिस प्रकार वर्तमान विधेयक का निर्माण किया गया है उस से हमारे गोआ में रहने वाले देश निवासियों की प्रजातंत्रीय आकांक्षायें पूरी नहीं होती हैं। मेरा अनु-रोध है कि सरकार को इस दिशा में तनिक अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये। ऐसा न हो कि वहां के लोग अपने असन्तोष को व्यक्त करने के लिए आन्दोलन चलाने आरम्भ कर दें। क्योंकि अखिल गोआ राजनीतिक दल की ओर से यह मांग हो रही है कि गोआ को भारत संघ के अन्तर्गत एक अलग राज्य का निर्माण किया जाय।

गोआ के आर्थिक संगठन के सम्बन्ध में, जिस का राजनीति से भी अप्रत्यक्ष संबंध है मेरा निवेदन है कि अब जबकि गोआ स्वतंत्र हो गया है हमें उस की आर्थिक प्रगति के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। गोआ में जो कच्चे लोहे की खानें हैं उन को सरकारी क्षेत्र में ले आना चाहिये और एक योजना तैयार की जानी चाहिये जिस से उस कच्चे लोहे को भारत में सर्वोत्तम इस्पात के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इस से देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है और इस से गोआ के आस पास का क्षेत्र भी प्रभावित होगा।

गोआ में एक समुदाय का यह भी मत है कि इसे महाराष्ट्र में सम्मिलित कर लिया जाय। क्योंकि महाराष्ट्र की भाषा परम्परा और संस्कृति का प्रभाव गोआ के बहुसंख्यक लोगों पर है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गोआ में भाषा की समस्या को ले कर कुछ लोग गोआ निवासियों में फूट डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस बारे में मेरा अनुरोध है कि सरकार को सावधानी और सहानुभूति से काम करना चाहिए।

हमें इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि वहां के लोगों की भाषा क्या है। कुंकणी वहां के आम लोगों की भाषा है और इस भाषा के विकास के निमित्त प्रयत्न किये जाने चाहिए। इस से पूर्व पुर्तगाली भाषा राज्य भाषा थी और शायद कुछ देर के लिए इसे रखना ही पड़े परन्तु सदा के लिए ऐसा नहीं चल सकता। हमें गोआ के लोगों को प्रत्येक दिशा में विकास का पूरा अवसर देना चाहिए। मेरी सरकार के विरुद्ध एक ही शिकायत है कि वहां लोकतंत्रीय व्यवस्था लागू नहीं

†मूल अंग्रेज़ी में

की जा रही। वहां के लोगों को संसद् में नामजदगी द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। हमें वहां के अवसरवादी तत्वों से सचेत रहना होगा। शायद वे इस प्रयत्न में रहें कि गोआ के लोगों में एकता स्थापित न हो। जो विधान प्रस्तुत किया गया है इससे गोआ के लोगों को समुचित लोकतंत्रीय अधिकार प्राप्त नहीं होता।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा)**: मुझे प्रसन्नता है कि इस, विशेष विवाद का सम्बन्ध मुझ से है। मेरा सम्बन्ध गोआवासियों के साथ गत २५ वर्षों से चल रहा है। मैं उनके हृदय को बहुत अच्छी तरह से समझती हूं। यह तो अब अन्तिम रूप में निर्धारित हो ही चुका है कि गोआ भारत का एक अभिन्न अंग है। अतः अब हम वहां के प्रशासनिक ढ़ांचे का निर्माण कर रहे हैं। इस दिशा में सब से पहली बात जो हमें समझनी है वह यह है कि हमें गोआ, दमन और दीव के लोगों के मन को समझना है। वे बेचारे हम से, ४५१ वर्ष तक कटे रहे हैं। अतः वे गरीब लोग हर बात को समझने में कुछ समय लेंगे। समय आने पर वे सब बातें अपने आप समझ जायेंगे और उन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार भारतवर्ष भर में पंचवर्षीय योजनाओं के के अन्तर्गत कार्य हुआ है। गोआ को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से जो कुछ हम अब तक करने का प्रयत्न कर रहे थे वह सब तो अनावश्यक हो गया है। गोआ के लोग तानाशाही शासन की यातनायें बहुत बुरी तरह सहन करते रहे। परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि इस लम्बे ४५१ वर्ष के अर्से में वहां २९ क्रांतियां हुईं जो सब इस बात का प्रतीक थीं कि वहां के लोग स्वतन्त्रता के प्रति न उदासीन ही हैं और न वे चुप बैठे हैं। सब कुछ देखते हुए ही अन्ततोगत्वा भारत सरकार को गोआ के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ा और कड़ी नीति अपनानी पड़ी।

हालात बड़ी तेजी से बदले सदन के सभी सदस्यों को इस बारे में पूरी जानकारी है। १४ वर्ष हमने शांति से प्रतीक्षा की और संसार को बताया कि इस समस्या को शांतिपूर्ण ढ़ंग से सुलझाने के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम चाहते थे कि दिलों को जीतें और शांति से मामला हल करें। परन्तु ऐसा न हो सका शांति का ढ़ंग सफल न हो सका। आक्रमणकारी को अधिक देर सहन करना ठीक नहीं समझा गया। भारत को गोआ पर कब्जा करने का निर्णय अन्ततोगत्वा करना ही पड़ा।

मैं इस दिशा में किये गये भारतीय सेना के कार्य की सराहना करती हूं। हम जैसा चाहते थे उसी प्रकार धीरता और शूरता से हमारी सेनाओं ने कार्य किया। गोआ की जनता ने अन्दर से इस पग का समर्थन किया। परन्तु जो भी शानदार सफलता हमें प्राप्त हुई उसका श्रेय भारतीय सेना को ही है।

इससे पूर्व कि हम गोआ के प्रशासनिक ढांचे का कुछ निर्णय करें हमें सब से पहले गोआ में जनसंख्या की जनगणना के लिए उपाय करने होंगे। गोआ के लड़के लड़कियां लगभग सभी देशों में नौकरियों के लिए मारे-मारे फिरते रहे हैं। हमें उन सभी उपायों का उपयोग करना होगा जिससे उस क्षेत्रके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह करना होगा। और मेरा विचार है कि यदि सब काम ठीक प्रकार से समाप्त हो गया तो परीक्षणात्मक उपायों को वर्ष के अन्त तक आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। गोआ के कितने लोग पुनः भारत वापिस आना चाहते हैं इस बात का भी पता किया जाना चाहिए। और साथ ही वहां जनमत भी तैयार करना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ४५१ वर्ष के बाद गोआ के लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो रहा है कि वह अपने बारे में कुछ निर्णय करें।

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती अल्वा]

हमने गोआ को एक अलग संघ क्षेत्र के रूप में रखा है। इससे हमारा उद्देश्य यह है कि इसका अलग से राजनीतिक अस्तित्व कायम रखा जा सके। और इसे आवश्यकता अनुसार विकसित किया जा सके। यह बड़ी सराहनीय बात है क्योंकि हम चाहते यह हैं कि लोग अपनी इच्छानुसार स्वयं कुछ निर्णय कर सकें। श्री मुकर्जी ने भाषा के प्रश्न की ओर जो इशारा किया है उसके बारे में निवेदन है कि कौंकणी को गोआ की भाषा बनाने के प्रश्न पर सावधानी से विचार करना होगा तथा इस सम्बन्ध में वहां के लोगों का मत मानना होगा। कई लोग वहां पुर्तगाली लिपि में कोंकणी लिखते हैं। अत: इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। परन्तु मेरा निवेदन है कि भाषा के प्रश्न को गोआ के राजनीतिक प्रश्न के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए। आज जो सैनिक प्राधिकार वहां कार्य कर रहा है वह वहां के हालात को ठीक करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है। प्रशासन कार्य बहुत ही होशयारी से हो रहा है और जिन बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है उनकी ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

सब से बड़ी हर्ष की बात यह है कि तस्कर व्यापार हटा दिया गया है। तस्कर व्यापार करने वाले लोगों का तो हित ही इसी में था कि पुर्तगाली शासन चलता रहे। अब गोआ में ये तस्कर व्यापारियों का दल खत्म कर दिया गया है। हमारी यह प्रबल आकांक्षा है कि स्थानीय जनता गोआ में स्थापित किये जाने वाले प्रशासन का सम्मान करे। जहां तक आर्थिक दिशा का सम्बन्ध है, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि किसी भी नीति अथवा कार्यक्रम का निर्माण करते समय जन-साधारण को ध्यान में रखना चाहिए। प्रशासन को यह देखना चाहिए कि धन की सहायता आंखें बन्द करके बड़े-बड़े व्यापारियों को नहीं दी जानी चाहिए। कल्याणकारी राज्य में किसी भी प्रकार से जनहित को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। गोआ के वित्तीय और आर्थिक ढ़ाचे के बारे में भी निर्णय गोआ के लोग ही करेंगे। 'सामान्य व्यक्ति' वहां अपना विकास कर सके इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए और इन सब समस्याओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हल करनी चाहिएं। । वहां कई राजनीतिक बातें धर्म के साथ मिला दी गई थीं। और यह गलत बात गत ४५१ वर्ष से बराबर होती रहती है। इसके लिए हमें वहां शिक्षा प्रसार करना है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि गोआ के चर्च को यह समझना चाहिए कि इसे लोकिक शक्ति से अलग होना है। सरकार को १९२८ के सौहार्दि-बन्धनों की जांच करनी चाहिए। इससे उन दावों की कलई खुल जायेगी जिसके आधार पर डा० सालाजार अपने प्रशासन की नैतिक पुष्टि करते रहे हैं। इस दिशा में जो भी कार्यवाही अपेक्षित होगी की जायेगी और इस मामले में हमारे प्रधान मंत्री जो भी निर्णय करेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि गोआ के चर्च को यह स्वीकार करना चाहिए कि गोआ, दमन और दीव अब संघ क्षेत्र है। हमारे संविधान के अन्तर्गत सब को धर्म की स्वतंत्रता है और स्कूलों तथा संस्थाओं की आजादी में हस्तक्षेप नहीं किया जाता।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोआ को प्राकृतिक पत्तन तो स्वीकार किया ही गया है और इसका विकास किया जायेगा। इसी तरह गोआ के हवाई अड्डे के अग्रेतर विकास का समुचित ध्यान रखा जायेगा जो कि पहिले भी काफी अच्छी प्रकार से विकसित है। और इसके लिए वहां के लोगों का पूरा सहयोग लिया जायेगा। हमें पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसी योजना तैयार करनी होगी जिससे जनसाधारण का अपना घर और अपना खेत आदि हो सके। अन्त में मेरा यही कहना है कि गोआ की संस्कृति पूरी तरह बनी रहेगी और उसके विकास का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : हमें बहुत हर्ष है कि इस विधेयक के द्वारा गोआ के लोगों के प्रतिनिधि इस सदन में बैठ सकेंगे । किन्तु हम यह जानना चाहेंगे कि वे किस तरीके से आयेंगे और गोआ के लोग उन्हें सब चुनेंगे । साथ ही यह भी बतलाया जाना चाहिए कि चुनाव होने तक बीच की अवधि के लिए कोई अस्थाई प्रबन्ध किया जायेगा ।

सर्वक्षमा के विषय के बारे में हम यह स्पश्ट आश्वासन चाहते हैं कि विधेयक में सर्वक्षमा के जो उपबन्ध सम्मिलित किये गये हैं वे उन्हीं तक सीमित रहें जो निष्कपट कर्त्तव्य कर रहे हैं । यदि अपने कर्त्तव्यपालन में वे हमारे देश की आधारभूत विधि का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें सर्वक्षमा का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए ।

हमारी सशस्त्र सेना गोआ के कार्य के लिए बधाई की पात्र है । किन्तु हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि गोआ में हमारा कार्य सर्वथा निरापद रहे और हम अपने उत्साह में या अज्ञानता में कोई ऐसी गलती न कर बैठें जिससे हमारे आलोचक अनुचित लाभ उठायें । हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम गोआ के लोगों के सामने किसी प्रकार का बड़प्पन प्रदर्शन न करें ।

सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उस ने एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को सैनिक प्रशासक का विशेष सलाहकार क्यों नियुक्त किया है ।

विधेयक में ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था का उपबन्ध नहीं किया गया है जो जनता की इच्छा का प्रतीक हो और हमारे संविधान की भावनाओं के अनुकूल हो । गोआ के प्रशासन में वहां के नेताओं को सम्मिलित करने में सरकार के सामने क्या अड़चन थीं ?

वहां के लोगों को यह भी शिकायत है कि वे गोआ के प्रशासन को मिल नहीं पाते । क्या यह भी आवश्यक है कि जब भी वह बाहर जायें, उनके आगे और पीछे एक एक जीप हो । गोआ में विभागों के निदेशकों को अंग्रेज़ी, मराठी और क कनी का ज्ञान नहीं है । इस के लिए उन्हें शिकार नहीं बनाना चाहिए ।

इसके बाद मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उस क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था में सामान रूप से कमी हो रही है और वहां डकैतियों और अन्य अपराधियों की संख्या बढ़ रही है । यह भी बताया जाना चाहिए कि गोआ में बेकारी के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है । यह बात भी जांच करने के योग्य है कि चौर्यायिन करने वाले लोग अब गोआ की आजादी के वाद समाज में बहुत ऊंचे बने हुए हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि गोआ के लोगों की शिकायतों की जांच की जानी चाहिए । यदि किसी ने कोई ज्यादती की हो, तो आवश्यकता के अनुसार, न्यायाधीश के अधीन एक सार्वजनिक जांच होनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : विधेयक में गोआ में प्रचलित विधियों के बारे में इतना कहा गया है कि इनका अनुकूलन किया जाये । मैं ने यह संशोधन दिया है कि ऐसे समस्त कानूनों का निरसन आवश्यक है जो संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध हैं । इस के लिए हमें तुरन्त पुनरीक्षण शुरु कर देना चाहिए । गोआ को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है । यह नीति सही नहीं है क्योंकि सरकार तय कर चुकी है कि ऐसे नये राज्य क्षेत्र न बनाये जायें और ऐसे वर्तमान क्षेत्रों को निकटवर्ती राज्यों में मिलाया जाये । गोआ, दमन और दीव को महाराष्ट्र या मैसूर राज्यों में मिलाना चाहिए और दादरा और नगर हवेली को गुजरात में । गोआ की पृथक् संस्कृति, भाषा आदि की बात करना रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि गोआ, दमन और दीव से पुर्तगाली

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बलराज मधोक]

प्रभाव दूर किया जाय। भावात्मक एकता के लिए यह आवश्यक है। भाषा के मामले में हमें पुर्तगाली को हटा कर अंग्रेज़ी का नहीं बल्कि कोंकनी, मराठी या हिन्दी को इस का स्थान देना चाहिए।

इस विधेयक में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तरह गोआ के लोगों के लिए एक प्रादेशिक परिषद् या सलाहकार निकाय होना चाहिए, ताकि उन्हें प्रशासन के साथ सम्बद्ध किया जा सके। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रताएं और सुविधाएं हैं वे सब गोआ के लोगों को प्राप्त होनी चाहिएं। इससे हम उनके अधिक निकट आ सकेंगे; यह आवश्यक है कि गोआ में प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की जाये।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : यदि हम गोआ को पूर्णतया भारत में मिलाना चाहते हैं तो प्रवेश पत्रों और परिचय पत्रों को यथासंभव धीरे-धीरे समाप्त कर देना चाहिए : क्योंकि भारत के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए यदि ऐसे पत्र आवश्यक हों, तो इस से मैत्री भावना को हानि पहुंचेगी।

यदि इस अभिप्राय की कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि गोआ में कुछ अवांछनीय घटनायें हुई हैं, तो इनके बारे में जांच करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि गोआ की पृथक संस्कृति रहे, तो वह भारत में नहीं रहेगा क्योंकि भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं। यदि वहां की पुर्तगाली संस्कृति में कोई अच्छी बातें हैं, तो वे बनी रहनी चाहिएं।

मुझे आशा है कि यदि कोई राष्ट्रवादी गोआ में अब भी कैद में हैं, तो वे शीघ्र रिहा कर दिये जायेंगे। इन के सब मामलों की जांच होनी चाहिए।

मुझे आशा है कि इस विधेयक को सदन का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा और इसके कारण गोआ के संघ राज्य क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्वी खानदेश) : जितने भी भाषण यहां हुए हैं, उन में से किसी में उन शहीदों का उल्लेख नहीं किया गया, जो अगस्त १९५५ में सालाज़ार की गोलियों का निशाना बने थे। हमें उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। उन के आश्रितों के लिए अनुपूरक अनुदानों में कोई भी राशि नहीं रखी गई यद्यपि वहां के पुर्तगाली नज़रबन्दों के लिए १५ लाख रुपये की रकम है।

गोआ के प्रशासनीय ढांचे के बारे में, मैं समझता हूं कि यद्यपि अन्तर्कालीन रूप से यह संघ राज्य क्षेत्र रह सकता है, अन्त में इसे महाराष्ट्र में मिलाना ही पड़ेगा। मुझे आशा है सरकार नई संसद् में एक विधयक प्रस्तुत करेगी जिसके अन्तर्गत गोआ महाराष्ट्र का और दमन, दीव और नगर हवेली गुजरात का भाग बनेंगे।

विधेयक में खंड ६ को जोड़ कर संसद् अपने विधायिनी अधिकार पूर्णतया सरकार के पक्ष में त्याग कर रही है, विधि मंत्री को इस उपबन्ध की अधिक सावधानी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय में इस बात पर आपत्ति उठाई जा सकती है।

उन शहीदों के परिवारों के मामलों की जांच होनी चाहिए और सरकार को उन्हें युक्तियुक्त प्रतिकर देना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** भारत ने गोआ को आज़ाद कर के एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के पराधीन देशों के लिए मिसाल कायम की है। हमारी सेना भी अपनी कार्यवाही के लिए बधाई की पात्र है।

गोआ के प्रशासन के बारे में मैं यह कहूंगा कि इसके अन्तर्गत अच्छा काम हो रहा है। वहां जो लोग प्रशासन चला रहे हैं उनके प्रति हमें अधिक उदारता दिखानी चाहिए।

यह विधेयक अन्तरिम रूप में है। गोआ, दमन और दीव को केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र बनाना ठीक है। दिल्ली की तरह गोआ, दमन और दीव में लोकतन्त्रात्मक संस्थायें होनी चाहिएं। वहां पंचायती राज होना चाहिए। मुझे आशा है कि जब बाकी केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की तरह से वहां भी आर्थिक विकास होगा तब वहां पर साधारण स्थिति हो जायेगी।

इन को किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलाना चाहिए। अपना व्यक्तित्व रखने दिया जाये और अपने ढंग से तरक्की करने देनी चाहिए।

हमें गोआ, दमन और दीव के लोगों की शिकायत करने की आदत पर बल नहीं देना चाहिए। हमें उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि गोआ हमारी ही तरह भारत का एक अंग है और उन की वर्तमान तकलीफें शीघ्र दूर हो जायेंगी।

मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि उनकी शिकायतों की जांच के लिये आयोग नियुक्त किया जाये। अभी वहां ऐसी स्थिति नहीं है। अभी तो वहां संक्रमण काल है। हमें उन को आर्थिक स्थिति सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। वहां के लोगों को अपने व्यक्तित्व का ख्याल होना चाहिए। विश्वविद्यालय व्यक्तित्व के लिए परमावश्यक है। पहला जो क्रियात्मक काम हमें करना चाहिए वह यह है कि गोआ, दमन और दीव में एक अलग विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। उस विश्व-विद्यालय में मराठी या ऐसी कोई भी भाषा शिक्षा का माध्यम बनाई जा सकती है।

मैं लोक-सभा के लिए गोआ, दमन और दीव से सदस्य के नाम निर्देशन की व्यवस्था का स्वागत करता हूं। वह समय दूर नहीं जब वहां से लोक सभा के लिए लोग निर्वाचित हो के आयेंगे।

माननीय गृह-कार्य उपमंत्री जी ने ठीक कहा कि गोआ, दमन और दीव की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है वहां अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आम जनता भूखी मरती है---खुराक नहीं मिलती है और जीवन की अच्छी वस्तुएं भी नहीं मिलती हैं। इस आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना सब से कठिन समस्या है वहां पर कच्ची धातुओं की खानों का राष्ट्रीयकरण शीघ्र कर देना चाहिए। इसकी वहां बहुत आवश्यकता है।

जिस प्रकार हम ने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति---उस के गाने, नाच और दूसरी वस्तुओं---की रक्षा की है, मनीपुर और त्रिपुरा की संस्कृति की रक्षा की है उसी प्रकार गोआ, दमन और दीव की संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। यह कहना गलत है कि गोआ के लोग बैरे ही हैं अपितु कई बातों में हम से भी अच्छे हैं। वे लोग शहीद और देशभक्त होते हैं।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : किसी ने नहीं कहा कि वे बैरे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** गोआ के लोगों को सांस्कृतिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। उन की संस्कृति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि अगले गणतंत्र दिवस समारोह में गोआ की संस्कृति का प्रतिनिधित्व होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

इस समय गोआ में हीनता और नैराश्य की भावना नहीं है। वहां पर तो खुशी की भावना है। वे लोग अपने देश के भाग बन गये हैं यह विधेयक जिसे हम आज पारित कर रहे हैं उन्हें और अधिक आशा, विश्वास और उत्साह प्रदान करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि थोड़े वर्षों में गोआ भारत के अच्छे भागों में से एक हो जाये और जीवन के कुछ पहलुओं में भारत का पथ-प्रदर्शन करे।

मुझे आशा है कि यह विधेयक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। गोआ, दमन और दीव के लोगों को उज्जवल भविष्य बनाने में पर्याप्त प्रोत्साहन देगा।

**श्री सरजू पाण्डेय** (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन हमारे देश के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अवसर पर मैं उन तमाम शहीदों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं, जिन्होंने गोआ के स्वाधीनता-संग्राम में अपनी जानें गंवाईं। साथ ही हम उन लोगों के भी आभारी हैं, जिन्होंने गोआ की आज़ादी के लिए काफी कष्ट सहे हैं।

मैं चाहता था कि इस विषय में कोई पूरा और भरपूर कानून इस सदन के सामने लाया जाता, जिस से उन तमाम शंकाओं का समाधान हो जाता, जो कि कई माननीय सदस्यों के द्वारा उठाई गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसका मुझे अफ़सोस है। लेकिन फिर भी यह बात सही है कि गोआ की आज़ादी के लिए जो कार्यवाही सरकार की तरफ़ से अभी हाल ही में की गई है, वह बहुत पहले की जा सकती थी। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ़ से काफी देर की गई है। बहरहाल, देर आयद दुरुस्त आयद।

मैं समझता हूं कि इस बिल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुकर्रर किये जायेंगे, उन को परामर्श और सुझाव देने के लिए जनता के प्रतिनिधियों की कोई कमेटी नियुक्त की जाये। लाज़िमी तौर पर वहां इस सम्बन्ध में कोई पंचायत या चुनी हुई कमेटी होनी चाहिए, वर्ना जिस किस्म के अधिकार और पावर्ज़ एडमिनिस्ट्रेटर को दिये गये हैं, उन के कारण बहुत ज्यादा अन्याय होने की सम्भावना है। इसलिए यह ज़रूरी है कि गोआ निवासियों की कोई चुनी हुई कमेटी हो, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को वहां की समस्याओं के बारे मे राय दे सके, ताकि गोआ की जनता का सही मायनों में प्रतिनिधित्व हो सके और उस के हितों की रक्षा की जा सके।

लोक-सभा के सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में इस बिल में विधान नहीं है कि आया वे नामिनेट किये जायेंगे, या चुने जायेंगे। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है, उन का चुना होना ज़रूरी है, ताकि वे सही मायनों में वहां की जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस बिल में इस तरह का सुधार किया जाये कि चुनाव के द्वारा वहां से सदस्य लोक सभा में आयें।

यूं तो उन तमाम शहीदों के प्रति, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है इस प्रकार का रवैया बहुत ही अजीब किस्म का रहा है और इस सदन में उसकी कई दफ़ा आलोचना की गई है। यह केवल गोआ का ही प्रश्न नहीं है, देश भर में आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों के प्रति सरकार का रुख टालने का रहा है। उन लोगों के लिए सरकार की तरफ़ से कोई खास काम नहीं किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, जो लोग गोआ की आज़ादी की लड़ाई में मारे गये हैं, या जिन को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है, उन के बारे में एक एन्क्वायरी, जांच, कराई जाये और यदि आवश्यक हो, तो उन परिवारों को आर्थिक सहायता सरकार की तरफ़ से प्रदान की जाये। जैसा कि माननीय सदस्य ने फ़रमाया है, वहां के लिए जो ग्रान्टस मन्जर की जा रही हैं, उन में कोई इस की व्यवस्था नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि गोआ के पृथक् अस्तित्व को समाप्त कर के उसको महाराष्ट्र और गुजरात में मिला देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर गोआ की जनता यह चाहती हो, तब तो ऐसा सम्भव हो सकता है, लेकिन यह बात सही है, जिस को हमें स्मरण रखना चाहिए, कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियां, भाषायें और सभ्यताएं रखने वाला मुल्क है। इस लिए देश के किसी भाग को किसी अन्य भाग के साथ इस प्रकार मिलाया नहीं जा सकता, जिस से उसकी संस्कृति, भाषा और दूसरी बातों पर असर पड़े। लेकिन इसकी कोई संतोषजनक व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह छोटे छोटे हिस्से मुल्क में बनते जायेंगे, तो यह देश के हित में अच्छा नहीं होगा इस विषय में वहां के अवाम पर, वहां की जनता पर निर्भर करना चाहिए। अगर वे लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र को किसी दूसरे प्रान्त में मिला दिया जाये, तो अच्छा है, वर्ना फ़िलहाल उनको इस बात का मौका देना चाहिए कि वे अलग रह कर ही अपनी सभ्यता, संस्कृति और जुबान की तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें।

अन्त में धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्दी वहां के लिए कोई पूर्ण बिल लायेगी, जिस में इन सब बातों की व्यवस्था होगी।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के विशेष सिद्धान्तों को जो सर्वसम्मत समर्थन मिला है उस से मुझे हर्ष हुआ है। मैं सुझावों का स्वागत करता हूं। सुझाव कई दिशाओं से मिले हैं और कई सुझाव परस्पर बिल्कुल विरोधी हैं। परन्तु एक चीज़ ने मुझे दुःख पहुंचाया है। वह उन सैनिक और असैनिक अफसरों के प्रति अप्रत्यक्ष आरोप के संकेत हैं जिनके द्वारा दिलाई गई मुक्ति के लिये न केवल गोआ के योग, परन्तु भारत की सम्पूर्ण जनता आभारी है। मेरा इस विषय में इसके अतिरिक्त और कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि उन पदाधिकारियों की फिर प्रशंसा करूं जिन्होंने न केवल आश्चर्यजनक संयम और उत्साह का सबूत दिया है परन्तु उन्होंने अत्यन्त मुश्किल परिस्थिति में बड़ी वफादारी से, बिना भय और पक्षपात से अपने कर्त्तव्य को निभाया है। इस में कोई संदेह नहीं और स्थानों की भांति यहां भी कभी कभी त्रुटियां हैं। सरकारी पदाधिकारी चाहे वे ऊंची श्रेणी के हों या नीची श्रेणी के अन्य लोगों की तरह खूबियों और बुराइयों के शिकार हैं। जहां तक कमज़ोरियों का प्रश्न है वे कभी कभी अपनी बुरी आकृति दिखाती हैं, परन्तु जो इन लोगों ने महान कार्य किया है, उस से इस का कोई सम्बन्ध नहीं और मुझे विश्वास है कि यह अधिक अच्छा होता यदि कथित शिकायतें यथार्थता का पता करके और किसी और समय पर की जातीं। ऐसे मनमाने दोष, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा अधिकतर निराधार पाये गये और जो स्पष्टतः साबित किये जा सके वे बहुत कम हैं। इसलिए मैं इन शिकायतों के बारे में बिल्कुल नहीं कहना चाहता और मैं इसलिए इनकी उपेक्षा करूंगा क्योंकि इस विधेयक के लिए वे सुसंगत नहीं हैं जब तक उन्हें उस धारा का विरोध करने के लिए प्रयोग न किया जाये जो कि उन पदाधिकारियों को जिन्होंने अच्छे अभिप्राय से अपना फ़र्ज अदा किया है असैनिक और दंडनीय कार्यों से उन्मुक्ति दिलाती है। यद्यपि इस आशय से उस का उपयोग नहीं किया गया है।

प्रो० मुकर्जी ने कहा कि वे इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन नहीं करेंगे जितना कि उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक का किया और उन्हों ने गोआ के लोगों को लोकतंत्रात्मक तरीकों को लागू करने के अभाव की ओर संकेत किया। मेरे विचार में हमारे देश या विदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यह सोचता हो कि उस क्षेत्र को जो अभी देश का भाग बना हो ऐसी सरकार दी जाय जिस के विषय में हम ने कुछ भी विचार न किया हो। सरकार कुछ सेवों की तरह नहीं है जोकि तोड़ कर बांटने हैं। सरकार एक गम्भीर मामला है। ऐसी व्यवस्था करने का प्रबन्ध है जिसके

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री० कु० सेन]

लिए अध्यादेश जारी किया गया था। मुझे यथार्थत: हैरानी होती है कि यह सुझाव गम्भीरता से दिया गया है कि यह सरकार गोआ के लोगों को लोकतंत्रात्मक शासन से इसलिए वंचित रखना चाहती है क्योंकि इसका यहां उल्लेख नहीं है। इसका इस विधेयक में कैसे उल्लेख हो सकता है।

उन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की भावी प्रशासन प्रणाली के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका मैं अध्यक्ष हूं। इन क्षेत्रों में प्रादेशिक परिषदों के रूप में अधिक स्वायत्तता है।

श्री मुकर्जी ने स्वयं कहा है कि वे गोआ, दमन और दीव को इस प्रकार की स्वायत्तता देना नहीं चाहते। यदि ऐसा है तो गोआ, दमन और दीव की भावी प्रशासन प्रणाली के बारे में ठंडे दिमाग से भली भांति विचार करना चाहिये। विशेष कर इसलिये कि यहां विदेशी सरकार के अधीन विधि सम्बन्धी प्रणाली भिन्न और दूसरी है जिसका लोकतंत्रात्मक पद्धति से कोई सम्बन्ध नहीं था। अत: मेरी समझ में नहीं आता कि श्री मुकर्जी के अनुसार हमें इस समय क्या करना चाहिये। गोआ को मिलाने के शीघ्र ही बाद एक अध्यादेश जारी किया गया था और उस अध्यादेश का कानून बनाया है और अध्यादेश की व्यवस्था इस विषधेयक में की गई है।

मुझे कोई सन्देह नहीं, जैसाकि प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम गोआ, दमन और दीव का अलग अस्तित्व रखेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि भारत के अन्य भागों की भांति इन भागों को भी वही स्वतंत्रता प्राप्त होगी जिसका इस देश में प्रत्येक नर नारी को अधिकार है।

फिर श्री मुकर्जी ने कुछ व्यक्तिगत शिकायतों की वात की। मुझे कोई सन्देह नहीं कि यदि वे शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जायेंगी तो उनकी ओर उचित ध्यान दिया जायगा और शिकायतें यदि साबित हो जायें तो उनको दूर किया जायगा। इन शिकायतों में गोआ के नौसैनिक पोतांगण में मज़दूरी का न दिया जाना भी है।

उन्होंने कहा कि गोआ के लोगों को स्वयं निर्णय करना चाहिये कि वे महाराष्ट्र से या किसी दूसरे क्षेत्र से मिलना चाहते हैं या अलग से रहना चाहते हैं। इस से यह सिद्ध होता है कि इन क्षेत्रों के भविष्य प्रशासन प्रणाली के विषय में स्थायी विधेयक लाने से पूर्व कौन से कदम उठाने आवश्यक हैं।

श्री नाथ पाई ने पूछा है कि धारा ३ के अन्तर्गत जोकि जन प्रतिनिधान अधिनियम की धारा ४ का संशोधन है, इन क्षेत्रों का कैसा प्रतिनिधित्व होगा। यदि उन्होंने वह धारा पढ़ी होती तो उन्हें पता चलता कि गोआ, दमन और दीव को दो स्थान देने की प्रस्तावना है जोकि नाम निर्देशन से भरे जायेंगे। ऐसा ही दादरा और नगरहवेली के लिए हुआ था। यह इसलिए आवश्यक है कि हम इन लोगों को शीघ्र ही इस सदन के साथ जोड़ना चाहते हैं। हमारा इरादा उन लोगों को वहां स्थायी प्रशासन वनने से पूर्व लोक सभा में प्रतिनिधित्व देने का है मेरे विचार में कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि जब तक प्रशासन का निर्णय न हो तब तक उन्हें प्रतिनिधित्व न दिया जाए।

फिर उन्होंने कहा कि सैनिक प्रशासक के लिए यह अपमान का विषय है कि उनके सलाहकार सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हों। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास है कि वे पदाधिकारी को नहीं जानते हैं। वह इंडियन पुलिस सर्विस का पदाधिकारी है जिसको उनका

पिछला अभिलेख अच्छा होने के कारण चुना गया गया था । वह बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। मुझे पता नहीं कि क्या निरादर है । जिस प्रकार जब केरल का प्रशासन राष्ट्रपति ने अपने हाथ में ले लिया था तो केरल राज्यपाल का सलाहकार एक उच्च असैनिक पदाधिकारी था, उसी प्रकार यहां प्रशासक को उच्च पुलिस पदाधिकारी मंत्रणा देते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे पदाधिकारियों के विषय में वे लोग कैसे असभ्य बातें कहते हैं जिनके विषय में जानते नहीं हैं ।

ऐसा सुझाव दिया गया है कि गोआ का प्रशासन पुराने राष्ट्रीय नेताओं को सौंपने में कोई रुकावट नहीं है । ऐसे व्यक्ति ही नहीं गोआ में प्रत्येक आदमी और औरत अपने क्षेत्रों के प्रशासन में सम्मिलित हो सकते हैं । हम देश में नाशाही किसी रूप में आने देना नहीं चाहते । हमें देश में हर जगह विधान में दी गई स्वतंत्रताओं को स्थापित करना है ।

श्री नाथ पाई ने कहा है कि गोआ के लोगों की ऐसी भावना है कि वे "प्रशासित" हैं । मुझे इस में कोई शंका नहीं कि वे नहीं हैं । श्री नाथ पाई ने तथ्यों को नहीं मालूम किया है यह कहना कि वे लोग जिन्होंने इतिहास में सब से बुरे औपनिवेशिक अत्याचार सहन किये हैं और जिन पर सभ्य विधिपूर्ण प्रणाली से शासन किया जा रहा है, वे महसूस कर रहे हैं कि वे "प्रशासित" हो रहे हैं एक ऐसी प्रस्तावना है जिसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं जब तक मेरी तसल्ली के अनुसार साबित नहीं करते । इस बात का अभिप्राय मेरी समझ में नहीं आया । शायद इस का मतलब बुरे प्रशासन से है ।

आखिर, हम सब देश के कानूनों द्वारा तथा अपनी चुनी हुई सरकार द्वारा प्रशासित हैं । परन्तु इस में क्या कठिनाई है । हम सब "प्रशासित" हैं । इस में कोई आपत्ति नहीं जब तक कि सरकार बुरी न हो । हम यह नहीं कह रहे कि हर सरकार बुरी है । यदि इस सरकार में कुछ त्रुटियां हैं तो सरकार को उनको दूर करने में प्रसन्नता होगी ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र बाद ऐसी बातें करना जोकि वे लोग जो इस मामले में हम से प्रसन्न नहीं हैं प्रयोग कर सकें बहुत खराब है । इसलिये मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि ऐसी बातें कहने में हमें कुछ आत्मसंयम से काम लेना चाहिये ताकि वे लोग जो हमारे मित्र नहीं हैं इस से लाभ न उठायें ।

फिर उन्होंने कहा कि बड़े तस्कर व्यापारियों तथा चोरबाजार करने वालों को विशेषाधिकार दिये गये हैं । यह मेरी समझ में नहीं आता । आखिर यदि तस्कर व्यापारी हैं तो कानून उन से निपटेगा । यदि चोरबाजार हैं तो उन की दशा वैसी ही होगी ।

श्री नौशीर भरूचा ने कहा है कि जो गोआ की आज़ादी के लिये शहीद हुए हम ने उन्हें याद नहीं किया है । मुझे आशा है कि हम उन्हें नहीं भूलेंगे ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मेरा अभिप्राय प्रतिकर देने से है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य ने यह पता करने की कोशिश नहीं की है कि क्या हुआ है । प्रतिकर अचानक ही नहीं दिये जाते हैं । निःसन्देह सरकार प्रतिकर के लिये आवेदनों पर कार्यवाही करेगी । यह केवल प्रतिकर का ही प्रश्न नहीं है, क्योंकि कईयों ने प्रतिकर मांगा ही नहीं है । उदाहरणस्वरूप श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, संसद् सदस्य हैं जोकि गोआ की जेलों में बहुत समय

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० कु० सेन]

तक रहे। उन्होंने प्रतिकर के विषय में सोचा ही नहीं। उस जैसे और भी बहुत से हैं, परन्तु देश उन परिवारों को नहीं भूलेगा जोकि बहुत कष्ट में हैं क्योंकि उन के एकमात्र परिवार का पालन पोषण करने वाले गोआ की स्वतंत्रता के लिये शहीद हो गये हैं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में लाया जाय। यदि ऐसा कोई मामला है तो उसकी जांच की जायेगी। निःसन्देह गृह मंत्रालय, जो कि राजनैतिक पीड़ितों को पता करने का काम करता है, उनका ध्यान रखेगा। गोआ में तो हम अभी गए हैं, वहां ऐसे कई मामले होंगे। बाहर के कई ऐसे मामलों की ओर हम ने ध्यान दिया है। यदि ऐसे मामले और हैं जिन की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, निःसंदेह सरकार को उन की ओर ध्यान देने में प्रसन्नता होगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या इसे उदारता का आश्वासन समझें?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह उदारता का प्रश्न नहीं है। यह कोई भी सरकार हो उसका कर्त्तव्य है। हमारा कर्त्तव्य है कि जो देश और गोआ की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए हैं हम उनकी ओर गौर करें। यह उदारता का प्रश्न नहीं है यह तो फर्ज है।

श्री नौशीर भरूचा ने वर्तमान अधिनियम के जारी रहने और भारत में लागू किसी अधिनियम के गोआ में लागू करने के बारे में कहा है। लागू होने की व्यवस्था तो आम है। और यह शक्ति प्रत्यायोजन के नियम के विरुद्ध नहीं है। यदि हम सरकार को वर्तमान कानूनों के लागू करने की शक्ति देते हैं उसका अर्थ उन कानूनों से है जो कि पहले पारित हो चुके हैं। यह तो केवल कानूनों को लागू करने का प्रश्न है। हम प्रायः ऐसे कानून पारित करते हैं जो लागू किए जाते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन में आवश्यक संशोधन और रूपभेद करने के बाद उन्हें लागू किया जाता है।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम ने भूतकाल में ऐसा किया है। जब हम इन विधियों को ऐसे क्षेत्र में लागू करते हैं जहां कि प्रशासकीय ढांचा विभिन्न प्रकार का है तो हम इन विधियों को वहां आवश्यक संशोधन करने के पश्चात् लागू करते हैं। पेप्सू के मामले में हम ने भूतकाल में ऐसा ही किया था। दादरा और नगरहवेली के मामले में भी हमने भी ऐसा ही किया था। क्योंकि ऐसे संशोधन करना आवश्यक है क्योंकि संसद् उन के बारे में यहां कल्पना भी नहीं कर सकती। ये संशोधन इस ढंग के होते हैं जोकि वहां की स्थिति के अनुकूल होते हैं। हम ने काफी सोच विचार के बाद वहां के लोगों को विधि बनाने का भी अधिकार दिया। क्योंकि हम इन विधियों को इसी रूप में तुरन्त ही वहां लागू नहीं कर सकते थे। वहां के पदाधिकारियों को हमने ये अधिकार दे दिये थे। इस प्रकार के अधिकार हमने अन्य क्षेत्रों को भी दिये थे।

अंत में मुझे यही निवेदन करना है कि हमें इस विधेयक को बिना किसी विभाजन के पारित कर देना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेंगे। श्री बलराज मधोक ने एक संशोधन की सूचना दी है। वह अनुपस्थित हैं। शायद वह इसका अनुसरण नहीं करना चाहते। इसके अलावा और कोई संशोधन नहीं है। मैं सभी खंडों को एक साथ रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"खंड २ से ११ विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड २ से ११ विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं। गोआ में जाने के लिये भारतीयों को कब तक अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता रहेगी। यह बात हम जानते हैं कि यह प्रतिबंध इसलिये लागू किया गया था ताकि गोआ में जाकर कुछ भारतीय वहां की स्थिति को न बिगाड़ें। लेकिन जिन लोगों ने गोआ के लिये कुछ किया अब उन से यह कहा जाये कि गोआ में जाने के लिये अनुज्ञप्ति लो—यह वास्तव में बड़े शर्म की बात है। यह एक बड़ी अजीब बात है। हम यह आश्वासन चाहते हैं कि यह अनुज्ञप्ति व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दी जाये।

†**श्री अ० कु० सेन :** गोआ जब भारत का एक अंग बन गया है उस समय यह व्यवस्था बहुत ही असुविधाजनक है। यह कब समाप्त कर दिया जायेगा यह बताना तो बड़ा कठिन है। सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक हो सकता है कि अभी कुछ दिन तक इसे और चालू रखा जाये। लेकिन इतनी बात जरूर है कि यह व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दी जायेगी। इस प्रकार के अन्य बहुत से मामले भी हैं। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि इस प्रकार के जितने मामले उनकी निगाह में आये वे उन के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा ५ बजे तक के लिये स्थगित होती है फिर ५ बजे सभा प्रारम्भ होगी और उस समय वित्त मंत्री अपना भाषण देंगे।

**इसके पश्चात् लोकसभा ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**लोक-सभा ५ बजे पुनः समवेत हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## सामान्य आय व्ययक, १९६२-६३

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त मंत्री....

**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान्, मैं केन्द्रीय सरकार का १९६२-६३ का बजट प्रस्तुत करता हूं। इसका मुख्य उद्देश्य संसद् के सम्मुख केन्द्रीय सरकार का चालू वर्ष का वित्त-विवरण प्रस्तुत करना और जब तक नयी संसद् बजट पर पुनः विचार न करे तब तक के लिये सरकार की व्यय-पूर्ति के निमित्त सदन से लेखानुदान प्राप्त करना है ।

२. भारतीय अर्थ-व्यवस्था की चालू वर्ष की मुख्य घटनाओं की रूपरेखा आर्थिक-समीक्षा में दी गयी है जिसे पृथक् रूप से प्रचारित किया जा रहा है । इसलिए १९६१-६२ के संशोधित अनुमानों और १९६२-६३ के बजट अनुमानों का विवरण देने से पहले मैं केवल सक्षेप में ही पिछले बारह महीने की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करूंगा ।

३. आलोच्य वर्ष, तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है । मेरे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि योजना-परिव्यय में वृद्धि होने पर भी, जिसके लिए सभा ने, इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किये जाने पर, स्वीकृति दी थी, और गैरसरकारी निवेश (इन्वैस्टमेंट) में लगातार वृद्धि होने पर भी, साधारण मूल्य-स्तर में कुछ सीमा तक स्थिरता आ गयी है । दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मूल्यों के साधारण स्तर में दृढ़ भाव से जो कम या ज्यादा वृद्धि हो रही थी वह सरकार तथा इस सभा के लिए गहरी चिन्ता का विषय थी। वृद्धि की यह प्रवृत्ति चालू वर्ष में रुक गयी है और हाल के सप्ताहों में थोक मूल्यों का साधारण सूचक-अंक (इंडेक्स) एक वर्ष पहले की अपेक्षा नीचे रहा है । अगस्त, १९६१ के बाद से श्रमिक वर्ग का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य-सूचक-अंक स्थिर रहा है ।

४. मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव की यह कमी निश्चय ही उत्पादन के सुधार की द्योतक है। १९६०-६१ में कृषि-उत्पादन में ८.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; यह अब तक की सब से अधिक वृद्धि है । १९६१ के पहले दस महीनों में इस से पहले के वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा औद्योगिक उत्पादन में लगभग ७.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस वर्ष की एक उल्लेखनीय बात यह रही कि मशीनी और बिजली इंजीनियरी के कुछ नये उद्योग-धन्धों के उत्पादन में वृद्धि हुई है । इस्पात का उत्पादन, जो १९६० में २२ लाख टन था, १९६१ में बढ़कर लगभग २९ लाख टन हो गया । चीनी, कोयला, सीमेंट, चाय और कहवा, (काफी) जैसी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं, और रासायनिक उद्योग-धन्धों, गन्धक के तेज़ाब, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और उर्वरकों (फर्टिलाइज़र्स) के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

५. इस में सन्देह नहीं कि पूर्ति (सप्लाई) के सुधार से मांग और पूर्ति के बीच पहले से अच्छा सन्तुलन लाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली, फिर भी राजस्व और मुद्रा-विषयक नीति ने जो काम किया है उस की उपेक्षा न की जानी चाहिए। पिछले बजट में सभा ने मुझे काफ़ी अतिरिक्त कर लगाने की जो अनुमति दी थी उससे विकास के लिए साधनों का विस्तार करने और मुद्रा बाहुल्यकारी (इन्फ्लेशनरी) दबावों को रोके

†मूल अंग्रेजी में

रखने में बहुत सहायता मिली है । जहां तक रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है, उसने उत्पादक उद्योगों की निवेश-सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता का उचित ध्यान रखते हुए सामान्य नियंत्रण की नीति को जारी रखा ।

६. अब मैं देशी साधनों से हटकर विदेशी साधनों पर आता हूं, लेकिन जो तस्वीर मैं पेश करने जा रहा हूं वह बहुत कम सन्तोषजनक है । जब हमने दूसरी योजना का आरम्भ किया था, तो उस समय हमारी पौण्ड प्रारक्षित निधि (स्टर्लिंग रिज़र्व) ७४६ करोड़ रुपये की थी । दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में इस निधि से तेज़ी के साथ निकासी की गयी और जब हमने अपनी तीसरी पंचवर्षीय आयोजना प्रारम्भ की, तो हमारा पौण्ड पावना (स्टर्लिंग बैलेंस) सिर्फ़ १३६ करोड़ रुपये का था । निर्यात बढाने, अनावश्यक वस्तुओं का आयात घटाने और अपनी अर्थ-व्यवस्था को संभालने और उसका विकास करने के लिए अपनी आयात सम्बन्धी अनिवार्य आवश्यकताओं के शेष भाग को पूरा करने की दृष्टि से विदेशी सहायता प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करने पर भी, हमारा पौण्ड पावना जुलाई, १९६१ के अंत में घटकर ९८ करोड़ रुपये रह गया । इसका एक कारण यह था कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता सम्बन्धी बातचीत योजना का आरम्भ होने से पहले पूरी न हो सकी । स्थिति को संभालने और योजना के लिए विदेशी सहायता की सुलभता में समय का जो अन्तर पड़ा उसे दूर करने के लिए हमें पिछले अगस्त महीने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इण्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड), से, जो हमारी प्रारक्षित निधि की दूसरी पंक्ति है, २५ करोड़ डालर या लगभग ११९ करोड़ रुपये निकालने पड़े । इस निकासी का कुछ भाग, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निधि से पहले निकाली गयी रकम के सम्बन्ध में की गयी अदायगियों के कारण बराबर हो गया और बाकी के सम्बन्ध में, चालू वर्ष में हमारी पौण्ड प्रारक्षित निधि को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि से ५८.३ करोड़ रुपये की एक रकम मिल गयी । इतने पर भी सम्भावना यही है कि चालू वर्ष के अन्त में हमारी पौण्ड पावने की रकम उस रकम से कम होगी जो वर्ष के प्रारम्भ में थी ।

७. चालू वर्ष में, हमारी निर्यात सम्बन्धी आय में निश्चित रूप से सुधार हुआ है । वर्तमान अनुमान के अनुसार १९६१–६२ में उसकी रकम लगभग ६६५ करोड़ रुपया होगी; यह दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के स्तर से ५ प्रतिशत अधिक है । किन्तु, यदि हमें १९६५–६६ तक निर्यात से, ८५० करोड़ रुपये की कुल आमदनी के योजना सम्बन्धी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो निर्यात बढ़ाने के निमित्त, हमारे लिए अपने प्रयत्नों में और भी तेज़ी लाना आवश्यक है ।

८. दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में हम कुछ कम आयात कर रहे हैं । आयात में कुछ कमी और निर्यात में वृद्धि होने पर भी हमारे शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ़ पेमेण्ट्स) में सुधार न होने का एक बड़ा कारण अदृश्य मदों (इन्विज़िबल्स)—ऋणों और ब्याज की अदायगी, यात्रा और सभी तरह की विविध प्रेषणाओं (मिस्लेनियस रेमिटेंसेज़)—की स्थित का बिगड़ना है । अगले महीनों में हमें अदृश्य मदों से सम्बन्ध रखने वाली अपनी प्राप्तियों और अदायगियों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा । जिन बातों की ओर हम सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और देते रहना चाहिये भी, उनमें से एक यह है कि हम थोड़ी अवधि के ऋणों का या ब्याज की ऊंची दर वाले ऋणों का उपयोग नहीं कर सकते ।

[श्री मोरारजी देसाई]

९. मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि अब विदेशों में, विकासशील देशों की विशेष रूप से अनुकूल शर्तों के आधार पर सहायता देने के महत्व को और भी अच्छी तरह से समझा जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में इन देशों की अर्थ-व्यवस्था पर असह्य भार न पड़े। विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) के अध्यक्ष, श्री ब्लैक सहायता देने वाले सभी देशों से इसी नीति पर आचरण करने की बात कह रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इण्टरनेशनल डेवलपमेण्ट फण्ड) ने, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है, हमें पहले ही ऐसे बड़े-बड़े ऋण देने प्रारम्भ कर दिये हैं, जो प्रायः ब्याजमुक्त होंगे और ५० वर्ष से भी अधिक समय बाद अदा किये जा सकेंगे। हाल के वर्षों में अमेरिका से जो विकास सम्बन्धी सहायता मिली है उसका अधिकतर भाग भारतीय मुद्रा में अदा किया जा सकेगा। नये अमरीकी सहायता अभिकरण (यू० एस० एण्ड एजेंसी) से मिलने वाले ऋण डालरों में अदा किये जायेंगे, लेकिन अदायगियां बड़ी लम्बी अवधि में फैला दी जायेंगी और, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की तरह, ये ऋण भी प्रायः ब्याजमुक्त हैं। सोवियट संघ (रूस) और पूर्वी यूरोप के बहुत से देश हमें ब्याज की कम दर पर ऋण दे रहे हैं और साथ ही भारतीय माल की खरीद भी बढ़ा रहे हैं, ताकि हम इन ऋणों को चुका सकें। जैसा कि सभा को मालूम है, कनाडा हमें अनुदानों के रूप में काफ़ी सहायता दे रहा है और जर्मन संघीय गणराज्य ने हाल के ऋण-करारों में अदायगी की अवधि बहुत लम्बी कर दी है और ब्याज की दरें कम कर दी हैं। ब्रिटेन ने, सहायता का स्तर ऊंचा करते हुए, अपने ऋणों की अवधि को और भी लम्बा कर दिया है। जापान ने भी ऐसा ही किया है।

१०. अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के क्षेत्र में दूसरी अनुकूल प्रवृत्ति यह है कि अब इस बात को और भी अच्छी तरह से समझा जा रहा है कि किसी देश के शोधन-सन्तुलन को सामान्य समर्थन देना कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खास खास और मान्य प्रायोजनाओं की स्थापना के लिए साधनों की व्यवस्था करना। आर्थिक प्रगति और विकास का वास्तविक मानदण्ड देश में स्थापित होने वाली बड़ी-बड़ी औद्योगिक प्रायोजनाओं की संख्या नहीं, बल्कि खपत और उत्पादन, आमदनी और बचत के स्तरों में सामान्य वृद्धि है। औद्योगिक क्षमता में वृद्धि, उन बातों में से केवल एक है जिनके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। वर्तमान औद्योगिक इकाइयों से उत्पादन में वृद्धि करना कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में सिंचाई, उर्वरकों, पहले से अधिक अच्छे परिवहन और संचार साधनों द्वारा कृषि-उत्पादन में सुधार करके देश के विकास में उसी प्रकार बहुत अधिक योगदान दिया जा सकता है जिस प्रकार औद्योगिक प्रायोजनाओं की संख्या में वृद्धि करके।

११. तीसरी योजना के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता—अमेरिका के पब्लिक ला ४८० की सहायता से किये जानेवाले कृषि पदार्थों के आयात को छोड़ कर—२,६०० करोड़ रुपया आंकी गई है। हमने जब तीसरी योजना प्रारम्भ की थी, हमारे पास ७०० करोड़ रुपया या तो दूसरी योजना का या तीसरी योजना में प्रारम्भ की जाने वाली प्रायोजनाओं के लिए किये गये पक्के वादों (कमिटमेंट) के रूप में था। बाद में, मई-जून, १९६१ में विश्व बैंक ने मित्र देशों के संघ (कंसार्शियम) की जिन बैठकों की व्यवस्था की उनके परिणामस्वरूप १.१०० करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम के लिए अस्थायी वादे किये गये। मुझे यह जानकार प्रसन्नता है कि मित्र देशों के संघ की सदस्य-संख्या बढ़ रही है और फ्रांस ने, अभी ही, संघ की मार्फ़त, हमें सहायता देने का पक्का वादा किया है। इस संघ के अलावा, तेल के उत्पादन के लिये, हमें इटली से सहायता प्राप्त हुई है। यह बात याद रखने की है कि जिस तरह दूसरी योजना से

तीसरी योजना में सहायता और पक्के वादों की रकमें लायी गयी, उसी तरह तीसरी योजना से चौथी योजना में उसी रूप में और शायद उससे भी ज्यादा रक़में ले जायी जायं। तीसरी योजना की बाकी अवधि में, अतिरिक्त सहायता के लिये बातचीत करते समय, इस बात को ध्यान में रखा जायगा।

१२. प्राप्त सहायता का निर्धारण (एलोकेशन) करते समय, हमने स्वभावतः अपनी अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रों (की सेक्टर्स) को प्राथमिकता (प्रायरिटी) दी है। इस तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना की बिजली सम्बन्धी प्रायोजनाओं की अधिकांश आवश्यकता के लिए व्यवस्था कर दी गई है। सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात संयंत्रों (स्टील प्लाण्ट्स) के विस्तार के लिए उन्हीं देशों से आवश्यक सहायता के वचन मिल चुके हैं जिनकी सहायता से उन्हें सबसे पहले स्थापित किया गया था। तेल की खोज, उत्पादन और सफ़ाई के लिए योजना सम्बन्धी आवश्यकता के एक छोटे से अंश को छोड़ कर, बाकी के लिये व्यवस्था कर दी गई है। दूसरे महत्व-पूर्ण क्षेत्रों में, जैसे कि रेलवे, बन्दरगाह और जहाज़, कोयला और साधारणतः उत्पादक उद्योगों के क्षेत्र में, आधी आवश्यकता के लिए व्यवस्था कर दी गई है। निश्चय ही, सभा मुझ से यह आशा करेगी कि इस अवसर पर मैं अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों (इण्टरनेशनल एजेंसीज़) और उन देशों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं, जिन्होंने हमारे महान उद्यम में हमें इतनी उदारता के साथ सहायता दी है।

१३. जब कि हमें इतने अधिक देशों से सहायता मिल रही है, हम इस क्षेत्र में अपने अंश-दान के, वह कितना ही कम क्यों न हो, महत्व को नहीं भूले और जब भी या जहां भी सम्भव हुआ, दुनिया के दूसरे विकासशील देशों को सहायता पहुंचाने को तत्पर रहे हैं। कोलम्बो योजना (कोलम्बो प्लान) में भाग लेने वाले देश के रूप में, भारत, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रों के देशों में सबसे ज्यादा तकनीकी (टेक्निकल) सहायता देने वाला देश है। कम्बोडिया में मेकोंग नदी प्रायोजना (मेकोंग रिवर प्रोजेक्ट) तैयार करने और विशेष राष्ट्रमंडलीय अफ़्रीकी सहायता योजना (स्पेशल कामनवेल्थ अफ़्रीकन एसिस्टेंस प्लान) के अन्तर्गत तकनीकी सहायता प्रदान करने में भी हमने सहायता दी है।

१४. एक बार फिर विदेशी विषयों से देशी विषयों पर आते हुए मैं तीसरे वित्त आयोग (थर्ड फाइनेंन्स कमिशन) की रिपोर्ट का ज़िक्र करूंगा, जो संसद् की दोनों सभाओं में पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। केन्द्रीय करों के विभाजन और सहायक-अनुदानों की अदायगी के सम्बन्ध में हम आयोग की, एक सिफ़ारिश को छोड़कर जिसका सम्बन्ध विधि-सम्मत (स्टेटुटेरी) सहायक-अनुदानों से है, जो राजस्व में से राज्यों के योजना-सम्बन्धी व्यय के एक अंश की पूर्ति के लिए दिये जाते हैं—बाक़ी सभी सिफ़ारिशों को स्वीकार कर रहे हैं। जिन कारणों से हम विधि-सम्मत सहायक-अनुदानों के रूप में योजना-सम्बन्धी अनुदानों के एक भाग की अदायगी से सम्बद्ध सिफ़ारिशों को स्वीकार नहीं कर सके हैं उन्हें रिपोर्ट के व्याख्यात्मक ज्ञापन (एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम) में विस्तार से दिया गया है। यहां मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस निर्णय से, राज्यों की योजनाओं के लिए, केन्द्र द्वारा दी जाने वाली कुल सहायता में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और वह सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति और अन्य प्रासंगिक बातों के आधार पर दी जाती रहेगी।

१५. वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लेने से अगले वर्ष राज्यों को ३५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त अदायगी करनी पड़ेगी और आय-कर के राज्यों के हिस्से की वृद्धि और बंटने वाले उत्पादन-शुल्कों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होने से आने वाले वर्षों में राज्यों को बहुत अधिक लाभ होगा। किन्तु यहां प्रश्न यह नहीं है कि साधनों का बंटवारा किस तरह होता है, बल्कि

[श्री मोरारजी देसाई]

यह कि वे किस तरह जुटाये जाते हैं ; और हमारी योजना के लिये आवश्यक वित्तीय साधनों की व्यवस्था करने के इस महान् कार्य में राज्यों को भी उतना ही महत्वपूर्ण भाग लेना है जितना केन्द्रीय सरकार को ।

१६. अब मैं १९६१–६२ के संशोधित अनुमानों और १९६२–६३ के बजट अनुमानों का उल्लेख करूंगा ।

१७. इस वर्ष के बजट में १०१७.९५ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्तियों और १०२३.५२ करोड़ रुपये के, राजस्व से किये जाने वाले व्यय का अनुमान किया गया था । मौजूदा रुख को देखते हुए, अनुमान है कि राजस्व-प्राप्तियां १०७९.११ करोड़ रुपये तक और व्यय १०४५.१५ करोड़ रुपये तक पहुंच जायगा और परिणाम यह होगा कि ५.५७ करोड़ रुपये का बजट घाटा ३ .९६ करोड़ रुपये के राजस्व-अधिशेष में बदल जायगा ।

१८. राजस्व-प्राप्तियों मे वृद्धि का मुख्य कारण सीमा-शुल्कों (कस्टम्स), केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों (यूनियन एक्साइज़), और निगम-कर (कारपोरेशन टैक्स) तथा आय-कर (इनकम टैक्स) का अधिक संग्रह है । मशीनों और खनिज तेलों के पहले से अधिक आयात और खनिज तेलों पर प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टरवेलिंग) शुल्क लगने से, सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत ९.९६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । उत्पादन और माल की निकासी में साधारण रूप से सुधार होने, खनिज तेलों के शुल्क में वृद्धि होने और नये उत्पादन-शुल्कों से पहले की बनिस्बत अधिक वसूलियां होने से उत्पादन-शुल्कों में ३८.३२ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है । व्यापार और उद्योग-धन्धों में शीघ्रता के साथ होने वाले विकास के कारण, निगम-कर को मिला कर आय-कर की प्राप्तियों में २८ करोड़ रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना है । किन्तु ये वृद्धियां, आय-कर और मृत्त सम्पत्ति-शुल्क (इस्टेट ड्यूटी) में से राज्यों के हिस्से में १३.४५ करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायेगी ।

१९. अब इस वर्ष ७४३.२२ करोड़ रुपये के असैनिक (सिविल) व्यय का अनुमान है, जब कि मूल बजट में ७४०.६ करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था और रक्षा (डिफेंस) व्यय का अनुमान ३०१.९३ करोड़ रुपया है, जब कि मूल अनुमान २८२.९२ करोड़ रुपये का था ।

२०. असैनिक व्यय में २.६२ करोड़ रुपये की वृद्धि कई शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव है । ऋण-सम्बन्धी अदायगियों पर ४.२ करोड़ रुपया अधिक खर्च होने का अनुमान है, जिसका प्रधान कारण यही है कि राज्यों और रेलों से अपेक्षाकृत कम रुपया वसूल हुआ है । चीनी के निर्यात पर दी जाने वाली राज-सहायता और कोयले को समुद्र मार्ग से भेजने के कारण ८.२५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । उत्पादन-शुल्क में से राज्यों के हिस्से की रकम में ४.६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और पी० एल० ४८० निधि से प्राप्त अनुदान के विशेष विकास निधि में अन्तरित किये जाने से मूल अनुमान की अपेक्षा ३ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी । किन्तु व्यय की ये वृद्धियां कई बचतों के कारण आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हो जायेंगी । इन बचतों की मुख्य मदें हैं समूह-शीर्षक "सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं" के अन्तर्गत १२.०६ करोड़ रुपया और आय-कर के राज्यों के हिस्से के बदले उन्हें दिये जाने वाले अनुदान में ६.१ करोड़ रुपया । अब अनुमान है कि रक्षा सेवाओं (डिफेंस सर्विसेज़) की आवश्यकताएं मूल बजट की अपेक्षा १९.०१ करोड़ रुपया बढ़ जायेंगी जिसका मुख्य

कारण भण्डार, साज सामान, परिवहन और अन्य प्रभारों की व्यवस्था में वृद्धि होना है।

२१. अगले वर्ष के अनुमानो का उल्लेख करने से पहले मैं खातों में किये गये कुछ परिवर्तनों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। ये परिवर्तन अगले वर्ष से प्रभावी होंगे। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने पिछले साल के भाषण में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से लेखा-प्रणाली में संशोधन करने और परिवर्तनों को दो वर्ष की अवधि में लागू करने के निर्णय का जिक्र किया था। परिवर्तनों को, जिन्हें अगले साल लागू किया जायगा, व्याख्यात्मक ज्ञापन में विस्तार के साथ दिया गया है। मैं केवल दो मुख्य मदों का जिक्र करूंगा। राज्य सरकारों और वाणिज्यिक विभागों से की गयी ब्याज की वसूलियां अभी तक खातों में ब्याज में से घटाकर दिखायी जाती थीं। चूंकि इस व्यवस्था से सरकार के ब्याज सम्बन्धी भार का ठीक-ठीक पता नहीं चलता, इसलिए ये वसूलियां अगले साल से ब्याज-प्राप्तियों के रूप में दिखायी जायंगी। दूसरी बात यह है कि रेलवे और डाक तथा तार जैसे वाणिज्यिक विभागों का कार्यचालन-व्यय, जिसे अभी प्राप्तियों में से घटाकर खातों में दिखाया जाता है, भविष्य में व्यय के रूप में दिखाया जायगा।

२२. करों के वर्तमान स्तरों के आधार पर, अगले वर्ष १३०५.८७ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति और १३६९.३३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है जिससे ६३.६४ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी।

२३. चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की अपेक्षा अगले वर्ष राजस्व में २२६.७९ करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। इसमें से १४९.५७ करोड़ रुपया, राज्यों और वाणिज्यिक विभागों से होने वाली ब्याज की वसूलियों के वर्गीकरण में परिवर्तन किये जाने से प्राप्त होगा। ये वसूलियां, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अगले वर्ष से ब्याज-प्राप्तियों के रूप में दिखायी जायंगी। बाकी वृद्धि अनेक शीर्षकों में बंटी हुई है। अनुमान है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में २१.३३ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। निगम-कर को मिलाकर, आय-करों में १४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, लेकिन आय-कर और मृत सम्पत्ति शुल्क में दिये जाने वाले राज्यों के हिस्से में ३.५७ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी जिसका मुख्य कारण बकाया रकमों की अदायगी न होना है जिनके लिए चालू साल के बजट में व्यवस्था की गयी थीं। पी० एल० ४८० से प्राप्त होने वाले अनुदान में, चालू साल के स्तर की अपेक्षा २७ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अन्य ब्याज-प्राप्तियों में ६.३६ करोड़ रुपये की वृद्धि की सम्भावना है। गोआ, दमन और दीव से पूरे साल में ५.०१ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

२४. अगले वर्ष १३६९.३३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है जिसमें से १०२८.६६ करोड़ रुपया असैनिक मद पर और ३४०.६७ करोड़ रुपया रक्षा सेवाओं पर खर्च होगा।

२५. वाणिज्यिक विभागों की ब्याज की वसूलियों और कार्य-चालन-व्यय के लेखा-प्रणाली सम्बन्धी वर्गीकरण में परिवर्तन होने के कारण १५१.१३ करोड़ रुपये की वसूली को छोड़कर अगले वर्ष असैनिक व्यय में १३४.३१ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है, जो बहुत से शीर्षकों में बंटी हुई है। देशी और विदेशी दोनों तरह के सरकारी ऋण का परिमाण बढ़ने के कारण ऋण-सेवाओं के अन्तर्गत १२.२३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। योजना के दूसरे वर्ष में विभिन्न प्रकार की सामाजिक और विकासमूलक सेवाओं की व्यवस्था में १४.७४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। विशेष विकास निधि में पी० एल० ४८० के अनुदान के अन्तरण में, चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की अपेक्षा २७ करोड़ रुपये की

[श्री मोरारजी देसाई]

वृद्धि होगी। वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लेने से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में राज्यों के हिस्से की रकम में ३३.४३ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। गोआ, दमन और दीव की आवश्यकताओं के लिए ५.२८ करोड़ रुपये की और इन क्षेत्रों से पुर्तगाली सिक्कों की वापसी के लिए रिजर्व बैंक को देने के लिए ७.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों में १३.७९ करोड़ रुपये की वास्तविक वृद्धि होने का अनुमान है। बाकी वृद्धि बहुत से शीर्षकों में फैली हुई है जिसका व्योरा व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

२६. चालू वर्ष की अपेक्षा, अगले वर्ष रक्षा सेवाओं के वास्तविक व्यय में ३८.७४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यह वृद्धि मुख्यतः स्थल और वायु सेनाओं के अनुमानों में हुई है और यह उन कार्यवाइयों के खर्च को प्रकट करती है जो सशस्त्र सेनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए की गयी हैं। मुझे विश्वास है कि सभा इन कार्रवाइयों का समर्थन करेगी जिनका उद्देश्य देश कीं क्षेत्रीय अखण्डता और सुरक्षा को बनाये रखना है।

२७. अमेरिका से प्राप्त होने वाली सहायता को विशेष विकास निधि (स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड) में अन्तरित करने से सम्बन्ध रखने वाले समायोजन को छोड़कर, जिसे प्राविधिक आधार पर पूंजीगत व्यय माना जाता है, चालू साल के बजट में पंजीगत व्यय के लिए कुल ४५४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। अब अनुरूप पूंजीगत व्यय का अनमान ४२७ करोड़ रुपये है जिससे २७ करोड़ रुपये की बचत प्रकट होती है। यह कई परिवर्तनों का वास्तविक परिमाण है। अन्न की खरीद पर १८ करोड़ रुपया कम खर्च होगा जिसका मुख्य कारण पी० एल० ४८० के अन्तर्गत आयात की गति को धीमा करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बचतों में से उल्लेखनीय ये हैं—रक्षा पंजी परिव्यय के अन्तर्गत ६ करोड़ रुपये, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (आयल ऐण्ड नेचरल गैस कमिशन) द्वारा ९ करोड़ रुपये, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा ६ करोड़ रुपये, दिल्ली पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ६ करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन) और जहाजी निगम (शिपिंग कारपोरेशन) प्रत्येक द्वारा ४ करोड़ रुपये किन्तु रेलों की पूंजीगत आवश्यकताओं में १० करोड़ रुपये की वृद्धि, हिन्दुस्तान स्टील के लिए ७ करोड़ रुपये की वृद्धि, इण्डियन रिफाइनरीज के लिए ६ करोड़ रुपये की वृद्धि और नेवेली लिग्नाइट कारपोरशन के लिए ४ करोड़ रुपये की वृद्धि से ये कमियां अंशत प्रति-सन्तुलित हो जायंगी।

२८. अगले वर्ष पूंजी-परिव्यय के लिए ५८८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से १६१ करोड़ रुपया अधिक है। इस वृद्धि का प्रधान कारण योजना के दूसरे वर्ष में योजना सम्बन्धी खर्चों का बढ़ना है। हिन्दुस्तान स्टील की अतिरिक्त पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए ६० करोड़ रुपये और रेलों के लिए १९७ करोड़ रुपये की व्यवस्था, जो चालू वर्ष की व्यवस्था से क्रमशः ५३ करोड़ रुपये और २७ करोड़ रुपये अधिक है, शामिल कर ली गयी है। अन्न की खरीद पर १६ करोड़ रुपया अधिक खर्च होगा और सीमावर्ती सड़कों से सम्बन्ध रखनेवाली आवश्यकताओं की पूर्ति में, चालू वर्ष के अनुमान की अपेक्षा, १२ करोड़ रुपया अधिक खर्च होगा। बाकी वृद्धियों में से मैं केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के १४ करोड़ रुपय, राष्ट्रीय राजपथों के ७ करोड़ रुपये, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और फरक्का बांध प्रायोजना, दोनों में से प्रत्येक के ६ करोड़ रुपये, रक्षा पूंजी परिव्यय के ६ करोड़ रुपये और परमाणु-शक्ति अनुसंधान के ४ करोड़ रुपये का ही जिक्र करूंगा।

२९. प्रत्यक्ष पूंजी–परिव्यय की व्यवस्था के अतिरिक्त, राज्यों को ऋण देने के लिए अनुमानों में इस साल ४६९ करोड़ रुपये और अगले साल ४५३ करोड़ रुपये शामिल किये गये हैं, जबकि मूल व्यवस्था ४०९ करोड़ रुपये की थी। चालू साल में अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता का कारण चार राज्यों को ३० करोड़ रुपये के तदर्थ ऋणों की मंजरी देना, ताकि वे दूसरी योजना की समाप्ति के समय रिजर्व बैंक से जमा से अधिक ली हुई रकम को लोटा सकें और राज्य सरकारों को, उनके साधनों के अस्थायी अभाव को दूर करने के लिए पहले से अधिक अर्थोपाय अग्रिमों का दिया जाना है। अब अनुमान है कि दूसरी पार्टियों को इस साल १५२ करोड़ रुपये और अगले साल १४७ करोड़ रुपये दिये जायेंगे, जबकि मूल बजट अनुमान १७१ करोड़ रुपये का था।

३०. अगले वर्ष के अनुमानों में योजना को अमल में लाने के लिए कुल ११०७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें से १९२ करोड़ रुपया राजस्व खाते का और ९१५ करोड़ रुपया, ऋणों को मिलाकर पूंजी खाते का है। इसके अलावा रेलें अपने साधनों से अनुमानतः २६ करोड़ रुपये और हिन्दुस्तान स्टील अपने साधनों से अनुमानतः ३० करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगी। इन अनुमानों में राज्यों की सहायता के लिए ४०५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें से ९६ करोड़ रुपया राजस्व बजट का और ३०९ करोड़ रुपया पूंजी बजट का होगा। अनुमान है कि राज्य अपने साधनों से २८३ करोड़ रुपया जुटायेंगे और उसको मिलाकर अगले साल राज्यों के योजना–संबंधी परिव्यय की कुल राशि ६८८ करोड़ रुपया हो जायगी। योजना के केन्द्रीय अंश पर सब मिलाकर ७५८ करोड़ रुपया खर्च होगा। इस तरह केन्द्रीय और राज्य सरकारों का तीसरी योजना के दूसरे साल का आयोजना का कुल खर्च १४४६ करोड़ रुपया होगा इसका अर्थ चालू साल के १२१४ करोड़ रुपये के बजटगत खर्च में १९.१ प्रतिशत की वृद्धि होगी। कमी की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, योजना के पहले दो वर्षों में, वास्तविक योजना–परिव्यय योजना में परिकल्पित ७५०० करोड़ रुपये के लक्ष्य के लगभग एक–तिहाई भाग की पूर्ति कर सकेगा।

३१. चालू साल के बजट में ७० करोड़ रुपये की कुल कमी का अनुमान किया गया था जिसमें से ६४ करोड़ रुपया राजकोष हुण्डियों की वृद्धि करके पूरा किया जायगा और शेष रोकड़ बाकी को कम करके। वर्तमान निर्धारणों के आधार पर अब कुल कमी के, बढ़ कर १२१ करोड़ रुपया हो जाने का अनुमान है। इसका मतलब यह हुआ कि ६ करोड़ रुपये की राजस्व की घटती के, ३४ करोड़ रुपये के, अधिशेष (सर्प्लस) में बदल जाने पर भी और पूंजीगत व्यय में २७ करोड़ रुपये की बचत होते हुए भी मूल अनुमान से कुल कमी ५१ करोड़ रुपया अधिक होगी। इसका मुख्य कारण देशी और विदेशी दोनों ऋणों में कमी होना है। वास्तविक बाजार–ऋणों में, जिनमें छोटी बचतें भी शामिल हैं, ३८ करोड़ रुपये की कमी रहेगी जबकि विदेशी ऋणों में ४७ करोड़ रुपये की पी० एल० ४८० सम्बन्धी जमा रकमों में भी ३६ करोड़ रुपये की कमी रहेगी।

३२. अगले साल के बजट में मैं बाजार–ऋणों के २६० करोड़ रुपये जिनमें इनामी बांड भी शामिल हैं, और छोटी बचतों से १०५ करोड़ रुपये की वास्तविक राशि ले रहा हूं। बजट में विदेशी ऋणों का भी ४५५ करोड़ रूपया और पी० एल० ४८० सम्बन्धी जमा रकमों से प्राप्त ९० करोड़ रुपया जमा किया गया है, जिसमें ५० करोड़ रुपया वह भी है जो उन राशियों में से अन्तरित किया जायगा, जो पहले भारतीय राज्य बैंक में जमा थीं।

[श्री मोरारजी आर देसाई]

३३. सम्पूर्ण बजट-स्थिति का सारांश यह है :

राजस्व में ६३ करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है । पूंजी-परिव्यय की रकम ५८८ करोड़ रुपया, राज्य सरकारों और दूसरों को दिये जाने वाले ऋणों की रकम ६०० करोड़ रुपया और ऋण अदा करने की रकम २२७ करोड़ रुपया होगी । अनुमान है कि १४७८ करोड़ रुपये का सम्पूर्ण व्यय देशी और विदेशी ऋणों के ८२० करोड़ रुपये, ऋणों की अदायगी के २१८ करोड़ रुपये, पी० एल० ४८० की निधियों की जमा से लिये गये ९० करोड़ रुपय और विविध ऋण निवेश शीर्षकों के २०३ करोड़ रुपये से पूरा किया जायगा जिससे कुल घाटा १४७ करोड़ रुपये का रह जायगा ।

३४. यहां मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे इस बात से गहरी चिन्ता है कि राजस्व में वृद्धि होते हुए भी, चालू वित्त वर्ष उस कुल घाटे की अपेक्षा, जिसकी कल्पना हमने इस साल का बजट पेश करते हुए की थी, और भी बड़े घाटे के साथ समाप्त हो रहा है । इसलिए अपने बजट सम्बन्धी साधनों को बढ़ाने के लिए हमें सभी सम्भव प्रयत्न करने पड़ेंगे जिससे कि अर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व निश्चित हो जाय ।

३५. महोदय अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं हाल के निर्वाचनों द्वारा राष्ट्र ने तीसरी बार हमारी योजनाओं और नीतियों के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है । अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सी योजनाओं को पूरा करना होगा सब मिलाकर तीसरी योजना अच्छी तरह प्रारम्भ हुई है । उत्पादन में सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है, मूल्यों में स्थिरता आयी है और जो विदेशी सहायता हमें प्राप्त हुई है उससे हम, विदेशी मुद्रा की लगातार कठिनाई होते हुए भी, अपनी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के एक बड़े अंश की पूर्ति करने में समर्थ हो सके हैं । किन्तु आत्म-सन्तोष के लिए समय नहीं है । यदि हमें उतनी ही तेजी से आगे बढ़ना है जितनी तेजी से हम बढ़ना चाहते हैं---वास्तव में उतनी ही तेजी के साथ जितनी तेजी से हमें बढ़ना ही चाहिए---तो हम में से प्रत्येक को वर्ष प्रतिवर्ष अधिक से अधिक उद्यम करना पड़ेगा

---

## वित्त विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान्, वित्त विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्त विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

**इसके पश्चात् लोक-सभा १५ मार्च, १९६२/२४ फाल्गुन, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

**बुधवार, १४ मार्च, १९६२**

**२३ फाल्गुन, १८८३ (शक)**


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों क मौखिक उत्तर | ९७–११८ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | |
| १९ कॉमेट ब्रांड अमोनियम क्लोराइड | ९७–९८ |
| २० भारत में परिवार नियोजन | ९८ |
| २१ उष्णप्रदेशीय अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी संस्था | ९९ |
| २२ रिहाण्ड बांध परियोजना | ९९—१०१ |
| २३ टेलीफोन की दूसरी फैक्टरी | १०१–१०२ |
| २४ इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन | १०२—१०६ |
| २५ "हैरन" विमान | १०६—१०८ |
| २६ छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना | १०८—१० |
| २७ चलती रेलगाड़ी में हजारीबाग के पास हत्या | ११०–११ |
| २८ विश्व ऋतुविज्ञान संगठन | १११–१२ |
| २९ भारत-पाक रेल-सेवा | ११२–१३ |
| ३१ खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता | ११३–१५ |
| ३२ मद्रास राज्य में बच्चों की मृत्यु | ११५–१६ |
| ३३ बहुप्रयोजनीय खाद्य पाउडर | ११६–१७ |
| ३४ कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र | ११७–१८ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | ११८—३४ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | |
| ३० वाइकांउट विमान | ११८ |
| ३५ वाइकिंग की बिक्री | ११९ |





1931(A)LSD—6

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

**अतारांकित**
**प्रश्न संख्या**


| | | |
|---|---|---|
| १७ | सिंचाई के लिये पानी का शुल्क . . . | ११९ |
| १९ | रिफालेश्वर-नजरबाग स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) पर दुर्घटनाएं | ११९—२० |
| २० | दिल्ली के लिये तापीय संयंत्र | १२० |
| २१ | मांडला फोर्ट में दुर्घटना . | १२० |
| २२ | लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में हड़ताल | १२१ |
| २३ | पुराने वाइकाउन्ट . | १२१ |
| २४ | चीनी मिलों का आधुनिकीकरण | १२१ |
| २५ | गेहूं की कीमतें . | १२२ |
| २६ | बाढ़ नियंत्रण कार्यवाही | १२२ |
| २७ | व्यास बांध परियोजना . | १२३ |
| २८ | इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन | १२३ |
| २९ | ग्लाइडर | १२४ |
| ३० | विमान दुर्घटनायें | १२४ |
| ३१ | "फौकर फ्रैंडशिप" | १२४—२५ |
| ३२ | बोईंग ७०७ जेट विमान | १२५—२६ |
| ३३ | भारत के लिए अमरीकी . | १२६ |
| ३४ | इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की अनुसूचित उड़ानें | १२६ |
| ३५ | एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की अनुसूचित उड़ानें | १२६—२७ |
| ३६ | पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवा | १२७ |
| ३७ | वेलदुर्ति स्टेशन पर ट्रक और गाड़ी में टक्कर | १२७ |
| ३८ | स्कूलों के बच्चों को भोजन . | १२७—२८ |
| ४० | दिल्ली में खाना बनाने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए गैस का प्रयोग | १२८ |
| ४१ | मैसूर में ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालय | १२८ |
| ४२ | पूना से हुबली की ओर बड़ी लाइन . | १२८—२९ |
| ४३ | मेडिकल कालिजों में स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम | १२९ |
| ४४ | नंजनगूड़ चामराजनगर मीटर लाइन | १२९ |
| ४५ | दीव-पानवेल-उड़न-आप्टा बड़ी लाइन . . | १२९—३० |
| ४६ | बीकानेर-हनुमानगढ़ के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क | १३० |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः** | | |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ४७ | बीकानेर में तारघर | १३० |
| ४८ | जाली रेलवे पार्सल रसीदें | १३१ |
| ४९ | पंजाब की पहाड़ी सड़कें | १३१–३२ |
| ५० | हिमाचल प्रदेश में सड़कें . | १३२ |
| ५१ | त्रिपुरा में कृषि विषयक प्रविधिक कर्मचारी | १३२ |
| ५२ | चांदपुर (उड़ीसा) में क्षय और कैंसर का हस्पताल | १३२–३३ |
| ५३ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . . | १३३ |
| ५४ | लोक सभा की सदस्यता के लिये इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का कर्मचारी | १३३–३४ |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . . | | १३४–३५ |

(१) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५१० में प्रकाशित वणिक् नौवहन (सक्षमता के प्रमाण-पत्र) नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९७ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) संशोधन नियम, १९६२।

(ग) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०९ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ ।

(२) संयुक्त स्टीमर कम्पनियों के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त के तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के ८ अगस्त, १९६१ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य ।

(३) अत्यावश्यक पण्य, अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति —

(एक) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४९१ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (छठा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

**विषय** **पृष्ठ**

(दो) दिनांक ६ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६२ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (तेरहवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(तीन) दिनांक ६ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४ में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्यान्न लाने ले जाने पर नियंत्रण (संख्या २) तीसरा संशोधन आदेश, १९६१ ।

(चार) दिनांक ११ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७० में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(पांच) दिनांक १७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९ ।

(छै) दिनांक २३ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२ ।

(सात) दिनांक ३१ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५३ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(आठ) दिनांक ३१ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(नो) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २४४ में प्रकाशित बम्बई चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६२ ।

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन —उपस्थापित** . . . . . . . १३५

बानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

**सदस्यों द्वारा त्यागपत्र** . . . . . . . १३६

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को बताया कि सर्वश्री डिपला सूरी डोरा और चंडिकेश्वर शरण सिंह जू देव ने लोक सभा से त्याग पत्र दे दिया है ।

**कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत** . . . . १३६–३७

अड़सठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

**विधेयक पारित** . . . . . . . . १३७–५९

(१) प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक १९६२

**विषय** **पृष्ठ**

पर विचार किया जाये । विचार करने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में ३१२, विपक्ष में **कोई नहीं** । विधेयक सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ ।

खंडवार विचार आरम्भ हुआ और सभा में खंड २ और ३ को पारित करने के प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ : पक्ष में ३२१ और विपक्ष में **कोई नहीं** । उक्त खंड सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हुए ।

सभा में पारित करने के प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ : पक्ष में ३२३ और विपक्ष में कोई नहीं । विधेयक सभा की कुल सदस्य संख्या के महुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ ।

(२) प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात विधेयक पारित हुआ ।

**सामान्य आयव्ययक, १९६२-६३ का उपस्थापन** . . . १९०—९८

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९६२–६३ के लिये भारत सरकार का अनुमानित आय और व्यय का विवरण उपस्थापित किया ।

**विधेयक पुरस्थापित**

**वित्त विधेयक—१९६२** . १९८

**गुरुवार १५ मार्च १९६२/२४ फाल्गुन १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि .**

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा ।


---

GMGIPND—LSIII—1931(Ai)LS—3-4-62—125.